मंगलवार,
३० मार्च, १९५४

संसदीय वाद विवाद

1st

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

लोक सभा

मंगलवार, ३० मार्च, १९५४

सभा दो बजे समवेत हुई

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चल निष्क्रांत सम्पत्ति

*१३८९. **सरदार हुक्म सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) लाहौर स्थित उप उच्चायुक्त द्वारा १९५३ में पश्चिमी पाकिस्तान से प्राप्त घरेलू इस्तेमाल की चीजों का अनुमानित मूल्य कितना है ;

(ख) क्या इनमें से किसी चीज़ के लिये विस्थापित मालिकों ने दावा किया है; तथा

(ग) क्या शेष चीज़ों की नीलामी कर दी गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) लगभग ७०,००० रुपये ।

(ख) केवल एक मामले को छोड़ कर, जिसमें विस्थापित मालिक का भारत में पता नहीं लग सका सभी प्राप्त चीजें उनके मालिकों को वापिस दे दी गई हैं ।

(ग) जी नहीं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इसके बाद भी पाकिस्तान से चीज़ें पुनः प्राप्त की जा रही हैं, और यदि ऐसा है, तो क्या ऐसी कोई सूची है जिसमें अब तक पुनः प्राप्त की गई चीजों का मूल्य दिया हो ?

श्री ए० पी० जैन : इस प्रश्न में १९५३ के अन्त तक की अवधि आ जाती है । मेरे पास बाद की अवधि की सूचना नहीं है ।

सरदार हुक्म सिंह : ऐसे मामलों के सम्बन्ध में किस प्रकार सूचना कार्य किया जाता है जिससे कि विभिन्न स्थानों में रहने वाले शरणार्थियों को पुनः प्राप्त की गई चीजों की सूचना मिल सके ?

श्री ए० पी० जैन : हम अपना प्रचार कार्य सरकारी एवं गैरसरकारी अभिकरणों द्वारा करवाते हैं, और इस विशेष मामले में हमने अखिल भारतीय शरणार्थी संस्था से दावेदारों का पता लगाने में हमारी सहायता करने के लिये कहा था ।

बिहार में चीनी तथा मिटटी के वर्तन बनाने का उद्योग

*१३९०. **श्री झूलन सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १९५१–५२ में कांच तथा कुम्भकारी उद्योगों के लिये कच्चे माल पर गवेषणा करने के लिये बिहार सरकार को कोई पिण्ड राशि का अनुदान दिया गया था;

(ख) क्या उक्त सरकार ने पूरे अनुदान का लाभ उठाया है; तथा

(ग) क्या इस योजना को कार्यान्वित करने में हुई प्रगति के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार को कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १]** ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य को जो राशि दी थी उसमें वह मांग पूरी हो जाती है जो उस राज्य ने की थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : पूरे तौर से नहीं; हम किसी विशेष योजना के लिये केवल आधा खर्च देते हैं ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या सरकार इस मामले में सन्तुष्ट है कि केन्द्रीय सरकार ने जो राशि मंजूर की वह जिस योजना में खर्च करने के लिये मांगी गई थी उसमें वह उचित रूप से खर्च कर दी गई थी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जी हां । जैसा कि विवरण में उल्लिखित है, २४,४२६ रुपये मंजूर किये गये थे और यह राशि जिस योजना के लिये मांगी गई थी उस पर खर्च कर दी गई है । हमें प्रगति रिपोर्टें मिली हैं और इस बात को नहीं माना जा सकता कि यह राशि बताये गये ढंग के अतिरिक्त किसी अन्य ढंग से खर्च की गई है ।

सीमा पर होने वाले छापे

*१३९१. **श्री राधा रमण** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि सीमा पर होने वाले छापों को रोकने के सम्बन्ध में हाल ही में बाड़मेर में भारत तथा पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें क्या निर्णय हुआ था ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : ५ तथा ६ दिसम्बर १९५३ को भारत तथा पाकिस्तान के पुलिस अधिकारियों का एक सम्मेलन बाड़मेर में हुआ था । सीमा पर होने वाले छापों को रोकने के सम्बन्ध मे उस सम्मेलन में किये गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों का संक्षिप्त वृत्तान्त निम्नलिखित है :—

१. सीमान्त राज्यों के पुलिस अधिकारियों के संयुक्त निर्णयों की कार्यान्विति का पुनर्विलोकन करने तथा समय समय पर सीमा पर होने वाली घटनाओं की परिस्थिति पर विचार विमर्श करने के हेतु पुलिस अधिकारियों की उच्च स्तर पर बैठकें अधिक बार होनी चाहियें ।

२. प्रशासन सम्बन्धी सुविधा के लिये, पश्चिमी पाकिस्तान तथा राजस्थान और कच्छ के बीच की सीमा को मोटे तौर से चार खण्डों में बांट दिया जाय तथा दोनों देशों की पुलिस में निकट तथा प्रभावी सम्पर्क बनाये रखने के लिये प्रत्येक खण्ड में दोनों देशों के पुलिस अधिकारियों की बैठकें समय समय पर हुआ करें ।

३. सीमान्त पर अपनी कार्यवाही करने वाले बदमाशों तथा अपराधी दलों के सम्बन्ध में दोनों देशों के बीच सूचना का आदान प्रदान होना चाहिये और यद्यपि इन अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही करना सम्बद्ध क्षेत्र की पुलिस का ही उत्तरदायित्व है, इस मामले में दोनों देशों की पुलिस के बीच प्रभावी सहयोग होना चाहिये ।

४. सीमा पर नियुक्त पुलिस दल को ये अनुदेश देना चाहिये कि उसे दूसरे देश के अधिकारियों की अनुमति के बिना किन्हीं भी परिस्थितियों में सीमा पार नहीं करनी चाहिये ।

श्री राधा रमण : जब यह निर्णय किया गया था तब से विभिन्न खण्डों में कितनी बार बैठकें हुईं ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस विशेष खण्ड में पहिली बैठक अक्टूबर, १९५० में हुई थी । कुछ कठिनाइयों के कारण बहुत समय तक कोई बैठक नहीं हो सकी । अगली बैठक, यह दूसरी बैठक है, दिसम्बर, १९५३ में हुई थी ।

श्री राधा रमण : गत वर्ष सीमा पर होने वाले कितने छापों की रिपोर्ट आई थी और सरकार ने उनके सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इसी सीमा पर होने वाले छापे या पूरी सीमा पर ?

श्री राधा रमण : इस खण्ड पर ।

श्री अनिल के० चन्दा : मेरे पास इस समय यह सूचना नहीं है । मेरी सूचना के अनुसार सीमा पर छापे के बहुत मामले नहीं हुए ।

दूर संचार

*१३९३. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विदेशों में प्रशिक्षित उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो प्ररोचन सहयोजन की समस्याओं के सम्बन्ध में कार्य करने के लिये विद्युत् तथा दूर संचार लाइन समन्वय सम्बन्धी केन्द्रीय स्थायी समिति के अन्तर्गत कार्य कर रहे हैं;

(ख) विभिन्न बिजली कम्पनियों और डाक तथा तार विभाग के बीच उन झगड़ों की संख्या कितनी है जिनके सम्बन्ध में उन्होंने १९५३ में कार्यवाही की है और उसका क्या परिणाम हुआ;

(ग) क्या इस अवधि में मिट्टी रोधित्व सर्वेक्षण किये गये थे तथा अल्पवारंवारता विद्युत चुम्बकीय प्ररोचन (लो फ्रीक्वेंसी इलैक्ट्रो-मैगनेटिक इंडक्शन) पर प्रयोग किये गये थे; तथा

(घ) यदि ऐसा है, तो कैसे और कहां ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या २]** ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण से यह ज्ञात होता है कि चार अधिकारियों को विदेश भेजा गया था । क्या इन चार अधिकारियों में वे दो अधिकारी भी सम्मिलित हैं जिनको संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण के लिये भेजा गया है ?

श्री हाथी : इसमें उनमें से दो नहीं एक अधिकारी सम्मिलित है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि दो अधिकारियों को भेजा गया था ?

श्री हाथी : इस समय जिन दो का उल्लेख किया गया है उनमें से एक अधिकारी समिति में कार्य कर रहा है ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं विद्यमान टेक्निकल तथा कानूनी दोनों प्रकार के नियमों तथा विनियमों की जांच करने के लिये दीर्घकालीन कार्यक्रम जान सकता हूं ?

श्री हाथी : इस समिति की स्थापना टेलीफोनों के लिये बिछाई गई विद्युत लाइनों तथा विद्युत् पारेषण लाइनों में होने वाले संघर्ष की जांच करने के लिये ही की गई है । हर बार जब भी नई विद्युत् लाइन तैयार करनी होती है, तो समिति को यह कार्य करना पड़ता है । यह एक स्थायी समिति है जिसे कार्य करना पड़ेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह समिति ध्वनि वारंवारता (फ्रीक्वेन्सी) प्रणाली की भी जांच करती है ?

श्री हाथी : नहीं, यह साधारणतः अल्प-वारंवारता प्रोचन (इंडक्शन) की परीक्षा करती है ।

बर्मा से व्यापार

***१३९४. श्री के० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) १९५२–५३ में बर्मा को निर्यात की गई लोहे, इस्पात तथा नालीदार चादरों की योग मात्रा;

(ख) १९५२–५३ में बर्मा से आयात किये गये तथा बर्मा को निर्यात किये गये माल का योग मूल्य; तथा

(ग) क्या इस वर्ष अथवा पिछले वर्ष वस्तु-विनिमय के आधार पर बर्मा से व्यापार करने का कोई प्रयत्न किया गया है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). एक विवरण सदन पटल पर रखा है । [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ३**] ।

(ग) बर्मा तथा भारत सरकार में वस्तु-विनिमय के आधार पर कुछ वार्ता चली थी किन्तु उससे कुछ परिणाम नहीं निकला है ।

श्री के० पी० सिन्हा : हमने जो इस्पात निर्यात किया था उसका मूल्य नियंत्रित दर वाला था अथवा उससे अधिक ?

श्री करमरकर : सामान्य दर जिसमें निर्यात शुल्क और सम्मिलित था ।

श्री के० पी० सिन्हा : इस काल में हमने बर्मा को कुल कितना कोयला निर्यात किया है ?

श्री करमरकर : वे आंकड़े इस समय मेरे पास नहीं हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न में यह बात नहीं आती है ।

श्री रघुनाथ सिंह : बरमा और हिन्दुस्तान के बीच जो ट्रेड का बैलेंस है वह हिन्दुस्तान के फेवर (पक्ष) में है या बरमा के फेवर में है ?

श्री करमरकर : १९५२–५३ में हमारे निर्यात का मूल्य २२,०६,००,००० रु० तथा आयात का मूल्य २६,४६,००,००० रु० था । १९५३–५४ में, अप्रैल से दिसम्बर तक हमारे निर्यात का मूल्य १६·५७ करोड़ रुपया तथा आयात का मूल्य १६·३२ करोड़ रुपया था ।

श्री मुनिस्वामी : क्या यह सच है कि बर्मा सरकार द्वारा भारतीय कपड़े के आयात पर एक नया शुल्क लगा दिया गया है ?

श्री करमरकर : यह नये शुल्क का प्रश्न नहीं है । पुराने करार के अन्तर्गत उन्होंने हमको तथा कुछ अन्य देशों को कुछ प्राथमिकताएं दी हैं : जो मैं समझता हूं कि आंग्ल-बर्मा व्यापार करार है । अब उन्होंने इन प्राथमिकताओं को, जहां तक वे कर सकते थे, समाप्त कर दिया है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या इस्पात तथा लोहे के आयात के सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार करना यहां के निजी व्यापारियों तथा बर्मा के निजी व्यापारियों के ऊपर छोड़ दिया गया था अथवा सरकार करती थी ?

श्री करमरकर : हां, इस को निजी रूप से पत्र-व्यवहार करने के लिये छोड़ दिया गया था ।

समाजिक समस्याओं में गवेषणा

***१३९५. श्री बी० के० दास** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सामाजिक समस्याओं तथा सामाजिक कार्य के क्षेत्रों में गवेषणा करने का कोई कार्यक्रम बनाया जा चुका है ;

(ख) यदि ऐसा है तो इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये कौन सी मशीनरी स्थापित की गई है; तथा

(ग) योजना में गवेषणा के लिये जो ५० लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है, वह किस प्रकार व्यय की जायगी ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) तथा (ख). प्रादेशिक तथा नागरिक विकास सम्बन्धी सामाजिक समस्यायें गवेषणा कार्यक्रम समिति द्वारा बनाये गये कार्यक्रम में सम्मिलित हो गई हैं। इस शीर्षक में आने वाली सभी योजनाओं तथा स्वीकृत अनुदानों का एक विवरण सदन पटल पर रखा है। **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ४]**। जांच पड़ताल विश्वविद्यालयों, कालेजों तथा गवेषणा संस्थाओं द्वारा की जायगी। गवेषणा कार्यक्रम समिति द्वारा समय-समय पर विशिष्ट गवेषणा सम्बन्धी कार्यक्रमों को स्वीकार किया जाता है।

(ग) ११·७८ लाख रुपये की लागत वाली योजनाओं को १५ मार्च तक स्वीकृति दी गई थी। इस सम्बन्ध में २५ मार्च, १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर में सदन पटल पर रखे गये विवरण की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

श्री बी० के० दास : विवरण में गवेषणा की कुछ श्रेणियों का उल्लेख किया गया है। क्या गवेषणा की और भी श्रेणियां हैं, और यदि हैं तो कौन-कौन सी ?

श्री नन्दा : यह सामाजिक समस्याओं से सम्बन्धित गवेषणा के विषय में है। भूमि तथा विनियोग आदि से सम्बन्धित गवेषणा की श्रेणियां भी हैं।

श्री बी० के० दास : विश्वविद्यालय अथवा अन्य सामाजिक संस्थाएं आदि वे एजेंसियां कौन सी हैं जो उन श्रेणियों पर गवेषणा कर रही हैं ?

श्री नन्दा : विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं के नाम विवरण में दिये हुए हैं। उनमें से अधिकांशतः विश्वविद्यालय ही हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : गवेषणा के लिये विषयों का चुनाव गवेषणा कार्यक्रम समिति द्वारा किया जाता है अथवा सम्बन्धित विश्वविद्यालयों द्वारा ?

श्री नन्दा : पहले उन विषयों का वर्गीकरण, गवेषणा कार्यक्रम समिति द्वारा कर दिया गया था, जिसमें विश्वविद्यालयों से सम्बन्ध रखने वाले अधिकांश ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रियों ने भी भाग लिया था। ये विषय विश्वविद्यालयों को बता दिये गए थे किन्तु विश्वविद्यालय इन के स्थान पर अन्य विषय बताने के लिये स्वतन्त्र हैं।

श्री एन० एम० लिंगम : इन गवेषणाओं का उद्देश्य क्या है और वे शिक्षा मंत्रालय द्वारा किये जाने वाले सामाजिक तनावों के अध्ययन से कहां तक भिन्न हैं ? इन सामाजिक समस्याओं के अध्ययन से निकाले गए परिणाम क्या हैं ?

श्री नन्दा : जहां तक प्रश्न के प्रथम भाग का सम्बन्ध है वह संकुचित पहलू है और निश्चय ही बहुत आवश्यक भी है। किन्तु वह गवेषणा जिससे हमारा यहां सम्बन्ध है वह देश के आर्थिक विकास से सम्बन्ध रखती है। जहां तक परिणामों का सम्बन्ध है, यह कार्यक्रम हाल ही में आरम्भ किया गया है।

श्री वेलायुधन : वे सामाजिक समस्यायें किस प्रकार की हैं जिनके सुधार के लिये भारत सरकार ने अनुदान दिए थे ?

उपाध्यक्ष महोदय : विवरण में यह सभी कुछ दिया हुआ है।

श्री नन्दा : सूची में सोलह मद दिये हुए हैं।

श्री टी० के० चौधरी : इस गवेषणा कायक्रम समिति के कार्य के लिये आगामी वर्ष के लिये २० लाख रुपये की राशि की व्यवस्था की गई है। क्या मैं इस गवेषणा के निदेश तथा इसके कारण जान सकता हूं कि

यह बढ़ाया गया उपबन्ध आवश्यक क्यों समझा गया है ?

श्री नन्दा : योजना में कुल ५० लाख रुपये की व्यवस्था की गई है । प्रथम वर्ष में केवल २ लाख रुपया व्यय किया गया था । आगामी वर्ष में २० लाख रुपया व्यय किया जायगा । शेष राशि योजना के बचे हुए वर्षों में व्यय की जायगी ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : उन दो विश्व-विद्यालयों के सम्बन्ध में क्या होता है जो एक ही विषय ले लेते हैं ?

श्री नन्दा : ऐसी अवस्था में उन विश्व विद्यालयों में से किसी एक से एक विषय ले लेने के लिये कहा जाता है और दूसरे विश्व-विद्यालय को कोई दूसरा विषय दे दिया जाता है ।

पंचवर्षिय योजना सम्बन्धी प्रचार

***१३९७. श्री बहादुर सिंह :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री उन क्षेत्र प्रचार अधिकारियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जो हाल में प्रत्येक राज्य के लिए देश में पंचवर्षीय योजना का प्रचार करने के लिए भर्ती किए गए हैं ?

(ख) क्या यह सभी नियुक्तियां एक ही समय में कर दी गई थीं अथवा धीरे धीरे ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) क्षेत्र प्रचार कार्य के लिए स्वीकृत किए गए ३२ स्थानों में से २१ स्थानों के लिए एक तदर्थ समिति द्वारा प्रवरण (सीलेक्शन) की रीति से तथा संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से अस्थायी नियुक्तियां कर ली गई हैं । अन्तिम भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही की जाएगी । इन अधिकारियों की नियुक्ति किन्हीं विशेष राज्यों के लिए नहीं की गई है किन्तु वे विभिन्न राज्यों के विभिन्न प्रदेशों में काम करेंगे ।

(ख) धीरे धीरे ।

श्री बहादुर सिंह : पहली टुकड़ी में कितने आदमी नियुक्त किए गए हैं और उनकी नियुक्ति में किन किन अर्हताओं को ध्यान में रखा गया है ?

डा० केसकर : यह अधिकारी भिन्न भिन्न प्रकार के कार्यों के लिए हैं । प्रत्येक प्रकार के कार्य के लिए भिन्न प्रकार की अर्हताएं होती हैं परन्तु मैं कह सकता हूं कि अस्थायी रूप में भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों में भी किसी विशेष पद के लिए अपेक्षित न्यूनतम अर्हताएं होनी ही चाहिएं ।

डित के० सी० शर्मा : उस पद के लिए विज्ञापित अर्हताएं ।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर : क्या इन अर्हताओं में नाटकीय योग्यता भी आती है, जैसा कि त्रावणकोर-कोचीन में हुए एक केस से स्पष्ट है, जिसमें.....

उपाध्यक्ष महोदय : हमें तर्क वितर्क में नहीं पड़ना चाहिए । माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं कि क्या नाटकीय योग्यता भी सम्मिलित है और इसके पश्चात् उत्तर दिया जा सकता है ।

डा० केसकर : नाटकीय योग्यता भी एक अर्हता है । मैं इसी समय तो ठीक नहीं बता सकता किन्तु कई एक पद ऐसे हैं जहां नाटकीय योग्यता की आवश्यकता होती है । किन्तु मैं नहीं कह सकता कि वह इस सूची में है या नहीं ।

श्री वेलायुधन : क्या यह सभी नियुक्तियां संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से की गई थीं या संघ लोक सेवा आयोग ने अब इन सभी पदों के लिए विज्ञापन दिया है जबकि नियुक्तियां हो चुकी हैं ?

डा० केसकर : माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को ध्यान से नहीं सुना ह । जैसे ही अनुपूरक मांग स्वीकृत हुई हम संघ लोक

सेवा आयोग के पास गए । हमने उनके साथ चर्चा की और यह जानना चाहा कि क्या वे इन पदों के लिए शीघ्रातिशीघ्र नियुक्तियां कर सकते हैं । उन्होंने इतने कम समय के अन्दर इन सभी लोगों की भर्ती कर सकने के बारे में अपनी असमर्थता प्रकट की । उन्होंने कहा कि उन्हें इस काम में लगभग ४-६ महीने लग जाएंगे और इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इतने तक संसद् द्वारा स्वीकृत राशि व्यपगत हो जाएगी । हमारी प्रार्थना पर उन्होंने यह मान लिया कि कुछ एक पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएं जिससे काम चालू हो सके ।

श्री रघुनाथ सिंह : हम यह जानना चाहते हैं कि कम से कम कौनसी परीक्षा उसके लिए आवश्यक है, ऐंट्रेस या बी० ए०, कम से कम क्या क्वालीफिकेशन उनके लिए रक्खी गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक पद विशेष के लिए न्यूनतम अर्हता होती है । 'कम से कम' पूछने का क्या अभिप्राय है ?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं पदाधिकारियों (आफिसरों) के बारे में पूछ रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक । संगीत शिक्षक और नृत्य शिक्षक में भेद होता है ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या रक्षण सम्बन्धी नियम इन पदों को लागू होते हैं, और यदि होते हैं तो अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कितने अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई है ?

डा० केसकर : मुझे इसके लिए पूर्व-सूचना चाहिए ।

पंडित सी० एन० मालवीय : इन पदाधिकारियों की कार्य पद्धति क्या है ? उदाहरणतया, यदि वे हिन्दी की कोई परीक्षा पास कर लेते हैं किन्तु बी० ए०, एफ० ए०, आदि की परीक्षा पास नहीं करते तो क्या उन्हें ले लिया जायगा ?

डा० केसकर : ये पद भिन्न प्रकार के हैं, अतः मैं उन सब के बारे में एक ही प्रकार का उत्तर नहीं दे सकूंगा । उदाहरणार्थ, कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए हिन्दी की आवश्यकता है किन्तु कुछ ऐसे भी हैं जिनके लिए हिन्दी का ज्ञान आवश्यक नहीं है । कुछ पद ऐसे हैं जिनके लिए डिग्री की आवश्यकता नहीं होगी, जैसे कैमरामैन तथा फोटोग्राफर ।

पंडित सी० एन० मालवीय : कार्य-पद्धति क्या होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : संघ लोक सेवा आयोग।

पंडित सी० एन० मालवीय : कुछ न कुछ कार्यपद्धति तो अवश्य होगी । क्या वे केवल लेक्चर ही दिया करेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य कार्य पद्धति के विषय में लेक्चर आरम्भ कर रहे हैं । प्रवरण कार्य तो संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ही होता है । यह माननीय मंत्री ने बता दिया है । अर्हताएं भिन्न पदों के लिए भिन्न होती हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि जो लोग पब्लिक सर्विस कमीशन के सामने परीक्षा के लिए जाते हैं, उनके लिए यह ज़रूरी है कि वह किसी एक खास किस्म की पोशाक पहन कर आएं और यदि खास पोशाक नहीं पहनते हैं तो उनको रिजेक्ट कर दिया जाता है ?

डा० केसकर : यह गृह-कार्य मंत्रालय का विषय है, अतः वही इसका उत्तर दे सकते हैं ।

पत्तनों पर निर्यात संस्थायें

*१३९८. **श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पत्तनों में निर्यात संस्थाओं की स्थापना

के लिए नियुक्त किये गये विशेष अधिकारी ने इस कार्य में क्या प्रगति की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): इस अभिप्राय से किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त नहीं किया गया था । इन मामलों में मंत्रालय के निर्यात विभाग द्वारा जिसके कर्मचारियों की हाल में संख्या बढ़ाई गई थी, कार्यवाही की जाती है ।

श्री नानादास : सरकार ने तम्बाकू के निर्यात व्यापार को उन्नत करने के लिए क्या क्या विशेष उपाय किये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी: निर्यात को उन्नत करने के इस कार्य की देख रेख करने के लिये भारतीय केन्द्रीय तम्बाकू समिति की एक उपसमिति बनाई गई है । हमने हाल में दो अधिकारियों को विदेशों में जाकर तम्बाकू के विक्रय की सम्भावनाओं की खोज करने के लिये नियुक्त किया है ।

भाकड़ा-नंगल परियोजना में धन का गबन

*१३९९. **श्री एल० एन० मिश्र :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री ७ दिसम्बर, १९५३ को भाकड़ा-नंगल परियोजना में सरकारी धन के ग़बन के बारे में पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ६७० के उत्तर का निर्देश करके बतायेंगे :

(क) क्या अभियुक्त व्यक्तियों को दण्ड दिया गया था अथवा वे छोड़ दिये गये थे; तथा

(ख) सरकार ने ऐसे कामों को फिर होने से रोकने के लिये क्या उपाय किये हैं ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) मामलों की अभी छानबीन हो रही है ।

(ख) (१) ठेके की प्रणाली के स्थान पर, जिससे भ्रष्टाचार की सम्भावनायें हो सकती हैं, भाकड़ा बांध में काम को विभागीय रूप से किया जा रहा है ;

(२) भ्रष्ट अधिकारियों को दण्ड देने तथा दुरुत्साहित करने के लिए मुकद्दमे चलाना;

(३) नियमों को कठोरता से लागू करने के लिये वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा अधिक देख रेख तथा अधिक भुगतान की सम्भावना को रोकने के लिए कारखानों तथा लेखाओं की कठोरतापूर्ण जांच पड़ताल ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या यह देखने के लिए कि ऐसी बातें कैसे और क्यों होती हैं, कोई जांच पड़ताल की गई है, तथा यदि ऐसा है, तो जांच की उपपत्तियां क्या हैं ?

श्री हाथी : इस बात के बारे में जांच पड़ताल की गई थी कि किस परिस्थिति में यह अधिक भुगतान किया गया है ।

श्री एल० एन० मिश्र : क्या किसी दूसरी नदी घाटी परियोजना से भी धन के ग़बन की कोई सूचना मिली है ?

श्री हाथी : यह भाकड़ा के सम्बन्ध में है, परन्तु कुछ दूसरी परियोजनाओं के बारे में भी ऐसा ही हुआ है ।

श्री टी० एन० सिंह: मैं जान सकता हूं कि इन बातों के सरकार के ध्यान में आने तथा सरकार द्वारा जांच पड़ताल के आदेशों के दिये जाने के बीच कितना समय लिया गया तथा अभी तक जांच में लिये गये समय को भी बताया जाय ?

श्री हाथी: परियोजना अधिकारियों के ध्यान में यह बात १९३२ में आई थी तथा उन्होंने पंजाब राज्य सरकार से शिकायत की थी । अब मामला पंजाब सरकार के हाथ में है । वस्तुतः तब से ही जांच पड़ताल हो रही है ।

श्री मुनिस्वामी : कितने अभियुक्त ठेकेदार थे तथा कितने सरकारी अधिकारी ?

श्री हाथी : ये नाम सरकारी अधिकारियों के हैं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार इस दो वर्ष की कालावधि को कम करने का विचार रखती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही के लिए एक सुझाव है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इस भ्रष्टाचार में अन्तर्ग्रस्त अधिकारी अभी सेवायुक्त हैं अथवा मुअत्तल हैं ?

श्री हाथी : श्रीमान्, वे मुअत्तल हैं ।

हाथकरघा उद्योग

*१४०२. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) हाथकरघा उद्योग के लिये भारत में प्रति वर्ष कितने टन सूत की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) इस उद्योग के विकास के लिए कितने टन सूत की और आवश्यकता होगी और

(ग) क्या भारतीय मिलें इस आवश्यकता को पूरा कर सकती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). योजना आयोग ने १९५५-५६ के अन्त में १७,००० लाख गज़ हाथकरघे के कपड़े के उत्पादन का अनुमान लगाया है, इसके लिये ३,८०० लाख पौंड सूत की आवश्यकता होगी। १९५३ में आन्तरिक खपत के लिये लगभग ३,७७० लाख पौंड सूत दिया गया था, इसमें से लगभग ८० प्रतिशत हाथकरघा उद्योग को मिला ।

(ग) जी हां ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : हाथकरघा उद्योग को जितने भी सूत की आवश्यकता होती है उस सारी मात्रा के उत्पादन के लिये क्या पग उठाये जाते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : यदि अधिक सूत की आवश्यकता हो, तो मेरे विचार से मिलें उसे पूरा कर सकती हैं । भाग (ग) के उत्तर में मैं पहले ही बता चुका हूं कि मिलें मांग को पूरा कर रही हैं और यदि आवश्यकता पड़ी तो वे अतिरिक्त मांग को भी पूरा कर सकती हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : हाथकरघे के कारखानों में और खड्डियों में कितने प्रतिशत सूत लगता है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे विचार में माननीय सदस्य का अभिप्राय विद्युत् करघों के कारखानों से है । मेरे पास इसका प्रथक् ब्यौरा नहीं है ।

श्री हेडा : हाथकरघों में कितना या कितने प्रतिशत सूत लगता है यह पता लगाने के लिये क्या सरकार के पास कोई व्यवस्था है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कितना सूत लगता है इसका पता लगाने का हमारे पास एक ही ढंग है; अर्थात् खुले बाजार में कुल जितना सूत दिया जाता है उसमें से वह मात्रा घटा दी जाती है जो कपड़ा बनाने के लिये प्रयुक्त नहीं की जाती है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार कुछ नम्बरों के सूत को केवल हाथकरघे से बुनने के लिये सुरक्षित रखने का विचार कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : अभी हम सुरक्षित रखने के विषय में नम्बरों तक नहीं पहुंचे हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : क्या यह सच है कि सरकार विद्युत् करघों को प्रोत्साहन दे रही है, हाथ से चलने वाले करघों को नहीं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : नहीं, श्रीमान्; सरकार ऐसा नहीं करती है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या विभिन्न राज्यों की सूत की मांग घटती-बढ़ती रहती है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे खेद है कि मेरे लिये इसका उत्तर देना कठिन है ।

उपाध्यक्ष महोदय : न तो मुझे प्रश्न सुनाई दिया है और न ही उत्तर ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या विभिन्न राज्यों के हाथकरघा उद्योगों की सूत की मांग घटती-बढ़ती रहती है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उपाध्यक्ष महोदय : इतना व्यापक प्रश्न !

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान् मुझे खेद है कि इस समय मेरे लिये इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है ।

गंडक सिंचाई योजना

*१४०४. **श्री एच० एस० प्रसाद :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने गंडक नदी की सिंचाई योजना केन्द्रीय सरकार के पास वित्तीय तथा टेक्निकल सहायता के लिये प्रस्तुत की है; और

(ख) यदि हां, तो इस नहर के निर्माण के लिये सरकार का क्या पग उठाने का विचार है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस योजना पर दूसरी पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में विचार किये जाने की आशा है ।

श्री झूलन सिन्हा : क्या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई गंडक नदी सम्बन्धी योजना किसी प्रकार बिहार सरकार द्वारा प्रस्तुत की गई योजना से भिन्न है ?

श्री हाथी : यह गडंक योजना उत्तर प्रदेश में गंडक नहर परियोजना के लिये है और इसका बिहार स्थित गंडक नदी से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री टी० एन० सिंह : इसके कम से कम द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने तक अनुसंधान जारी रखने के लिये क्या सरकार अथवा योजना आयोग द्वारा कोई मंजूरी दी गई है ?

श्री हाथी : अनुसंधान करना राज्य सरकार का काम है; केन्द्रीय सरकार ने राज्य को अनुसंधान कार्य के लिये कुछ मंजूर नहीं किया है ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार ने इस योजना के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश सरकार से परियोजना प्रतिवेदन के रूप में अथवा प्रारूप प्रतिवेदन के रूप में कोई प्रतिवेदन प्राप्त किया है ?

श्री हाथी : हमें एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, किन्तु यह अभी सम्पूर्ण नहीं है ।

श्री विश्वनाथ राव : इस योजना के अधीन कितने एकड़ भूमि में सिंचाई होगी ?

श्री हाथी : १·६३ लाख एकड़ भूमि ।

श्री विश्वनाथ राव : योजना की लागत का क्या मोटा अनुमान लगाया गया है ?

श्री हाथी : सरकार को इस समय १९४ लाख रुपये का मोटा अनुमान बताया गया है ।

सेठ अचल सिंह : क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गंडक स्कीम के अलावा और भी कोई स्कीम उत्तर प्रदेश की सरकार ने भेजी है ?

श्री हाथी : उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा तीन और योजनायें प्रस्तुत की गई थीं ।

श्री टी० एन० सिंह : क्या सरकार को उत्तर प्रदेश और बिहार में गंडक की बाढ़ द्वारा किये गये विनाश कार्य का कुछ पता है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ? यह केवल नदी योजना है ।

श्री सिंहासन सिंह : क्या सरकार ने इस योजना को द्वितीय पंचवर्षीय योजना में लेने का निर्णय कर लिया है ?

श्री हाथी : यह निर्णय अभी किया जाने को है और पहले इस पर परामर्शदात्री समिति द्वारा विचार किया जायेगा ?

श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस योजना में एलेक्ट्रिक का उत्पादन भी शामिल है ?

श्री हाथी : जी नहीं, केवल सिंचाई ।

श्री विभूति मिश्र : क्या सरकार जो उत्तर प्रदेश और बिहार की दो योजनायें एक ही नदी गंडक से निकलती हैं, उनको एक में नहीं शामिल कर सकती है ?

श्री हाथी : यह सब उन योजनाओं पर निर्भर है, जो नियुक्त की गई परामर्शदात्री समिति को विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, और परामर्शदात्री समिति उनका परीक्षण करेगी ।

सूचना की स्वतंत्रता

***१४०५. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** (क) क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, जिसके सम्बन्ध में पता लगा है कि उसने अपने सदस्य देशों को अपने विचार प्रस्तुत करने के विषय में निमंत्रण देने का हाल में एक संकल्प पारित किया है, भारत से भी "सूचना की स्वतंत्रता" सम्बन्ध में अपने विचार प्रस्तुत करने का निवेदन किया था ?

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अपने विचार प्रस्तुत कर दिये हैं ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य है, और यदि हां, तो क्या उसे इस निमंत्रण से बहिष्कृत किया गया है ?

डा० केसकर : माननीय सदस्य ने संयुक्त राष्ट्र संघ का संकल्प ध्यानपूर्वक नहीं पढ़ा है, और मैं समझता हूं कि इसीलिये वह यह प्रश्न पूछ रहे हैं । संकल्प के दूसरे भाग में कहा गया है कि महासभा सूचना उपक्रमों और व्यावसायिक संस्थाओं को प्रारूप अन्तर्राष्ट्रीय आचार नीति संहिता के सम्बन्ध में अपनी टिप्पणियां भेजने के लिये निवेदन करने का महासचिव को निमंत्रण देती है । उसने राज्यों की सरकारों से अपने विचार प्रस्तुत करने को नहीं कहा है ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्योंकि सूचनाओं की कमी या अभाव तथा सूचना की स्वतंत्रता के अभाव के कारण भारत के प्रेस पर यह खुला आरोप लगाया जाता है कि यह बहुत अधिक अनुमान से काम लेता है, सरकार समस्त पद्धति को ठीक करने के लिये क्या कार्यवाहियां करना चाहती है ?

डा० केसकर : क्या यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न होती है ?

उपाध्यक्ष महोदय : जी, नहीं ।

राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन

***१४०६. श्री भागवत झा आजाद :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार एक राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन बनाने का विचार करती है; तथा

(ख) उस के कार्य क्या होंगे ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) राष्ट्रीय निर्माण संगठन का मुख्य कार्य भवन निर्माण सामग्री और निर्माण सम्बन्धी प्रणाली विषयक गवेषणा में सामंजस्य स्थापित करना तथा भारत और विदेशों में हो रही ऐसी गवेषणाओं के परिणामों को निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के भवन निर्माण उद्योग को ऐसे रूप में उपलब्ध करना होगा जिस को वे सरलता से समझ सकें ।

श्री भागवत झा आजाद : क्या यह संगठन अभी तक कोई नमूने तैयार कर सका है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वस्तुतः इस संगठन ने अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया है ।

श्री भागवत झा आजाद : इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि यह संगठन दो वर्ष अथवा दो मास--जिस का कोई महत्व नहीं है--बाद आरम्भ होने जा रहा है, क्या सरकार तैयार किये जाने वाले नमूने की लागत की कोई सीमा निश्चित करने का विचार कर रही है ताकि वह प्रत्येक क्षेत्र के लोगों के सामर्थ्य के अनुसार हो ?

सरदार स्वर्ण सिंह : श्रीमान, मैं समझता हूं कि इस सम्बन्ध में कुछ भ्रांति है । राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन का कार्य कोई विशिष्ट नमूने तैयार करना नहीं होगा । यदि माननीय सदस्य प्रदर्शनी में रखे गये नमूने के घरों के आधार पर सोच रहे हैं, तो वह एक भिन्न बात है । राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन केवल नमूने के मकान तैयार करने की अपेक्षा कहीं अधिक कार्य करेगा ।

श्री हेडा : इस संगठन पर गत वर्ष का अनुमानित व्यय क्या था और उस में से वास्तव कितना व्यय हुआ था ?

सरदार स्वर्ण सिंह : अनुमानित व्यय आयव्ययक में था । मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य, जो एक बहुत सतर्क सदस्य हैं, आंकड़े जानते हैं । मैं बता चुका हूं कि राष्ट्रीय भवन निर्माण संगठन ने अभी तक कार्य आरम्भ नहीं किया है अतः कोई व्यय नहीं हो सकता था ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : क्या यह सच है कि सरकारी योजना के अनुसार नियोजक ऋणों एवं अनुदानों से लाभ नहीं उठाते रहे हैं? यदि हां, तो क्या सरकार सुविधानुसार प्रत्यक्ष रूप से अथवा गृह निर्माण बोर्डों के द्वारा घर बनवाने का काम करने के लिये तैयार है ?

उपाध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : एक और प्रश्न औद्योगिक आवास योजना के सम्बन्ध में है और मैं माननीय सदस्य से अपने अनुपूरक प्रश्न को उस के लिये रक्षित रखने का अनुरोध करूंगा ।

नैपाल में भारतीय पूंजी

*१४०७. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) नैपाल के उद्योगों में भारतीयों द्वारा कुल कितनी धन राशि पूंजी के रूप में लगाई गई है;

(ख) प्रति वर्ष औसतन कितनी धन-राशि पूंजी के रूप में लगाई गई; तथा

(ग) क्या नैपाल सरकार द्वारा नैपाल में भारतीय उपक्रमों पर कोई प्रतिबन्ध लगाये गये हैं ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : (क) कोई प्रामाणिक आंकड़े प्राप्य नहीं हैं; परन्तु अनुमान है कि भारतीयों ने नैपाल में कुल लगभग १५ करोड़ रुपये पूंजी के रूप में लगाये हैं ।

(ख) कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(ग) जी नहीं; परन्तु किसी भी नये उपक्रम को आरम्भ करने से पूर्व नैपाल सरकार की अनुमति आवश्यक होती है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या नैपाल में भारतीय पूंजी के लगाये जाने के सम्बन्ध में नैपाल और भारत के बीच कोई समझौता हुआ है ?

श्री अनिल के० चन्दा : नैपाल में भारतीयों द्वारा पूंजी लगाये जाने के सम्बन्ध में कोई झंझट नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी भारतीयों द्वारा किन प्रमुख उद्योगों में पूंजी लगाई गई है ?

श्री अनिल के० चन्दा : अधिकांश भारतीय पूंजी कपड़ा, जूट, चीनी, खाद्य तेलों, तिलहन और खाद्यान्नों में लगी हुई है ।

श्री मुनिस्वामी : नैपाल सरकार द्वारा भारतीयों को क्या सुविधायें दी जाती हैं ?

श्री अनिल के० चन्दा : वे ही सुविधायें जो स्वयं नैपाल के लोगों को मिल सकती हैं ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच है कि गत दो या तीन वर्षों से भारतीयों द्वारा नैपाल में पूंजी अविनियोजन लगातार होता जा रहा है ?

उपांध्यक्ष महोदय : क्या 'अविनियोजन' से माननीय सदस्य का आशय पूंजी के वापस लेने से है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जहां तक हमें मालूम है, ऐसा नहीं प्रतीत होता है कि हमारी कोई पूंजियां वापस ली गई हैं । परन्तु हाल में नैपाल में भारतीय पूंजी अधिक नहीं गई है ।

श्री राधेलाल व्यास : क्या उन भारतीय राष्ट्रजनों पर, जिन्होंने नैपाल के उद्योगों में पूंजी लगाई है, नैपाल में और भारत में दोनों स्थानों पर आयकर लगाया जाता है, और यदि हां, तो विदेशों में हमारे पूंजी विनियोजन के सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जहां तक मुझे मालूम है, अभी तक **नैपाल** में कोई आयकर नहीं लगाया गया है, यद्यपि वे इस कर को लगाने का विचार कर रहे हैं ।

वम्सधारा परियोजना

***१४०८. श्री संगण्णा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंध्र सरकार ने वम्सधारा परियोजना को, जैसा कि "हिन्दू" समाचार पत्र के १८ फरवरी, १९५४ के अंक में पृष्ठ १२, स्तम्भ ५ पर 'आंध्र में नदी परियोजना' शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित हुआ है, प्रथम पंच वर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने की सिफारिश की है ?

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम हुआ ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी हां ।

(ख) परियोजना की अभी जांच हो रही है, परियोजना प्रतिवेदन तथा प्राक्कलन भारत सरकार को अभी तक नहीं मिला है । सिंचाई तथा विद्युत के सम्बन्ध में अभी हाल ही में जो परामर्शदात्री समिति बनाई गयी थी उस के द्वारा द्वितीय पंच वर्षीय योजना के सिलसिले में इस परियोजना के बारे में यथा-समय विचार किया जायगा ।

श्री संगण्णा : क्या यह निर्णय उड़ीसा सरकार के सहयोग से किया गया है ?

श्री हाथी : इस परियोजना की सिफारिश आंध्र सरकार ने की थी ।

श्री रघुरामय्या : इस परियोजना की जांच शीघ्रता से करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हाथी : उस की जांच कराना और उस के बारे में सूचित करना यह कार्य तो राज्य सरकार का है ।

श्री रघुरामय्या : क्या राज्य द्वारा सिफारिश की गई किसी परियोजना को सम्मिलित किया गया है ?

श्री हाथी : कमी वाले क्षेत्र सम्बन्धी कार्यक्रम के अधीन आंध्र सरकार ने लगभग २८ योजनाओं के बारे में सिफारिश की थी जिन में से १७ योजनायें स्वीकार कर ली गई हैं तथा लगभग ५ करोड़ पये की स्वीकृति दे दी गई है ।

श्री नानादास : क्या सोमसीला परियोजना के बारे में आंध्र सरकार ने सिफारिश की है, यदि हां तो उस परियोजना का क्षेत्र क्या है ?

श्री हाथी : जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सकता है ।

श्री नानादास : मैं यह जानना चाहता हूं क्या आंध्र सरकार ने उस के बारे में सिफारिश की भी है ?

श्री हाथी : सूची में तो इस का नाम नहीं है; इस विशेष परियोजना सम्बन्धी प्रश्नों के उत्तर के लिए मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या इस परियोजना के बारे में आंध्र सरकार तथा उड़ीसा सरकार के बीच कोई समझौता है ?

श्री हाथी : उस परियोजना विशेष के बारे में मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री मुनिस्वामी : क्या तुंगभद्रा उच्चस्तरीय नहर परियोजना को गतिशील बनाने के बारे में कोई कार्यवाही की गई है ?

श्री हाथी : इसे अभी आरम्भ नहीं किया गया है ।

श्री सारंगधर दास : क्या इस परियोजना का जल प्रापक क्षेत्र उड़ीसा में है ?

श्री हाथी : यह भी उसी प्रश्न में निहित होगा, इस परियोजना के बारे में हमारे पास विस्तृत जानकारी नहीं है, अतः विस्तृत जानकारी के बिना इस के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी

***१४०९. श्री वी० पी० नायर :** क्या उत्पादन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमीटेड, जलाहली, के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो उस के कारण; तथा

(ग) कर्मचारियों को दिया जाने वाला न्यूनतम मासिक वेतन ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) तथा (ख). शुरू शुरू में अधिकांशतः भर्ती तदर्थ आधार पर समय और आवश्यकता के अनुसार की गई थी और मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता अलग अलग नहीं दिखाये गये थे अपितु भुगतान इकट्ठे रूप में किये गये थे ।

(ग) मासिक वेतन पर कार्य करने वाले कर्मचारी वहां नहीं हैं । १ मार्च, १९५४ से साधारण अप्रवीण कर्मचारी के लिए न्यूनतम दैनिक वेतन दो रुपया हो गया है जिस में महंगाई भत्ता भी सम्मिलित है ।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह सच है कि जलाहली में स्थित हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फ़ैक्टरी में जो मज़दूरी दी जाती है, वह, इसी क्षेत्र के निकट स्थित, हिन्दुस्तान एअरक्रैफ्ट तथा भारतीय टेलीफून इन्डस्ट्रीज़ में दी जाने वाली न्यूनतम मज़दूरी से अधिक है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं ठीक ठीक नहीं बता सकता कि हिन्दुस्तान एअर क्रैफ्ट में कितनी मज़दूरी दी जाती है । मुझे पता चला है कि यहां की मज़दूरी, बंगलौर के अन्य व्य-

वसायों में दी जाने वाली मज़दूरी के स्तर को ध्यान में रख कर निश्चित की गई है। वास्तव में, इस कारखाने का काम भी, समय के दृष्टिकोण से, बहुत कम है।

श्री वी० पी० नायर : मेरा प्रश्न यह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय तब उन्हें पता नहीं है कि जो मज़दूरी यहां दी जाती है वह अन्य केन्द्रीय उद्योगों में दी जाने वाली मज़दूरी की तुलना में कम है या नहीं है।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार ने यह पता लगाने का कोई प्रयत्न किया है कि यहां दी जाने वाली मज़दूरी में तथा बंगलौर के अन्य सरकारी कारखानों में दी जाने वाली मज़दूरी में कोई अन्तर है या नहीं ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं ने कहा कि यहां दी जाने वाली मज़दूरी अन्य सरकारी या ग़ैर-सरकारी व्यवसायों में दी जाने वाली साधारण मज़दूरी से कम नहीं है। सामान्य जानकारी यही है। मैं हिन्दुस्तान एअरक्रैफ्ट फैक्टरी के सम्बन्ध में कोई विशेष बात नहीं बता सकता हूं।

श्री वी० पी० नायर: काम की दशा का निरीक्षण करने के लिये, विशेषत: मज़दूरों की मज़दूरी के भुगतान की देखभाल रखने के लिये क्या वहां पर कोई श्रम अधिका ी अथवा श्रम कल्याण अधिकारी नियुक्त किया गया है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं समझता हूं कि अभी इस के लिये समय नहीं आया है क्योंकि हम श्रम कल्याण विभाग स्थापित करने वाले हैं। हो सकता है, इस के बाद, इस पर भी विचार किया जाये।

श्री बी० एस० मूर्त्ति: क्या मज़दूरों ने कोई अभ्यावेदन भेजा है कि जो मज़दूरी दी जाती हैं वह बहुत कम हैं यहां तक कि न्यूनतम मज़दूरी से भी कम हैं ?

श्री आर० जी० दुबे : मुझे ज्ञात नहीं है।

श्री टी० के० चौधरी : कारखाने मे मज़दूरों की कुल संख्या कितनी है ?

श्री आर० जी० दुबे : कुल संख्या इस प्रकार है :

प्रवीण मज़दूर	२८
अर्धप्रवीण	३०
अप्रवीण	२३

श्री बी० पी० नायर: क्या यह सच नहीं है कि लगभग ७० मज़दूरों के लिये, प्रबंध कर्त्ताओं ने श्रम कल्याण व्यवस्था की देख रेख करने के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है? क्या यह सच नहीं है कि यह अधिकारी केन्द्र के एक मंत्री का निकटतम सम्बन्धी है ?

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से यह प्रश्न कैसे उत्पन्न होता है ? माननीय सदस्य ने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिस का उत्तर देने की कोई अवाश्यकता नहीं थी। फिर भी उन्होंने उस का उत्तर दे दिया। फिर और प्रश्न किये गये हैं। यह प्रश्न इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है जो मंहगाई भत्ते से सम्बन्धित है।

श्री हेडा : हैदराबाद या बम्बई के अन्य मशीनी औज़ार कारखानों की मज़दूरी की तुलना में यहां की मज़दूरी कैसी है ?

श्री आर० जी० दुबे : मैं कुछ कह नहीं सकता हूं।

गोआ

* **१४१०. श्री बादशाह गुप्त :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि, भारतीय नागरिक, श्री दत्तात्रेय देश पांडे, जिन को पुर्तगाली सरकार अभी हाल में गोआ से लिसबन ले गई है, का स्वास्थ्य इस समय कैसा है ?

वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्री अनिल के० चन्दा) : सरकार को पता लगा है कि श्री देशपांडे बहुत समय से आंख, कान तथा जिगर के कठिन रोगों से पीड़ित हैं। महावाणिज्यदूत ने प्रार्थना की थी कि ग़ैर-सरकारी विशेषज्ञ डाक्टरों द्वारा श्री देशपांडे की जांच कराई जाय, परन्तु पुर्तगाली अधिकारियों नें इस आधार पर इसे स्वीकार नहीं किया क्योंकि जेल विनियमनों में ऐसी प्रक्रिया की अनुज्ञा नहीं दी गई है। बंदी के स्वास्थ्य के प्रति उपेक्षा का व्यवहार करने तथा उनका निर्वासन किये जाने के सम्बन्ध में हम ने पुर्तगाली अधिकारियों से विरोध प्रकट किया है। उन्होंने उत्तर दिया है कि श्री देशपांडे को लिसबन विशेष डाक्टर उपचार के लिये ही भेजा गया है जो गोआ में उपलब्ध नहीं था।

श्रीमान, मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि हमारे पास जो जानकारी है उसकी जांच करने के पश्चात् मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि इस बन्दी के साथ जो व्यवहार किया जाता है वह असभ्य, नृशांस और अत्यंत अमानुषिक है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस आधार पर कि श्री देशपांडे एक राजनीतिक बन्दी हैं, सरकार ने उनका प्रत्यर्पण किये जाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

श्री अनिल के० चन्दा : हमारे पास जो समाचार हैं उन के अनुसार उन्हें सशस्त्र डाके और कतल इत्यादि के आरोपों पर २८ वर्ष कारावास का दण्ड दिया गया है। यह एक ऐसा मामला है जिस के सम्बन्ध में देश बहुत चिन्तातुर है। श्रीमान्, यदि आप मुझे थोड़ा समय दें तो मैं वह जानकारी पढ़कर सुनाऊं जो हमें उस के साथ किये गये व्यवहार के सम्बन्ध में मिली है।

श्री देशपांडे को खाना कपड़ा इत्यादि आवश्यक वस्तुएं ख़रीदने के लिए प्रति दिन चौदह आने दिये जाते थे। यद्यपि यह राशि बहुत थोड़ी थी, उन्हें जेल मुख्याधिकारी को अपनी बहुत सी आवश्यकताओं के लिये दलाली देनी पड़ती थी, क्योंकि उन्हें जेल की केंटीन से सीधे वस्तुएं ख़रीदने की साधारण सुविधा नहीं दी गई थी, उन्हें अपना खाना स्वयं पकाना पड़ता था और जब वह बीमार थे तो भूखा रहना पड़ता था। बार बार प्रार्थना करने पर उन्हें एक टूटी हुई चारपाई, एक चिटाई और एक चादर दी गई जो बहुत मैली थी और खटमलों से भरी हुई थी और जिनका अज्ञात बिमारियों वाले बहुत से बंदियों ने प्रियोग किया था। श्री देशपांडे ने ये सुविधाएं लेने से इनकार कर दिया और बिना किसी कपड़े के भूमि पर सोने रहना अच्छा समझा। बाहर के लोगों को दिखाने के लिए जेल प्राधिकारियों ने उन्हें मजबूर किया कि वह उपरोक्त वस्तुओं को अपने कमरे में रखें। जेल के डाक्टर ने जो हर पन्द्रहवें दिन जेल में अपने दौरे पर जाया करता था, कभी भी श्री देशपांडे की जांच नहीं की और वह ऐसा कहकर उसका मखौल उड़ाया करता था कि "ओह देशपांडे, तुम तो मुक्के बाज़ दिखाई देते हो, तुम्हारी छाती और पट्ठे आश्चर्यजनक ढंग से बढ़ रहे हैं, इत्यादि", और "तुम मर नहीं रहे हो; जब तक तुम्हें बाहर से कोई बीमारी न लगे मैं तुम्हें नहीं देखूंगा।" जेल के चिकित्सा प्राधिकारियों की उपेक्षा का यह परिणाम हुआ कि श्री देशपांडे हड्डियों के ढांचे मात्र रह गये, एक कान से बहरे हो गये और कान और जिगर की बीमारी बढ़ती गई, और अब यह हालत है कि वे पानी तक नहीं पी सकते। जेल में श्री देशपांडे के साथ असभ्य व्यवहार किया गया। लज्जाजनक भाषा का प्रयोग किया गया और कई बार जेल प्राधि-

कारियों ने उन पर गोलियों की बौछार की, कई बार नीगरो सिपाही बुरी तरह उनकी दाड़ी खींचते और उनके साथ इस प्रकार का गंदा व्यवहार करते थे। बार बार उन्हें कोई न कोई चेतावनी दी जाती थी और कई बार तो उन्हें पीटा भी गया।

श्री एस० वी० रामस्वामी : चौदह आने में से उन्हें कितनी दलाली देनी पड़ती थी ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं है।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या सरकार इस प्रकार का व्यवहार रोके जाने के लिए कुछ कर रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : जैसा कि माननीय सदस्य को विदित है दो राष्ट्रों के बीच व्यवहार के लिये कतिपय प्रक्रिया उपबंधित है और हम अब तक उस का अनुसरण कर रहे हैं।

श्री रघुरामय्या : उन पर लगाये गये अतिनृशंस आरोपों और उनके प्रति किये गये व्यवहार का ध्यान रखते हुए सरकार उस को ठीक प्रकार से बचाने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री अनिल के० चन्दा : श्रीमान, उसे पहले ही दण्ड दिया जा चुका है।

श्री एच० एन० मुकर्जी : महा-वाणिज्य-दूत के सत्प्रयास के अतिरिक्त अन्य राजनयिक साधन भी हैं जिन में ऐसे अन्य देशों का बीच में आना भी सम्मिलित है जिन्हें हमें अपना मित्र समझते हैं। क्या इस प्रकार की बातों का अन्त करने के लिए इन साधनों का प्रयोग किया जा रहा है ?

श्री अनिल के० चन्दा : इस विषय को निबटाने के लिए हमें अन्य अभिकर्त्ताओं की क्या आवश्यकता है ?

श्री बी० एस० मूर्ति : जो कुछ उपमंत्री ने पढ़ कर सुनाया है, उस से मैं समझता हूं कि श्री देशपांडे का जीवन खतरे में है। सरकार उन्हें मृत्यु से बचाने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री अनिल के० चन्दा : मैंने अपने उत्तर में पहले ही बता दिया है कि पुर्तगाली प्राधिकारियों ने कहा है कि उसे लिस्बन भेज दिया गया है क्योंकि वहां चिकित्सा की अच्छी सुविधायें होंगी।

बिहार को ऋण

*१४११. **श्री एस० एन० दास** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने बिहार राज्य को बाढ़ रोकने के लिये साढ़े तीन करोड़ रुपया ऋण देना स्वीकार किया है ;

(ख) क्या बिहार सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई योजना सरकार की स्वीकृति के लिये भेजी है ; और

(ग) क्या सरकार ने उस योजना पर विचार करके स्वीकृति दे दी है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) १९५३-५४ से आरम्भ होने वाली योजना की कालावधि के अन्तिम तीन वर्षों में प्रयोग के लिये, कमी वाले क्षेत्रों में स्थायी सुधारों के कार्यक्रम के अधीन ३.५ करोड़ रुपये की राशि बिहार सरकार को ऋण के रूप में सहायता देने के लिये नियत की गई है। यह सहायता केवल बाढ़ रोकने और बाढ़ से बचाव की योजनाओं के लिये नहीं है, परन्तु इस में मध्यम आकार की सिंचाई, और विद्युत तथा जल निकास योजनायें भी सम्मिलित हैं।

(ख) हां, श्रीमान् ।

(ग) बिहार की कतिपय योजनाओं की वित्त-व्यवस्था के लिये हाल में ५.४९ लाख रुपये के ऋण की स्वीकृति दी गई है । इन योजनाओं के नामों का एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ५]**

श्री एस० एन० दास : क्या सरकार किसी ऐसी योजना पर विचार कर रही है जिसके अनुसार बाढ़ों विशेषतः उत्तरी बिहार में आने वाली बाढ़ों के कारणों की जांच पड़ताल की जायेगी और उन्हें रोकने के साधनों का सुझाव दिया जायेगा ?

श्री हाथी : जहां तक इन योजनाओं का सम्बन्ध है, इन में कोई भी ऐसी नहीं जैसी माननीय सदस्य ने बताई है ।

श्री एस० एन० दास : इस तथ्य को ध्यान में रखते हुये कि बिहार में और बिशेषतः उत्तरी बिहार में, ऐसी नदियों की बड़ी संख्या है जो नेपाल के क्षेत्र में से आती हैं, क्या सरकार बाढ़ रोकने के साधनों के सम्बन्ध में नेपाल सरकार से परामर्श कर रही है ?

श्री हाथी : बाढ़ रोकने के विषयों के सम्बन्ध में , बहुत सी नदियां आसाम में भी हैं और इस प्रयोजन के लिये हम नैपाल सरकार के साथ इस विषय सम्बन्धी बात-चीत करने का विचार कर रहे हैं ।

श्री एस० एन० दास : क्या बिहार सरकार ने बाढ़ रोकने के साधनों के सम्बन्ध में, भारत सरकार से वित्त सम्बन्धी और टेकनिकल सहायता मांगी है ?

श्री हाथी : जहां तक कोसी का सम्बन्ध है उन्होंने अवश्य सहायता मांगी है परन्तु सामान्य समस्या के सम्बन्ध में मुझे जानकारी नहीं ।

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : कोसी परियोजना के सम्बन्ध में जो कुछ हो रहा है उसके अतिरिक्त कतिपय पदाधिकारियों को वहां भेजा गया है, कुछ को सारे क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिये भेजा गया है ताकि जो आगामी कार्यवाही आवश्यक हो वह बाद में की जा सके ।

श्री गणपति राम : क्या मैं जान सकता हूं कि बाढ़ को रोकने के लिये दूसरी स्टेट सरकारों को भी ऐसी आर्थिक सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को कितनी सहायता दी गई है ?

श्री नन्दा : सारी कोसी परियोजना के सम्बन्ध में बहुत दायित्व होगा जिसे केन्द्रीय सरकार कम से कम आंशिक रूप से अपने ऊपर ले लेगी ।

श्री एस० एन० मिश्र : क्या इस राशि की मंजूरी उत्तरी बिहार में बाढ़ रोकने के लिये दी गई है, और यदि ऐसा है तो क्या यह सच है कि टी० सी० ए० जैसे कुछ अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों ने भी उस क्षेत्र में बाढ़ रोकने के लिये कुछ सहायता प्रस्तुत की है ?

श्री नन्दा : टी० सी० ए० से सम्बन्धित किसी व्यक्ति ने उस क्षेत्र को देखा था और कुछ अभिमत व्यक्त किये थे । हमने उन पर विचार किया है ।

खादी तथा हथकरघा उद्योग

***१४१२. श्री माधव रेड्डी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खादी और हथकरघा उद्योगों के विकास के लिये उपकर निधि के प्रयोग के हेतु कितनी योजनाओं का अनुमोदन किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ६]**

श्री माधव रेड्डी : औरंगाबाद में हिमरू और सजावट के कपड़ों के विकास के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य एक सामान्य विवरण चाहते थे । यदि उन्हें विशेष विवरण चाहिये तो मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

श्री माधव रेड्डी : अब तक कुल कितना उपकर वसूल किया गया है और हैदराबाद राज्य के लिये कितनी राशि नियत की गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : कुछ समय हुआ इस विषय पर प्रश्नोत्तर हो चुके हैं । मैं विवरण याद नहीं रख सकता ।

श्री माधव रेड्डी : क्या सरकार योजनाओं के प्रवर्तन का विस्तृत प्रतिवेदन सदन पटल पर रखेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरा विश्वास है कि मंत्रालय ने विभिन्न कुटीर उद्योग योजनाओं सम्बन्धी एक पुस्तिका प्रकाशित की है । मुझे यह भी विश्वास है कि यह पुस्तिका परिचालन के लिये संसद को भेजी गई है । मुझे पता नहीं कि यह पहले परिचालित की जा चुकी है अथवा नहीं ।

बाटा जूता कम्पनी

***१४१३. श्री के० सी० सोधिया :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) बाटा जूता समवाय ने ३० अप्रैल, १९५१ के करार के अधीन अब तक कितने क्वार्टर बनाये हैं ;

(ख) ये क्वार्टर इस व्यवसाय के कितने विस्थापित कर्मचारियों के पास हैं ; और

(ग) समवाय को दिये गये ऋणों में से अब तक कितनी राशि वापिस दी गई है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) से (ग) तक २०४ परिवारों के लिये क्वार्टर और २०० अविवाहितों के लिये एक आवास बनाया गया है परन्तु विस्थापित लोग अविवाहितों के क्वार्टरों को लेने के लिये तैयार न थे । इस कारण वे उन लोगों को दिये गये जो विस्थापित नहीं थे । समवाय ने ३० अप्रैल, १९५३ को सारा ऋण लौटा दिया ।

श्री के० सी० सोधिया : समवाय में विस्थापित कर्मचारियों की कुल संख्या कितनी है ?

श्री ए० पी० जैन : मेरे पास इसकी सूचना नहीं है ।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जानना चाहता हूं कि अविवाहितों के क्वार्टरों में ये लोग क्यों नहीं जाते जिनके लिये ये क्वार्टर बनाये गये थे ?

श्री ए० पी० जैन : क्योंकि शायद उनके साथ अपने बाल बच्चे हैं और वे अविवाहितों के क्वार्टरों में रहना नहीं चाहते ।

यू० पी० में राज सहायता-प्राप्त गृह-निर्माण योजना

***१४१४. श्री गणपति राम :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था** तथा **संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

(क) यू० पी० में राज सहायता प्राप्त गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत १९५३-५४ में कितने मकान बनाये गये और उन पर कितना खर्च हुआ ;

(ख) क्या योजना को अर्थ सहायता देने के लिये मालिकों या मज़दूरों द्वारा भी कोई अंश-दान दिया गया है ;

(ग) योजना के अन्तर्गत कितने मज़दूरों को मकान दिये जा चुके हैं ; तथा

(घ) क्या सरकार यू० पी० के लिये किसी अन्य योजना पर विचार कर रही है ?

नर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) १९५३-५४ के अन्त तक कुल ३६६० मकान बनने की आशा है और चालू वर्ष में लगभग ११०.०७ लाख रुपये खर्च होने की संभावना है ।

(ख) माननीय सदस्य को योजना का विवरण सदन के पुस्तकालय में रखी गई पुस्तिका से मिल जायेगा । मैं ठीक ठीक नहीं जानता कि माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ; परन्तु जहां जहां मालिक स्वयं मकान बनवाते हैं वहां वे एक प्रकार से अर्थ सहायता अवश्य देते हैं--यानी अधिकतम किराया निर्धारित करने में कुल लागत का लगभग २५ प्रतिशत भाग हिसाब में नहीं जोड़ा जाता ।

(ग) अब तक ५०५ मजदूरों को ये मकान दिये जा चुके हैं ; शेष मकानों को देने का काम जल्दी से जल्दी पूरा कर दिया जायेगा ।

(घ) आशा है कि ६५२७ मकानों के अलावा, जिनकी पहले ही से मंजूरी दी जा चुकी है । और ७४०० मकान बनाने का काम अगले वित्तीय वर्ष में शुरू हो जायेगा ।

श्री गणपति राम : क्या इस योजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा कोई वित्तीय सहायता दी जायेगी ; यदि हां, तो कितनी ? मैं जानना चाहता हूं कि ये मकान कहां बनाये जा रहे हैं ?

सरदार स्वर्ण सिंह : पचास प्रतिशत रुपया राज्य के खजाने से दिया जाता है, हालांकि शुरु में केन्द्र ही राज्य सरकार को रुपया उधार देकर सहायता देता है । मकान कानपुर में बनाये जा रहे हैं । अगले कार्यक्रम में आगरा और फिरोजाबाद में बनाये जायेंगे ।

श्री के० पी० त्रिपाठी : मैं अपना पहला प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या यह सच है कि मालिक लोग योजना के अन्तर्गत मकान बनवाने में हिचकिचा रहे हैं ; यदि हां, तो क्या सरकार स्वयं किसी सीधे ही निर्वाचित गृह-निर्माण बोर्ड द्वारा या किसी नाम निर्देशित बोर्ड द्वारा मकान बनाने का विचार करती है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : वास्तव में, मजदूरों के लिये इन तीन एजेन्सियों द्वारा मकान बनवाये जाते रहे हैं : (१) राज्य सरकारों या संविहित गृह-निर्माण बोर्डों द्वारा ; (२) मालिकों द्वारा और (३) स्वयं मजदूरों की सहकारी समितियों द्वारा । यदि मालिक मकान कम बनवायेंगे तो स्वभावतः राज्य सरकार या संविहित गृह-निर्माण बोर्ड द्वारा और ज्यादा रुपया खर्च किया जायेगा । मैं प्रश्न का ठीक ठीक अभिप्राय नहीं समझ सका क्योंकि मकान बनवाने का काम तो राज्य सरकारें शुरू करवा चुकी हैं ; यदि मालिक लोग मकान नहीं बनवाते तो उस हद तक कमी रहेगी । एक एजेन्सी दूसरी का काम नहीं कर सकती ।

श्री हेडा : बहुत सी राज्य सरकारों ने केन्द्र की तरफ से जो सहायता मिलती है, उसको तो खर्च किया है, लेकिन अपने पास से जो रकम लगाना चाहिये, नहीं लगातीं हैं, इसलिये ऐसी सूरत में हुकूमत क्या सेफ़गार्ड्स अख्तियार कर रही है जिससे राज्य सरकारों की भी उतनी ही मात्रा में मिले जितनी कि केन्द्र से मिलती है?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं इस चीज़ को मानने के लिये तैयार नहीं क्योंकि केन्द्रीय सरकार के सामने ऐसा कोई मामला नहीं लाया गया है जिसमें राज्य सरकारों ने अपने ऊपर ली गई जिम्मेवारियों को पूरा न किया हो । यदि माननीय सदस्य को

किसी खास मामले के बारे में पता हो, तो मैं उसमें छान बीन करने के लिये तैयार हूं ।

सेठ अचल सिंह : क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरा और फ़िरोज़ाबाद के वास्ते अगले साल की स्कीम में कितना रुपया रक्खा गया है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : आगरा और फ़िरोज़ाबाद के आंकड़े इन दोनों जगहों की स्कीम्स के लिये मेरे पास नहीं हैं ।

श्री गणपति राम : क्या १९५३-५४ के लिये निश्चित किये गये लक्ष्य पूरे हो गये हैं ; यदि नहीं तो उन्हें पूरा करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

सरदार स्वर्ण सिंह : मैं बिना हिचक के यह कह सकता हूं कि लक्ष्य अभी पूरा नहीं हुआ है; और न ही ऐसा कोई जादू है जिस से यह एक दिन में पूरा हो जाये क्योंकि कल ३१ मार्च है और वर्ष समाप्त हो रहा है । हां, यह हो सकता है कि अगले वर्ष काम और ज्यादा तेजी से करवाया जावे ।

लाख उद्योग

***१४१५. ठाकुर युगल किशोर सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या चपड़ा (लाख) उद्योग पिछले दो वर्षों से संक्रमण काल में से गुज़र रहा है ; और

(ख) क्या सरकार इस उद्योग को पूर्व-दशा में लाने के लिये कुछ कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) और (ख). सब प्रकार के चपड़े के निर्यात की मात्रा बराबर रही है, लेकिन १९५२ और १९५३ में उसकी कीमत में भारी कमी थी । उसके बाद कीमतों में सुधार हुआ ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कितनी फैक्टरीज़ चपड़े के काम में लगी हुई थीं ?

श्री करमरकर : उनकी संख्या अभी मेरे पास मौजूद नहीं है ।

ठाकुर युगल किशोर सिंह : क्या मैं यह जान सकता हूं कि कितनी पूंजी और मज़दूर उसमें लगे हुए हैं ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि लगभग दस हज़ार हैं, लेकिन मैं यह बात मौखिक बता रहा हूं ।

ठाकुर युगलकिशोर सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि कितने प्रान्तों में इसकी व्यवस्था चल रही है ?

श्री करमरकर : मेरा विचार है कि मुख्य रूप से बिहार में ऐसा हो रहा है।

ठाकुर युगल किशोर सिंह: पूरे व्यवसाय के किस रेशियो में बिहार में यह उद्योग चलाया जा रहा है ?

श्री करमरकर : उसके लिए नोटिस चाहिये ।

श्री मुनिस्वामी : मैं जानना चाहता हूं कि क्या अमरीका को चपड़ा निर्यात किया जाना है, और यदि हां, तो क्या वर्तमान कीमतों से इसका निर्यात अत्यधिक प्रभावित हुआ है ?

श्री करमरकर : वर्तमान में अमरीका के सम्बन्ध में मेरे पास आंकड़े नहीं हैं ।

श्री साधन गुप्त : वे कौन कौन से देश हैं जिन्होंने भारतीय चपड़े का आयात अधिकांशतः कम कर दिया है ?

श्री करमरकर : मेरे पास निर्यात के सामान्य आंकड़े हैं लेकिन वे अलग अलग देशवार नहीं हैं ।

श्री साधन गुप्त : मैं जानना चाहता हूं कि क्या यह देखने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है कि जिन देशों को अभी तक चपड़ा नहीं भेजा गया है उनको और विशेष रूप से आंग्ल-अमरीकी गुट्ट के बाहर वाले देशों को उसका निर्यात किया जाये ।

श्री करमरकर : इस दिशा में कुछ कार्यों का सुझाव रखा गया है जैसे चपड़े की न्यूनतम और अधिकतम कीमत का निर्धारण सट्टे पर प्रतिबंध, दानेदार लाख की मात्रा के निर्यात का निर्धारण, चपड़ी लाख के निर्यात पर प्रतिबंध, उसके गुण पर नियंत्रण, आदि । लेकिन इन सब विषयों पर विचार किया जा रहा है ।

बाबू रामनारायण सिंह : क्या यह सच है कि भूतकाल में चपड़ा उद्योग में भारतीयों का एकाधिकार था लेकिन अब वह समाप्त हो गया है । यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्री करमरकर : यह शिकायत भी की गई थी । एक शिकायत यह थी कि एकाधिकार है तथा सट्टे की बहुलता है ।

श्री जी० पी० सिन्हा : मैं जानना चाहता हूं कि क्या चपड़े के निर्यात-व्यापार में विदेशियों का एकाधिकार है तथा हमारे देश में उसकी अवनति का उत्तरदायित्व उन ही पर है ।

श्री करमरकर : यह शिकायत भी की गई है ।

श्री गणपति राम : क्या सरकार को मालूम है कि मिरज़ापुर का चपड़ा व्यापार बहुत अवनत दशा में है, उसको उठाने के लिये सरकार की तरफ़ से क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्री करमरकर : मिरज़ापुर की कालीनों के सम्बन्ध में मुझें मालूम है । वहां की लाख के सम्बन्ध में मैं ने अभी नहीं सुना है । लेकिन मैं मालूम करूंगा ।

मैसूर में सामुदायक परियोजनाएं

*१४१७. **श्री वोडयार :** क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या मैसूर राज्य में सोरन-शिकारपुर की सामुदायिक योजना के सम्पन्न कार्य और व्यय किये गये द्रव्य के सम्बन्ध में सरकार को कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जी हां ।

त्रिपुरा में सहकारी संस्थाएं

*१४१८. **श्री दशरथ देव :** (क) क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि त्रिपुरा में नूतनहवेली और पुराने अगरतल्ला के सामुदायिक योजना क्षेत्र के अधीन जनता द्वारा अभी तक कितनी सहकारी संस्थाओं का संगठन किया गया है ?

(ख) उनमें से कितनी पंजीकृत हो चुकी हैं ?

(ग) क्या सरकार ने इन सहकारी संस्थाओं को कुछ ऋण दिया है ?

(घ) क्या उक्त संस्थाओं ने ठेके के आधार पर काम करने के लिये सामुदायिक योजना पदाधिकारियों से कहा था ?

(ङ) यदि हां, तो अभी तक क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) से (ङ) . जानकारी संगृहीत की जा रही है और यथा समय सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

कुरनूल में रेडियो स्टेशन

*१४१९. **श्री विश्वनाथ रेड्डी :** क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आंध्र सरकार ने भारत

सरकार से आंध्र राज्य की राजधानी कुरनूल में प्रसारण केन्द्र खोलने की प्रार्थना की है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस प्रार्थना पर विचार किया है ?

सूचना तथा प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) इस पर विचार किया जा रहा है ।

श्री रघुरामय्या : क्या मैं प्रस्तावित स्टेशन की क्षमता जान सकता हूं ?

डा० केसकर : आंध्र सरकार ने प्रस्ताव रखा है कि कुरनूल में स्टेशन होना चाहिये और उनके सुझाव पर विचार किया जा रहा है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

न्यूज़ीलेंड के साथ व्यापार

***१३९२. श्री एम० आर० कृष्ण** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १९५२ और १९५३ में न्यूज़ीलैण्ड के साथ निर्यात व्यापार में पर्याप्त कमी हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) इस प्रश्न का उत्तर तुलना के लिए चुने जाने वाले वर्ष पर निर्भर है । न्यूज़ीलैण्ड के लिये हमारा निर्यात १९५१ में असाधारण रूप से ऊंचा था अतः उस वर्ष की तुलना में १९५२ और १९५३ में निर्यात बहुत कम थे । फिर भी, १९५० की तुलना में १९५२ और १९५३ में व्यापार तुला साधारणतया ठीक ही है ।

(ख) १९५२ में न्यूजीलैण्ड द्वारा आयात व्यापार नियंत्रण फिर से लागू करना और कोरियाई युद्ध के कारण तेज़ी का गायब हो जाना ही निर्यात की कमी के लिये मुख्य रूप से उत्तरदायी है ।

विश्वविद्यालयों पारा अनुसन्धान सम्बन्धी विकास परियोजनायें

***१३९६. श्री डी० सी० शर्मा** : (क) क्या **योजना** मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या योजना आयोग द्वारा स्थापित अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने विश्वविद्यालयों तथा अन्य संस्थाओं से आर्थिक विकास पर ऐसी अनुसंधान परियोजनाएं मांगी हैं जिनका योजना से प्रत्यक्ष सम्बन्ध है ?

(ख) यदि हां, तो अभी तक क्या उत्तर प्राप्त हुए हैं ?

(ग) क्या समिति द्वारा उक्त उत्तरों की जांच की गई है ?

(घ) यदि हां, तो उनके क्या परिणाम हैं ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) से (घ). अनुसंधान कार्यक्रम समिति ने विश्वविद्यालयों तथा अन्य अनुसंधान संस्थाओं से योजना के अध्ययन से सम्बन्धित इन तीन क्षेत्रों के सम्बन्ध में प्रस्ताव आमंत्रित किये थे : (१) बचत, विनियोग और नियोजन (२) प्रादेशिक विकास से सम्बन्धित समस्याएं और (३) भूमि सुधार और सहकारिता तथा फार्म व्यवस्था । अनुसंधान कार्यक्रम समिति द्वारा प्राप्त और उसी के द्वारा विचार में लाये गये प्रस्तावों का विवरण २५ मार्च १९५४ को तारांकित प्रश्न संख्या १२९० के उत्तर में सदन पटल पर रख दिया गया था।

मैगनीज़ की कच्ची धातु

*१४००. **श्री राघवय्या :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) मैंगनीज़ की कच्ची धातु किन किन देशों को निर्यात की जा रही है ;

(ख) क्या इस कच्ची धातु के बदले में किसी देश से मशीनें आदि प्राप्त की जा रही हैं; तथा

(ग) क्या १५ अगस्त, १९४७ से इस धातु का निर्यात व्यापार फ़ायदे पर हो रहा है अथवा घाटे पर ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) मुख्यत: बेलजियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी (पश्चिमी), इटली, जापान, हालैण्ड, नार्वे, स्वीडन, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । वस्तु-विनिमय के आधार पर निर्यात व्यापार नहीं होता है ।

(ग) अनुमान तो यही है कि यह व्यापार फ़ायदे पर हो रहा है, अन्यथा निर्यात में वृद्धि नहीं हुई होती जैसे कि शासकीय आंकड़ों से प्रतीत होता है ।

ज़िला तथा ग्राम स्तर पर पंचवर्षीय योजना

*१४०१. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि योजना आयोग ने ज़िला स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर पंचवर्षीय योजना के कार्य-संचालन पर ज़ोर दिया है; तथा

(ख) यदि दिया है, तो क्या इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों को दिये गये सुझावों का एक ब्यौरा सदन पटल पर रख दिया जायगा ?

योजना व सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा): (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) पंचवर्षीय योजना में इस विषय के सम्बन्ध में कई सिफ़ारिशें की गई हैं । इन सिफ़ारिशों को विशेषकर सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों तथा राष्ट्रीय विस्तार खंडों में क्रियान्वित किया जा रहा है । ज़िला तथा स्थानीय योजनाएं बनाने की आवश्यकता की ओर अगस्त, १९५१ में राज्य सरकारों का ध्यान दिलाया गया था तथा इस सम्बन्ध में समय समय पर और भी सुझाव दिये गये हैं ।

वाणिजय तथा उद्योग मंत्रालय में विशेष शाखा

*१४०३. **श्री पी० एन० राजभोज :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इस मंत्रालय के अन्तर्गत जो विशेष शाखा खोल दी गई है, उस में आरम्भ से ले कर इस समय तक कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : विशेष शाखा को इस समय तक केवल एक शिकायत प्राप्त हुई है जो मैसर्ज़ नैशनल बाल बियरिंग कम्पनी, लिमिटिड जयपुर द्वारा बनाये गये 'बाल-बियरिंगों' की अधिक कीमतों के सम्बन्ध में थी ।

दुर्गापुर बांध

*१४१९. **श्री के० के० बसु :** क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या दुर्गापुर बांध के बनने के बाद नहर के लिए वर्ष भर काफ़ी जल-प्रवाह रहेगा ;

(ख) क्या दुर्गापुर बांध बन जाने के बाद जल की कमी के कारण हुगली ज़िले के आरामबाग़ सब डिवीज़न में बहने वाली निम्न (लोअर) दामोदर नदी सूख तो नहीं जायेगी; तथा

(ग) क्या निम्न (लोअर) दामोदर क्षेत्रों का उचित रूप से परिमाप किया गया है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) नहीं, श्रीमान् ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

गोपाल टैक्सटाइल मिल्ज, बड़ोच

*१४२०. **श्री सी० भट्ट** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गोपाल टैक्सटाइल मिल्ज़, बड़ौच, ६ मार्च, १९५४ को एकाएक बंद की गई है;

(ख) क्या यह सत्य है कि रेलवे प्राधिकारियों ने इन्हें समय पर कोयले के लिए वैगन नहीं दिये जिसके परिणामस्वरूप इन्हें काम बंद करना पड़ा; तथा

(ग) क्या सरकार शीघ्र ही इस मिल को कोयला उपलब्ध करने का तथा इसके लिये वैगनों की व्यवस्था करने का विचार रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पता चला है कि गोपाल मिल्ज़ ६ से ८ मार्च १९५४ तक बंद रही ।

(ख) नहीं, श्रीमान् । इस मिल का मासिक आवंटन ६८ वैगन (१४९६ टन) था तथा दो शिफ्टों के आधार पर यही कुछ इसकी सामान्य आवश्यकता थी. जनवरी तथा फ़रवरी, १९५४ के दौरान में रेलवे ने १३६ वैगन आवंटित किये थे ।

(ग) इस मिल के लिए कोयले की अतिरिक्त बांट की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है । इस मिलने हाल ही से तीसरी शिफ्ट भी चलानी शुरू की है ।

हवाई जहाज़ों का पेट्रौल

*१४२१. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १ अगस्त, १९५३ तथा १ जनवरी, १९५४ को हवाई जहाज़ों के पेट्रोल का प्रति गैलन मूल्य क्या था ?

निर्माण, आवास तथा सम्भरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : मूल्य दिखाने वाला एक विवरण सदन पटल पर रख दिया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ७]**

पैन्सलीन फैक्टरी

*१४२२. **श्री राम जी वर्मा** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) पैन्सलीन फैक्टरी के लिये जो भवन बनाया जा रहा है उस पर कितना खर्च होने का अन्दाजा है ;

(ख) कब से इस फैक्टरी में उत्पादन कार्य प्रारम्भ होगा ; और

(ग) पैन्सलीन बनाने वाले संयंत्र की अनुमानित लागत क्या होगी ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) फैक्टरी भवनों की लागत का अनुमान लगभग ५६ लाख रुपये लगाया जाता है ।

(ख) इसी वर्ष लगभग सितम्बर से ।

(ग) लगभग ७८ लाख रुपये जिस में कि संयुक्त राष्ट्र संघ की अन्तर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि द्वारा दिया गया ४०,४६,००० रुपये के मूल्य का उपकरण तथा विभिन्न सेवाओं का खर्चा तथा निर्माण खर्चा शामिल है ।

सिगरेट

*१४२३. **श्री राधा रमण :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) वर्ष १९५३-५४ में भारत में कुल कितनी मात्रा में सिगरेट तैयार किये गये; तथा

(ख) भारत के सिगरेट उद्योग में विदेशी पूंजी का हिस्सा कितना है ?

वाणिज्य मंत्री (श्री करमरकर) : (क) १९५३ अप्रैल से १९५४ जनवरी तक १६,५० करोड़ २० लाख ।

(ख) बताया जाता है कि पहली नवम्बर १९५३ को यह लगभग १६ करोड़ रुपये था ।

(इस में माल, उपकरण तथा ३० जून १९४८ के बाद लाभ में से निकाले गये पुनर्विनियोजन के रूप में नये विनियोजन शामिल नहीं ।)

तारकोल उत्पाद

*१४२४. **श्री नानादास :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार देश में तारकोल उत्पादों तथा कोयले के उपोत्पादों को उपयोग में लाने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है; तथा

(ख) यदि रखती है, तो वह क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) यह मामला सरकार के विचाराधीन है ।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ८]**

खादी कार्मिक सम्मेलन

*१४२५. **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री एम० एल० द्विवेदी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या १२ दिसम्बर, १९५३ को हैदराबाद में आयोजित खादी कार्मिक सम्मेलन (कन्वेन्शन) द्वारा पारित संकल्प की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है, जिसमें केन्द्रीय सरकार से यह निवेदन किया गया है कि लुंगी, तौलिया और रुमाल का उत्पादन केवल हाथ के कते और करघे से बने वस्त्र तक ही सीमित रखा जाये; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या करने जा रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग का अस्थायी रूप से काम के लिये रखा गया कर्मचारी वर्ग

*१४२६. **श्री राधवय्या :** क्या **निर्माण, आवास तथा सम्भरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी कर्मचारियों के मंहगाई भत्ते का आधा भाग उनके वेतन में मिलाये जाने का आदेश दिया गया था ;

(ख) क्या इस भत्ता विलयन के आधार पर केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के अस्थायी रूप से काम के लिये रखे गये कर्मचारी वर्ग की मजूरी से भविष्य निधि तथा मकान किराया की कटौतियों की दरें शीघ्र बढ़ाई जा रही हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि मकान किराया और नगरवासी भत्तों की जो वृद्धि इस विलयन के आधार पर इन कर्मचारियों के वेतनों में होनी चाहिये, वह नहीं हो पा रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) वित्त मंत्रालय द्वारा ९ मई, १९५३ को इस सम्बन्ध में जारी किये गये साधारण आदेशों में इस बात का विशेष उल्लेख किया गया है कि इस प्रयोजन के लिये आधा मंहगाई भत्ता वेतन का ही भाग समझा जायेगा ।

(ख) से (घ) तक । वर्तमान स्थिति में ये आदेश केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग के अस्थायी रूप से काम के लिये रखे गये कर्मचारी वर्ग पर लागू नहीं होते, और इसीलिये कर्मचारी वर्ग को ये सुविधायें देने का प्रश्न विचाराधीन है । इसी बीच, मैं यह समझता हूं कि भूल से कई डिवीजनों में वहां के कर्मचारी वर्ग के वेतनों से भविष्य निधि और मकान किराये की नई बढ़ी दरों के हिसाब से कटौती हुई है, जैसे कि उन पर ये आदेश लागू हुए हों; यद्यपि इस प्रकार के आदेश जारी नहीं हुये थे कि उनके भत्ते बढ़ाये जायें या अधिक कटौतियां की जायें । इस भ्रांति को दूर करने के लिये कार्यवाही की जा रही है ।

"रयूरल सेल" और "एक्सपेरिमेंटल यूनट"

श्री के० सी० सोधिया :
श्री भागवत झा आज़ाद :

क्या **निर्माण आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या मंत्रालय में एक "रयूरल सेल" ("ग्रामीण कोष्ठ") और एक "एक्सपेरिमेंटल यूनिट" ("प्रयोगात्मक एकक") स्थापित किये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इन एककों में कितने कर्मचारी हैं और उनका क्या काम है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) एक विवरण जिसमें एककों में काम करने वालों की संख्या और उनके काम बताये गये हैं, सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ९]**

आयात की गई लोहा और इस्पात सामग्री का निरीक्षण

*१४२८. **श्री के० के० बसु** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सीमा शुल्क की अदायगी के प्रमाणपत्र दिये जाने से पहिले आयात की गई लोहा और इस्पात सामग्री का लोहा एवं इस्पात नियंत्रक द्वारा निरीक्षण किया जाता है ;

(ख) किस दशा में यह निरीक्षण नहीं किया जाता है ; और

(ग) क्या सरकार का ध्यान इस ओर गया है कि कई आयातक बढ़िया किस्म की टिनप्लेट के नाम पर रद्दी टिनप्लेट का आयात करते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख). लोहा एवं इस्पात नियंत्रक कोई निरीक्षण नहीं करता । सीमा शुल्क अधिकारी जब भी आवश्यक समझते हैं, इस प्रकार का निरीक्षण करते हैं ; चुनांचि यह निरीक्षण जहाज़ी दस्तावेज़ों में दिखाये गये ब्यौरे के आधार पर होता है ।

(ग) सरकार के पास इस प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं आई है ।

त्रिपुरा में परियोजना परामर्शदात्री समिति

*१४२९. **श्री दशरथ देव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या त्रिपुरा के स्थानीय सामुदायिक परियोजना प्रशासन को किसी परियोजना परामर्श-दात्री समिति से सहायता मिल रही है ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जी हां ।

सामुदायिक परियोजना के अधीक्षक की पाकिस्तान यात्रा

*१४३०. **श्री एम० एल० द्विवेदी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि यह सच है कि सामुदायिक परियोजना के अधीक्षक ने पाकिस्तान की यात्रा की, और दस दिन तक लाहौर, पेशावर और अन्य स्थानों में भ्रमण करने के बाद वे भारत लौटे ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : जी हां ।

सूत का मूल्य

*१४३१. **श्री के० सी० सोधिया :** (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाल में सूत के मूल्यों में कोई वृद्धि हुई है ?

(ख) यदि हां, तो मुख्यत: किन किन नम्बरों के सूत पर प्रभाव पड़ा है ?

(ग) इस मूल्य वृद्धि का क्या कारण है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) । सूत कीसंतोषजनक स्थिति के कारण १० जुलाई, १९५३ को उसके मूल्यों तथा वितरण से नियंत्रण उठा लिया गया था । तब से विभिन्न राज्यों से समय समय पर प्राप्त रिपोटों से विदित होता है कि मध्य भारत तथा कच्छ के कुछ बाजारों में स्थानीय घटा बढ़ी के अतिरिक्त कहीं और सूत के मूल्यों में कोई वृद्धि अथवा उसकी उपलब्धता में कमी नहीं हुई है ।

औद्योगिक गृह-निर्माण योजना

२८२. **श्री एन० बी० चौधरी :** क्या **निर्माण, आवास तथा संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक गृह-निर्माण योजना के अन्तर्गत पच्छिमी बंगाल सरकार को अब तक वर्ष वार कितनी कितनी राशि दी गई है ?

निर्माण, आवास तथा संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : अपेक्षित सूचना दर्शाते हुये एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १०]**

चाय बगान

२८३. **श्री एस० सी० सामन्त : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१, १९५२ और १९५३ में, प्रति वर्ष कितने चाय बगान बन्द होने वाले थे और कितने वास्तव में बन्द हुये;

(ख) इन तीन वर्षों में चाय बगानों के बन्द हो जाने के परिणाम स्वरूप कितने कामगर बेकार हो गये ;

(ग) बन्द चाय बगानों में से कितने पुन: चालू हो गये हैं ; और

(घ) कितने चाय बगानों के मालिकों में बदल हो गई है और कितने विदेशी मालिक देश छोड़ कर चले गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को उन चाय बगानों के सम्बन्ध में कोई सूचना नहीं है जो बन्द

होने वाले थे। वास्तव में बन्द हुये बगानों के सम्बन्ध में सूचना देते हुये एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या ११**]

(ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार, बगानों के बन्द होने से ५५,००० मज़दूरों पर प्रभाव पड़ा।

(ग) ९१ चाय बगान तब से पुनः खुल गये हैं।

(घ) यह समझा जाता है कि अगस्त, १९४७ से ६० बगानों का स्वामित्व गैर भारतीयों से भारतीयों के हाथ में आ गया है।

पश्चिमी जर्मनी के साथ व्यापार

२८५. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५३ के अंतिम दस मासों में पश्चिमी जर्मनी से कितने रुपये का माल आयात किया गया और वहां कितने रुपये का माल निर्यात किया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) पश्चिमी जर्मनी से आयात २४,९६,०७,००० रु०।

(ख) पश्चिमी जर्मनी को निर्यात ८,८४,६८,००० रु०।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड

२८६. **श्री वी० पी० नायर :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के इस निदेश की उपेक्षा करते हुये कि भारत में जोड़ी हुई मोटर गाड़ियां, जैसे हिन्दुस्तान, खरीदी जायें, हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी जालाहल्ली ने फोर्ड की कस्टम मोटर गाड़ियां खरीदीं ; और

(ख) इन मोटर गाड़ियों को दिल्ली से जालाहल्ली भेजने की लागत (उनके मूल्य सहित) क्या आयी ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री आर० जी० दुबे) : (क) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी जालाहल्ली ने जो फोर्ड की मोटर गाड़ियां खरीदी थीं वे भारत में ही जोड़ी गई थीं। उसकी आवश्यकता के लिये यह गाड़ियां अधिक उपयुक्त समझी गई थीं।

(ख) दोनों कारें बम्बई में उनके कारखानों से ली गई थीं और बंगलौर तक ले जाने के बाद उनकी लागत क्रमशः १७,५७२ रु० ८ आने और १६४६३-१-३ रुपये थी।

स्वैछिक सेवा के लिये विद्यार्थी शिविर

२८७. **श्री एल० जोगेश्वर सिंह : क्या योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) आगामी गर्मी की छुट्टियों में भारत पर्यन्त सामुदायिक परियोजना तथा राष्ट्रीय विकास सेवा के क्षेत्रों में स्वेच्छिक सेवा के कितने विद्यार्थी शिविर खोले जायेंगे ;

(ख) इस कार्यक्रम में कितने विद्यार्थियों के भाग लेने की आशा है ;

(ग) विद्यार्थियों के मुफ्त स्वैच्छिक श्रम का उपयोग करने की क्या क्या योजनायें हैं ; और

(घ) प्रत्येक विद्यार्थी शिविर के लिये कितना अनुदान दिया जायेगा ?

सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) और (घ). मैसूर में सात शिविर, जिनको ४२,९३५ पये का अनुदान दिया जायेगा, खोले जाने की प्रस्तावना है।

(ख) लगभग २,५०० विद्यार्थी।

(ग) सामाजिक तथा सांस्कृतिक कार्यवाहियों के अतिरिक्त नालियों, पानी पीने के कूओं, स्कूल की इमारतों, गांव

पंचायत भवनों, गांव तक पहुंचने वाली सड़कों, नहरों तथा नालों का निर्माण और सुधार, खेती में आड़ी बांध लगाना, कम्पोस्ट खाद के गड्ढे खोदना, हाथ से पानी डालकर मल बहाने की टट्टियां बनाना, छोटे छोटे भूम्योद्धार के कार्य करना, सफाई इत्यादि ।

तम्बाकू उत्पाद

२८८. **श्री ब्रहम चौधरी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५३ में भारत में बाहर से आयातित सिगरेटों, सिगारों तथा तम्बाकू की मात्रा ;

(ख) क्या बीड़ियां भारत से बाहर निर्यात की जाती हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किन देशों को, और कितने मूल्य की ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२]**

(ख) जी हां ।

(ग) एक विवरण संलग्न किया जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १२]**

दिया सलाई उद्योग

२८९. **श्री बर्मन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) भारत में, ए, बी तथा सी श्रेणी के कारखानों द्वारा अलग अलग कुल कितनी दियासलाइयां बनाई जाती हैं ;

(ख) १९५० में कारखानों की संख्या क्या थी तथा अब क्या है ;

(ग) छोटे कारखानों को बड़े कारखानों की स्पर्धा के बावजूद बने रहने में सहायता देने की सरकारी नीति, यदि कोई है, तो क्या है ; तथा

(घ) प्रत्येक श्रेणी के कारखानों में दियासलाइयों के एक ग्रोस की उत्पादन लागत क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ए, बी तथा सी श्रेणियों के कारखानों द्वारा १९५३ में उत्पादित दियासलाइयों की कुल संख्या ६० सलाइयों वाली डिब्बियों के ५० ग्रोस के पिटारों के रूप में इस प्रकार है :

ए श्रेणी	४,३१,०८८
बी श्रेणी	१,५४,५८२
सी श्रेणी	३,२१५३

(ख)	१९५०	१९५३
ए श्रेणी	८	८
बी श्रेणी	१०६	८२
सी श्रेणी	८८	५७

(ग) छोटे कारखानों को बड़े कारखानों की स्पर्धा के बावजूद बने रहने में सहायता देने के हेतु उन्हें पहले ही से उत्पादन शुल्क में कुछ छूट दी जाती है । उनकी मुख्य कठिनाई तो विक्रय व्यवस्था के बारे में है। हाथ से बनी हुई दियासलाइयों की बिक्री संगठित करने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

(घ) निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

कागज-निर्यात

२९०. **श्री मुनिस्वामी :**
श्री संगण्णा :

(क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि अनिर्बंध अनुज्ञप्तियों की व्यवस्था के अन्तर्गत भारत से किन प्रकारों के कागज का निर्यात किया जाता है ?

(ख) प्रति वर्ष हर प्रकार के कितने कागज़ का निर्यात किया जाता है ?

(ग) किन देशों को निर्यात किया जाता है ?

(घ) वे कारखाने कौन कौन से हैं जहां कागज़ के ये विभिन्न प्रकार बनाये जाते हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) ३० जून, १९५४ तक कागज़ के सब प्रकारों का अनिर्बंध निर्यात किया जाता है ।

(ख) से (घ) तक । दो विवरण साथ में जोड़े गये हैं । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १३]**

स्याही के कारखाने

२९१. **श्री वेंकटारमन** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) उन विदेशी कम्पनियों के नाम तथा संख्या जो इस देश में फाउन्टेन पैन की स्याही तैयार करती हैं ; तथा

(ख) उपरोक्त कम्पनियों में से प्रत्येक में विदेशी तथा भारतीय पूंजी का अनुपात क्या है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख)। हो सकता है कि जिन कम्पनियों की सारी या अधिक तर पूंजी विदेशियों द्वारा लगाई गई है उन्हें विदेशी कम्पनियां कहा जाता है । ऐसी केवल एक ही कम्पनी फाउन्टेन पेन की स्याही बनाती है । वह है मेसर्स पार्कर पेन कंम्पनी (इंडिया) लिमिटेड, मद्रास । उसकी अधिकतर पूंजी विदेशी है। विदेशी तथा भारतीय पूंजी के अनुपात के विषय में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

ग्राम-उद्योग

२९२. **श्री गणपति राम** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न ग्राम उद्योगों के विकास के लिये १९५३-५४ में प्रत्येक उद्योग को कितना रुपया दिया गया ;

(ख) क्या यह सच है कि जितना रुपया दिया गया था वह पूरी तरह से खर्च नहीं हो सका ;

(ग) यदि नहीं हो सका, तो क्या कारण थे; और

(घ) सरकार द्वारा रुपया दिये जाने का क्या तरीका है, और उसको सरल बनाने के लिये सरकार ने क्या प्रयत्न किये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १४]**

(ख) जी हां ।

(ग) सारी धन राशियां पूरी तरह से खर्च नहीं हो सकीं क्योंकि विभिन्न योजनाओं को अन्तिम रुप देने में तथा उनकी कार्यान्विति आरंभ करने में कुछ समय लगा ।

(घ) अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा योजनाएं बनाई जाती हैं और सरकार के पास भेजी जाती हैं जहां उनकी सम्बद्ध मंत्रालय द्वारा जांच की जाती है

योजनाओं को मंजूरी दी जाने के बाद बोर्ड उन्हें कार्यान्वित करता है ।

जांच का काम जल्दी से जल्दी करवाने की भरसक कोशिश की जाती है ।

सीमेंट उत्पादन

२९३. **श्री विश्वनाथ राय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि गत वर्ष प्रत्येक राज्य में कितने सीमेंट का उत्पादन हुआ ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ५, अनुबन्ध संख्या १५]**

पाम गुड़ प्रशिक्षण केन्द्र

२९४. **श्री इलायापेरुमल** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में पाम गुड़ प्रशिक्षण केन्द्रों को कितनी राशि आवंटित की गई थी ?

(ख) इन विभिन्न केन्द्रों में कितने शिक्षक तथा प्रशिक्षार्थी हैं ?

(ग) मद्रास राज्य में कितने पाम गुड़ प्रशिक्षण केन्द्र हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी)) : (क) भारत सरकार द्वारा केवल एक ही पाम गुड़ प्रशिक्षण केन्द्र चलाया जाता है जो मद्रास राज्य में कुड़ालूर में है । १९५३-५४ में इस केन्द्र के लिये ७६,००० रुपये आवंटित किये गये हैं ।

(ख) कुड़ालूर के केन्द्र में ४ शिक्षक तथा २० प्रशिक्षार्थी हैं ।

(ग) मद्रास में राज्य सरकार द्वारा चलाये जाने वाले ४९ प्रशिक्षण केन्द्र तथा २८९ प्रशिक्षण एंव उत्पादन केन्द्र हैं ।

मिठाइयां (आयात)

२९५. **श्री सूर्य्य प्रसाद :**
श्री जी० एल० चौधरी :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५३-५४ में आयातित मिठाइयों के प्रकार कौन कौन से थे ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): मिठाइयों के जिन प्रकारों का सामान्य तथा आयात किया जाता है वे इस प्रकार हैं टाफी, चाकलैट, च्यूविंग गम (चूसने की मिठाई) तथा पकी हुई मिठाइयां ।

Par. S. 18. III. 34 54.
285

अंक ३

संख्या ३४

मंगलवार,

३० मार्च, १९५४

1st Lok Sabha

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

छठा सत्र

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

(अंक ३ में संख्या ३१ से संख्या ४५ तक हैं)

——:——

भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही

विषय-सूची

अनुदानों की मांगें—

मांग संख्या ८५—पुनर्वास मंत्रालय [पृष्ठ भाग २४१३—२५१२]

मांग संख्या ८६—विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय [पृष्ठ भाग २४१३—२५१२]

मांग संख्या ८७—पुनर्वास मंत्रालय के अधीन विविध व्यय [पृष्ठ भाग २४१३—२५१२]

मांग संख्या १३३—पुनर्वास मंत्रालय का पूंजी व्यय [पृष्ठ भाग २४१३—२५१२]

संसद् सचिवालय, नई दिल्ली।

63 PSD

(मूल्य ६ आने)

[उपाध्यक्ष महोदय]

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
	श्री दशरथ देव (पूर्वी त्रिपुरा)	त्रिपुरा में शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए और शरणार्थियों के पुनर्वास के नाम पर आदिमजातियों के किसानों की भूमि के अधिग्रहण को रोकने के लिए भूमि को कृषि योग्य बनाने की आवश्यकता	१०० रुपये
		त्रिपुरा में पुनर्वास कार्य की प्रगति और उस के प्रकार की जांच करने के लिए एक संसदीय समिति के संगठन की आवश्यकता	१०० रुपये
		त्रिपुरा में शरणार्थियों को शीघ्रता से बसाने के लिए और अधिक धन देने की आवश्यकता	१०० रुपये
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पश्चिमी बंगाल के बाहर स्थित पुनर्वास केन्द्रों की जांच करने के लिए एक जांच समिति बनाने में असफलता	१०० रुपये
	सरदार हुक्म सिंह	किरायों की वसूली के सम्बन्ध में मानवोचित नीति के अनुसरण में असफलता	१०० रुपये
		प्रतिकर योजनाओं को चलाने में असफलता	१०० रुपये
	श्री गिडवानी (थाना)	ऋणों और प्रतिकर योजनाओं के संबंध में सामान्य नीति	१०० रुपये
८६	श्री दशरथ देव	विस्थापित व्यक्तियों के लिए दिये गये अनुदानों के वितरण के सम्बंध में राज्य सरकारों को अधिकार देने में विलम्ब	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
	श्रीमती रेणु चक्रवर्ती	पुनर्वास के उपायों को क्रियान्वित करने के सम्बन्ध में सरकार का विलम्ब और अकार्यकुशलता	१०० रुपये
		शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए मुस्लिम अल्पमत के छोटे छोटे प्लाट वालों से भूमि अधिग्रहण करने की नीति	१०० रुपये
		शरणार्थियों ने जिन मुस्लिम अल्पमतों के घरों पर कब्ज़ा किया हुआ है उन्हें लौटाने में और इन शरणार्थियों को और कोई स्थान देने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
		बलात् अधिकार करने वालों की बस्तियों को विनियमित करने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
		शरणार्थियों को लाभप्रद काम दिलवाने के आधार पर "समायोजन" करने के सम्बन्ध में सरकार की असफलता	१०० रुपये
		छोटे छोटे व्यापारिक ऋणों को देने के स्थान पर शरणार्थियों को काम में लगाने के लिए योजनाबद्ध आधार पर सीधे राज्य के कारखाने खोल कर असंतोषजनक गैर-कृषि सम्बन्धी योजनाओं को "पुनः समायोजित" करने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
		सीमान्त परती भूमि के विकास को आरम्भ कर के और बाद में इन्हें शरणार्थी कृषकों में बांट कर असंतोषजनक कृषि सम्बन्धी योजनाओं को "पुनः समायोजित" करने में सरकार की असफलता	१०० रुपये
	सरदार हुक्म सिंह	विस्थापित व्यक्तियों को अपने घरों से निकालने की गलत नीति	१०० रुपये
		विस्थापित व्यक्तियों को संतोषजनक रूप से पुनर्वासित करने में असफलता	१०० रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्तावक	कटौती आधार	कटौती राशि
		आश्रमों के निवासियों और भरण पोषण भत्ता प्राप्त करने वालों को अग्रिम धन देने के सम्बन्ध में नीति को क्रियान्वित करने में असफलता	१०० रुपये
		पटेल नगर, राजेन्द्र नगर आदि में मकानों की कीमतें अन्तिम रूप से निश्चित करने में असफलता	१०० रुपये
		दिल्ली में पश्चिमी पंजाब के विस्थापित व्यक्तियों को दिये गये बागों का आवंटन रद्द कर देना	१०० रुपये
	श्री गिडवानी	विस्थापित व्यक्तियों पर व्यय	१०० रुपये

श्री गिडवानी (थाना): पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिवेदन के संक्षिप्त वृतान्त में पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ७९,५०,००० बताई गई है। इन में से ६,५५,००० व्यक्ति जनगणना के पश्चात् पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं। उन्होंने विगत जन संख्या के बाद पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों का कोई उल्लेख नहीं किया है। पूर्वी पाकिस्तान के सम्बन्ध में श्री मेघनाद साहा और उनकी समिति ने यह मत व्यक्त किया है कि वहां पर विस्थापित व्यक्तियों की संख्या अधिक है। जहां तक इन आंकड़ों का सम्बन्ध है यह सर्वथा स्पष्ट है कि दोनों पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ८० लाख से अधिक है। पिछले सात वर्षों में इन पर २०१ करोड़ रुपया व्यय किया गया है। इस राशि के विषय में जो भ्रम है मैं उसे सही कर देना चाहता हूं। इस रकम में से गृह व्यवस्था में ६५.१० करोड़ रुपया खर्च हुआ है, विस्थापित व्यक्तियों को दिये जाने वाले छोटे-छोटे ऋणों की रकम ३८.९ करोड़ है और पुनर्वास वित्तीय प्रशासन के ऋण की रकम ७.७१ करोड़ रुपया है वस्तुतः उक्त रकम इस दृष्टि से नहीं व्यय की गई है कि विस्थापितों ने उसका उपयोग किया है प्रत्युत यह तो पूंजी विनियोग की भांति है। गृह-व्यवस्था परियोजना और ऋण देना तो पूंजी विनियोग हैं। इसके बाद प्रतिष्ठापन के लिये प्रतिवेदन में १,१२,००,००० रु० दिया गया है। मुझे नहीं मालूम कि सरकार का निष्कर्ष किस प्रकार प्रस्तुत आंकड़े तक पहुंचा है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री इसे स्पष्ट करेंगे।

मैं यह नहीं कहना चाहता कि रुपया किस तरह खर्च किया गया है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या का समाधान हो गया है क्योंकि इस के लिये एक विशिष्ट मंत्रालय स्थापित किया गया था। पुनर्वास मंत्रालय अन्य मंत्रालयों की भांति नहीं है। यह विशिष्ट कार्य के लिये रचित विशिष्ट मंत्रालय है। आम तौर पर यह धारणा थी कि दो या तीन वर्षों में यह

समस्या हल हो जायेगी और तदुपरान्त मंत्रालय भंग कर दिया जायेगा। लेकिन तथ्य दूसरा ही चित्र बता रहे हैं और मुझे प्रसन्नता है कि सरकार ने अपने संक्षिप्त प्रतिवेदन में निष्कर्ष में कहा है कि आर्थिक मंदी के कारण विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास पर विपरीत प्रभाव पड़ा है।

प्रकट है कि अभी यह कार्य जारी रहेगा। माननीय मंत्री और सदन के सदस्यों को मालूम होगा कि विभिन्न शिविरों में लोग रह रहे हैं और इन में से एक सब से बड़ा शिविर बम्बई राज्य का उल्लास नगर केम्प है। अर्थशास्त्र के प्रोफसर श्री सी० एन० वकील ने हाल ही में अपने कुछ विद्यार्थियों के साथ उक्त केम्प का नमूना प्रमाप किया था। उन्होंने बताया है कि जिन २७० शरणार्थी परिवारों का विहंगम दृष्टि से पर्यालोकन किया उससे उन के साहस, उद्यम और परिश्रम करने की क्षमता से उनके प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है। सम्पूर्ण केम्प में उन्हें केवल एक भिखारी के दर्शन हुये। वहां सात वर्ष की उम्र वाले बालकों को प्रति दिन आठ से दस घंटे काम करते देखा गया। अन्त में श्री वकील का निष्कर्ष है कि जिन २७० परिवारों का पर्यालोकन किया गया उन में से ६६ परिवारों को यथार्थ में पुनर्वासित समझा जा सकता है। उल्हास नगर की स्थिति इस प्रकार है। आज मैं पंजाब के विषय में कुछ पढ़ रहा था। मैं इस सम्बन्ध में अधिकारपूर्वक कुछ नहीं कह सकता लेकिन पंजाब विधान परिषद् में एक कांग्रसी सदस्य श्री बाली ने इस विषय पर बोलते हुय उद्गार प्रकट किया था कि शरणार्थी आज भी उसी स्थिति में हैं जिसमें वह १५ अगस्त, १९४७ को थे।

आज लाजपत नगर के पुष्पा मार्केट की ओर से मुझे हिन्दी में एक पुस्तिका मिली जिसमें लिखा है :

"वीरान पुष्पा मार्केट में तारीख १-४-५४ को काले झंडों का खामोश मजाहरा" इसके कारण कुछ भी हों मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं। इन्हीं बातों को मैं माननीय मंत्री और सदन के सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं अन्यथा कहीं यह भावना न बन जाये कि स्थिति सब कुछ ठीक है। स्वयं सरकार यह बात स्वीकार करती है कि बस्तियों और उपनगरों में लोगों में बहुत बेकारी है और उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। पुनर्वास के सम्बन्ध में मेरे रचनात्मक सुझाव ये हैं। पुनर्वास के लिये दो चीज़ें—लाभप्रद काम और मकान—आवश्यक हैं। काम शरू करने के लिये सरकार दो प्रकार के ऋण—नागरिक और ग्रामीण ऋण—देती है। मैंने हिसाब लगाया है कि नागरिकों को प्रति परिवार ६५० रुपये का औसत ऋण दिया गया है और यह समझा गया है कि उन ३१ लाख विस्थापित व्यक्तियों में से जिन्होंने यह ऋण लिये हैं, १५ लाख पुनर्वासित हो चुके हैं। अब इन शरणार्थियों को किस्तों की वसूली के लिये नोटिस दिये जा रहे हैं। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि यह वसूली सामान्य दीवानी प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत नहीं की जा रही बल्कि एक विशेष प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है जिस के अन्तर्गत भुगतान न कर सकने की अवस्था में घरेलू सामान भी जब्त कर लिया जाता है। मैं ने माननीय मंत्री को यह सुझाव दिया है और मैं इसे फिर दुहराता हूं कि कम से कम उन व्यक्तियों के मामले में, जो कि दावेदार नहीं है और जिन्होंने २५ या ५० या १०० या १००० रुपया तक लिया है, सरकार को ऋण माफ कर देना चाहिये। मैं सदन से पूछता हूं कि क्या मध्य वर्ग का एक व्यापारी जिसका परिवार है और जिसने औसतन ६५० रुपया ऋण लिया है, इस राशि से पुनर्वासित हो सकता है? और ब्याज

[श्री गिडवानी]

के साथ इसे वापस कर सकता है ? माननीय मंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था कि वे इस मामले पर विचार करेंगे । मैं उनसे कहता हूं कि समय अब आ गया है, क्योंकि शरणार्थियों को नोटिस मिलने शुरू हो गये हैं। यदि तुरन्त कार्यवाही न की गई तो ये शरणार्थी बरबाद हो जायेंगे ।

दावेदारों के सम्बन्ध में भी मैं यह सुझाव दूंगा कि पुनर्वास वित्त प्रशासन ऋण और राज्य ऋण दोनों उन के प्रमाणित दावों की राशि में से काट लिये जायें, ताकि कम से कम यह लोग तो वसूली के प्रश्न की परेशानी से बच जायें । अन्य ममलों में भी हमें एक समिति नियुक्त करनी चाहिये जो कि इस बात की जांच करे कि प्रत्येक ऋण लेने वाला इसे वापस करने की क्षमता रखता है या नहीं । हमारा उद्देश्य यह है कि विस्थापित व्यक्तियों को यथा संभव अधिक से अधिक सहायत दी जाय ।

ग्रामीण ऋणों के सम्बन्ध में भी मैं जानता हूं कि बहुत से व्यक्ति इसे वापिस नहीं कर सकते । इस मामले में भी कुछ समायोजन आवश्यक है ।

प्रति कर के सम्बन्ध में सरकारी रिपोर्ट में कहा गया है कि ३० मार्च तक १४०० व्यक्तियों को प्रतिकर दिया जा चुका है । छः हजार मिट्टी के झोंपड़ों के स्वामी हैं । ४४००० व्यक्ति शेष हैं । अब तक इन में से १४०० को प्राथमिकता प्रति कर मिला है । शेष व्यक्तियों के बारे में आपका क्या विचार है ? अब इस प्रश्न को निपटाने का समय आ गया है । हमें सब दावेदारों को सहायता देनी है । यह सहायता बन्धक पत्रों के रूप में या दावों को हस्तान्तरित करने का अधिकार दे कर की जा सकती है । इस प्रकार की कोई योजना बनाने में कोई विलम्ब नहीं होना चाहिए ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : माननीय सदस्य को इन वैयक्तिक मामलों में सदन का समय नहीं लेना चाहिये । मैं उन्हें पहले ही वचन दे चुका हूं कि यदि किसी व्यक्तिगत मामले में कोई कठिनाई है, तो उसे मेरी सूचना में लाया जाना चाहिये और मेरे अफसर लोग उस मामले की जांच-पड़ताल करेंगे ।

श्री गिडवानी : यह एक विचित्र उदाहरण देखने में आया कि एक व्यक्ति को लगभग ४,००० रु० की छोड़ी गई सम्पत्ति पर केवल ५ रु० प्रति माह भरण-पोषण भत्ता मिलता है ।

श्री ए० पी० जैन : ५ रु० तो किसी को भी नहीं मिलता है । न्यूनतम राशि १० रु० थी ।

श्री गिडवानी : मेरे पास उस व्यक्ति का पत्र है जिसे मैं पढ़ कर सुना सकता हूं । इस सम्बन्ध में जब उस ने इस राशि में वृद्धि कराने का प्रयत्न किया तो वह ५ रु० मिलने भी बन्द हो गये । मैं किसी व्यक्ति विशेष को इस के लिये दोष नहीं देता वरन् यह तो सरकारी मशीनरी ही ऐसी है। मैंने व्यक्तिगत रूप से श्री भोंसले तथा श्री भटनागर से भेंट की किन्तु मुझे कोई उत्तर नहीं मिला । और यदि मिला तो केवल मौखिक उत्तर कि यदि कोई व्यक्ति कुछ पैदा करता है तो उसे भरण-पोषण भत्ता नहीं मिलना चाहिये । इस विषय में मैं माननीय मंत्री से कहना चाहूंगा कि मानवता एवं सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार किया जाना चाहिये ।

बहुत से विस्थापित दावेदारों को कुछ भी नहीं मिला है और पता नहीं कि कब तक उन्हें और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । कुछ

लोगों को कुछ क्षतिपूर्तियां दी गई हैं किन्तु इन लोगों के पास भी अब कुछ नहीं रह गया है। इस कार्य में शीघ्रता करने की आवश्यकता है ताकि निश्चित समय में ही यह कार्य समाप्त हो सके।

दूसरे १००० रु० की गैर-दावेदारों की राशि को तथा अवशिष्ट लगान आदि को समाप्त कर दिया जाना चाहिये।

इस समस्या को सहानुभूतिपूर्ण ढंग से शीघ्र ही हल कर देना चाहिये जिस से पुनर्वास की समस्या अगले वर्ष न उत्पन्न हो सके और हम लोग शरणार्थी न कहला कर यहां के नागरिकों की भांति यहां के लोगों के दुख-सुख में साथ दे सकें। आशा है माननीय मंत्री मेरे इन सुझावों पर ध्यान देंगे।

लाला अंचित राम (हिसार) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आप को धन्यवाद देता हूं कि आप ने मुझे बोलने का मौक़ा दिया। सब से पहले मैं गवर्नमैंट आफ इंडिया (भारत सरकार) की पालिसी (नीति) का एप्रीशियेशन (प्रशंसा) करना चाहता हूं कि जिस पालिसी की वजह से आज पाकिस्तान की तरफ़ से ज्यादा आदमी नहीं आ रहे हैं। जो इनफलक्स (बाढ़) था वह बन्द हुआ। मैं समझता हूं कि यह गवर्नमैंट आफ इंडिया की वाइज़ (बुद्धिमतापूर्ण) पालिसी थी। मैं भी उन आदमियों में था जिन को शक़ था कि इस पालिसी का क्या असर होगा। लेकिन आज दो तीन वर्ष के टैस्ट (परीक्षण) से यह साबित हुआ कि गवर्नमैंट आफ इंडिया ने जो पालिसी अडाप्ट (ग्रहण) की थी वह बहुत वाइज़ (बुद्धिमतापूर्ण) और साउंड (सुदृढ़) थी। आज वहां से वह इनफलक्स नहीं आ रहा है। मैं समझता कि पाकिस्तान में भी अब कुछ ठीक हालत है कि कांग्रेस मैम्बर्स इलैक्शन (कांग्रेस सदस्य निर्वाचन) में खड़े हो रहे हैं और कामयाब हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो यह हालत हुई तो उस का वजह गवर्नमैंट आफ इंडिया की साउंड पालिसी (सुदृढ़ नीति) थी।

जो वहां से आदमी आए मैं समझता हूं कि गवर्नमैंट आफ इंडिया की सैंसस (जनगणना) है कि ३१ लाख आदमी आए। मेरा अन्दाज़ है कि नम्बर (संख्या) ज्यादा है, क्योंकि पहले लोग कुछ परिवारों को इधर ले आए थे। इसलिये वह नम्बर ठीक नहीं होगा। लेकिन, खैर, उस का ताल्लुक यहां नहीं है, क्योंकि गवर्नमैंट को रिलीफ (सहायता) देना है और वह दे रही है। इस के अलावा मैं समझता हूं कि दो तीन वर्ष के अन्दर इस बात की भी आज़माइश कर ली गई है कि ईस्ट पाकिस्तान (पूर्वी पाकिस्तान) के लोगों को और किन सूबों में भेजा जाय। जो लोग आए हैं उन के लिये मेरी समझ में कलकत्ता और बंगाल ही ज्यादा उपयुक्त है। इसलिये उन को अब बहुत जगह बाहर भेजने का सवाल पैदा नहीं होता। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात को जानते होंगे कि ज्यादातर जो लोग ईस्ट पाकिस्तान से आए वह चाहते हैं कि कलकत्ते के इर्द गिर्द ही रहें, इसलिये कि वहां उन को गेनफ़ुल आकुपेशन (लाभदायक पेशे) मिल सकते हैं। इसलिये गवर्नमैंट को ध्यान रखना चाहिये कि जहां पर गेनफ़ुल आकुपेशन मिल सकें वहां रखा जाय, ग्रेटर कलकत्ते की स्कीम (योजना) हो या कहीं भी हो, वहां उन को भेजिये जिस से उन को गेनफ़ुल आकुपेशन मिल सके। इस से बहुत सारे मसले खुद ब खुद हल हो जायेंगे।

अब मैं इधर वैस्ट पाकिस्तान (पश्चिमी पाकिस्तान) के मुताल्लिक़ अर्ज़ करना चाहता हूं। वैस्ट पाकिस्तान की तरफ़ भी जो गवर्नमैंट आफ इंडिया ने पालिसी एडाप्ट की, वह तो

[लाला अचिन्त राम]

तमाम हिन्दुस्तान के लिये की, मैं समझता हूं कि उस का बहुत अच्छा असर हुआ। काश्मीर के मसले के मुतल्लिक़ भी बहुत अच्छा असर हुआ। गवर्नमैंट की जो फर्म और साउंड पालिसी थी उस की वजह से आज पाकिस्तान अपने अन्दर महसूस करता है कि उस पालिसी को बदल नहीं सकता डिसलाज (अव्यवस्थित) नहीं कर सकता। आज पाकिस्तान में जब मसले आते हैं, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के मसले आते हैं, तो पाकिस्तान कहता है कि काश्मीर का मसला है, इवैक्युई प्रापर्टी (निष्क्रान्त सम्पत्ति) का मसला है। तो जब हम कहते हैं कि इवैक्युई प्रापर्टी का मसला हल करो तो वह कहता है कि नम्बर वन (सर्वप्रथम) काश्मीर का मसला है और उस के बाद नम्बर दो इवैक्युई प्रापर्टी का मसला है। पहले काश्मीर का मसला हल होगा तो बाद में वह हल होगा, क्योंकि उस में उन को देने की बात है।

उपाध्यक्ष जी,आप को मालूम है कि जिस वक्त पाकिस्तान बना उस वक्त तरह तरह के नुक़सान हिन्दुस्तान को उठाने पड़े। वह नुक़सान छः क़िस्म के थे। पहला यह था कि हिन्दुस्तान के लाखों आदमी वहां मारे गये, बेगुनाह आदमी मारे गये। यह है नम्बर वन। नम्बर दो यह नुक़सान हुआ कि बहुत सारी औरतों की बेइज्ज़ती हुई। यह नुक़सान अब तक चल रहा है। यह सब आप के सामने है। फिर नम्बर तीन पर यह कि हमारे जो वहां मन्दिर थे, गुरुद्वारे थे, उन सब का नुक़सान हुआ। वह सब भी आप के सामने है, यह कोई छिपी हुई बात नहीं है। चौथा नुक़सान यह हुआ कि जो मूवेबुल प्रापर्टी (चल सम्पत्ति) थी, जैसे कपड़े हैं, जेवरात हैं, वह सब करोड़ों रुपये की प्रापर्टी वहां रह गयी और बरबाद हो गयी। इस की कोई गिनती नहीं है। गिनती की भी नहीं जा सकती है। यह चार क़िस्म के नुक़सानात थे। इन के अलावा दो क़िस्म के और नुक़सान थे, एक तो ज़मीन का और दूसरा हमारे मकान का, जो कि इम्मूवेबुल (अचल) थे, वह सब वहां ही पर रह गये। उस वक्त हमारे लीडरों (नेताओं) ने कहा कि यह जो आप का नुक़सान है, जो जान गयी, प्रापर्टी गयी, इस को आप भूल जाइये। क्योंकि मसला यह था कि एक तरफ़ देश हमारा आज़ाद रहे या गुलाम रहे। इस वास्ते देश की आज़ादी के लिये, चाहे औरतों की बेइज्ज़ती हो, चाहे जान गयी हो, चाहे लोग मारे गये हों, यह सब बरदाश्त किया। अपील की गयी थी, हमारे सब लीडरों ने अपील की थी, मशविरा दिया था। सरदार पटेल ने कहा हो या पंडित जी ने कहा हो, सब ने अपील की थी।

लेकिन आज जो नयी सीचुएशन (स्थिति) पैदा हो गयी है उस की तरफ़ मैं ख़ास तौर पर गवर्नमैंट आफ इंडिया की तवज्जह दिलाना चाहता हूं। वह सीचुएशन यह है कि उस वक्त गोपालस्वामी आयंगरजी का ख्याल था कि हम पाकिस्तान के साथ मुआहिदा कर लेंगे और प्रापर्टी (सम्पत्ति) का मसला हल हो जायगा। एक्स, वाई, ज़ैड कहा,कुछ पाकिस्तान से रुपया मिलेगा, कुछ गवर्नमेंट आफ इंडिया देगी, कुछ इवैक्युई प्रापर्टी होगी, इससे यह सब मसला हल हो जायेगा। लेकिन आज इस साल एक नई स्थिति उत्पन्न हो गई है और मैं वह स्थिति सरकार के सम्मुख रखना चाहता हूं सीचुएशन क्या है ? आज पाकिस्तान गवर्नमेंट ने शेल्टर (आश्रय) ले लिया है इस कनटैंशन (इरादे) पर कि अगर काश्मीर का मसला हल होगा तभी इवैक्युई प्रापर्टी का मसला हल होगा, इस वास्ते कि न तो काश्मीर का मसला हल हो और न इवैक्युई प्रापर्टी का मसला हल हो। यह दोनों तरह जुड़ गये हैं। मैं बहुत अदब के साथ, आजिजी के साथ,

आपके सामने खास कर फायनेन्स मिनिस्टर (वित्त मंत्री) साहब के सामने, यह मसला रखना चाहता हूं। पहले कुछ आशा थी, लेकिन अब काश्मीर का मसला जो है, वहां भी उसके लिये हालात खराब होते जा रहे हैं। कोई पता नहीं कि काश्मीर का मसला हल कब हो और इस के साथ यह इवैक्युई प्रापर्टी का मसला भी कब तक जुड़ा रहे। इसलिये पता नहीं कि इवैक्युई प्रापर्टी का मसला कब हल हो, एक अजीब चीज़ बन गई है। पहले तो रिफ्यूजीज को अपील की गयी। उनकी जान गई, औरतों की बेइज्ज़ती हुई, उसको उन्होंने बरदाश्त किया। उन्होंने आप की अपील को मान लिया। अब पाकिस्तान एक तरफ से इस मसले को काश्मीर के साथ टैग करता है और दूसरी तरफ हमारे फायनैन्स मिनिस्टर साहब ने बहुत सोच विचार के बाद यह फैसला किया है कि कम्पैनसेशन की जो जिम्मेवारी है यह गवर्नमेंट आफ इंडिया पर नहीं है। अगर में गलत कहता हूं तो मुझे ठीक कर दें। जो मैं समझा हूं वह यह है कि उन्होंने कहा कि रिहैबीलिटेशन (पुनर्वास) की जिम्मेवारी है, कम्पनसेशन (क्षतिपूर्ति) की नहीं। मैं कभी यह सोचता हूं कि अगर कहीं फायनैन्स मिनिस्टर जिस वक्त पार्टीशन (विभाजन) हो रहा था, लाहोर में होते, तो लोग जब मर रहे थे और औरतें बेइज्ज़त हो रही थीं, तो वह लोगों से क्या कहते? क्या उन के मुंह से यह बात नहीं निकल जाती कि तुम फिक्र न करो कि तुम्हारा इतना नुकसान हो रहा है, हम इसको पूरा करेंगे। जैसे और लोगों ने कहा, क्या यह बात फायनैन्स मिनिस्टर साहब कहते या नहीं कहते।

श्री ए० पी० सिन्हा (मुजफ्फरपुर पूर्व) : उस समय तो जान बचाने की फिक्र थी, धन का कौन आश्वासन देता?

लाला अचिंत राम (हिसार) : लेकिन आश्वासन तो दिया, लोगों ने दिया, आपके नेताओं ने दिया।

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : वित्त मंत्री ने कोई भी निर्णय नहीं किया है। यह निर्णय सरकार का निर्णय है। अतः माननीय सदस्य किसी भी मंत्री के निर्णय का निर्देश न कर सरकार के निर्णय का निर्देश करें, वह चाहे जैसा भी हो।

उपाध्यक्ष महोदय : वित्त मंत्री के कथन का तात्पर्य यह है कि कोई भी मंत्री जो कुछ करता है, वह सम्पूर्ण सरकार की ओर से करता है।

श्री ए० पी० जैन : वास्तव में जो कुछ प्रकाशित हुआ है वह सरकार का निर्णय ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : इससे यह नहीं समझना चाहिये कि सारा दायित्व एक मंत्री का ही है वरन् पूरे केबिनेट पर ही सम्मिलित रूप से इसका दायित्व रहता है। अतः माननीय सदस्य व्यक्तिगत रूप से मंत्री के विषय में कहने के अतिरिक्त सरकार के लिये कह सकते हैं—केवल विभाग के इन्चार्ज मंत्री को छोड़ कर।

लाला अचिंत राम : मैं बधाई देता हूं और मैं बड़ा खुश हूं कि आज हमारे दोनों मंत्री साहबान ने एक जबान हो कर यह बात कही कि यह गवर्नमेंट डिसीशन (सरकार का निर्णय) है।

श्री ए० पी० जैन : हमेशा कहा करते हैं।

लाला अचिंत राम : मुझे आपसे यह सुन कर बड़ी खुशी होती है कि हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग (मजबूत) है और इस मामले में एक

[लाला अचिंत राम]

खयाल की है । मुझे इस बात की खुशी है कि हमारे फायनैन्स मिनिस्टर ने कहा कि यह डिसीशन गवर्नमेंट का है और मुझे खुशी है कि गवर्नमेंट ने ऐसा फैसला किया । आगे चल कर हम रिपोर्ट में पढ़ते हैं कि हमारे मंत्री श्री अजितप्रसाद जैन कहते हैं कि मैं समझता हूं कि क्षतिपूर्ति पुनर्वास का एक अंग है । उनका ख्याल है कि कम्पेनसेशन पार्ट आफ रिहैबीलिटेशन है, लेकिन गवर्नमेंट का खयाल इससे मुखतलिफ है और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के मुताबिक गवर्नमेंट की कम्पेनसेशन के लिये जिम्मेदारी नहीं है, रिहैबीलिटेशन की जिम्मेदारी है । अब बतलाइये क्या करें ? इधर तो यह एखतलाफ है और दूसरी तरफ पाकिस्तान का यह रवैया है कि हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच इवैकुयी प्रापर्टी का मसला हल नहीं करेंगे जब तक काश्मीर का मसला हल न हो जाय । हमारी गवर्नमेंट का व्यू यह है कि हमारी जिम्मेदारी कम्पेनसेशन की नहीं है लेकिन मैं अपनी सरकार से बहुत अदब से पूछना चाहता हूं कि आखिर ये जो हजारों और लाखों रेफ्यूजीज़ बेघरबार हुए, उन के घर वाले मारे गये और उनका करोड़ों रुपये का नुकसान हुआ, यह जो कुर्बानी उन्होंने दी, तो क्या यह आपका और हर एक का अव्वलीन फर्ज नहीं हो जाता कि उन्हें बसायें और उनको कम्पेनसेट करें, उनके नुकसान की क्षतिपूर्ति करें, माली नुकसान तो किसी हद तक आप उनका पूरा कर सकते हैं और ऐसा करना कोई अजीब और अनोखी बात नहीं है । चर्चिल ने भी यही कहा था कि अगर पिछली लड़ाई के अन्दर इंगलिस्तान में किसी का मकान बौम्ब होगा और नुकसान होगा तो नेशनल एक्सचैकरा (राष्ट्रीय राजकोष) से उसकी क्षतिपूर्ति की जायेगी । मकान का नुकसान लड़ाई में होता है तो वह देश का नुकसान है और इस वास्ते उसने उसकी जिम्मेदारी ली । चूंकि रेफ्यूजीज़ का नुकसान एक पोलिटिकल सेटिलमेंट (राजनीतिक निबटारे) के मातहत हुआ और उसमें उनका कोई कसूर न था, हमारे नेताओं ने ऐलान किया और मैं कहता हूं कि सही ऐलान किया कि हम तुम्हारे लासेज़ (क्षतियों) को पूरा करेंगे, हमारे गोपालस्वामी आयंगर ने पार्टीशन के वक्त ऐलान किया था, आज गवर्नमेंट की पालिसी बदल गई है ; आज अगर आपको यकीन है कि वाकई इवैकुई प्रापर्टी का मसला काश्मीर के साथ जुड़ गया है, तो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहता हूं कि आज उन के सामने कौन सा मसला गौर तलब है । क्या यह वाकया नहीं है कि रेफ्यूजीज़ ने देश को बचाने के लिये सफर किया और अपनी कुर्बानी दी । इवैकुयी प्रापर्टी का मसला हल नहीं हो पाता क्योंकि पाकिस्तान नहीं मानता और इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है बेचारे रेफ्यूजीज़ को । आज सरकार की नीति के कारण शरणार्थियों को हानि सहनी पड़ रही है । मश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों को हानि सहनी पड़ रही है किन्तु उनको सहायता पहुंचाने के लिये कोई मार्ग नहीं निकाला जा रहा है । क्या इसे आप रक्षा के आयव्ययक का एक अंग नहीं मान सकते ? मैं गवर्नमेंट को कहूंगा कि इस वक्त अगर आप मुल्क के डिफेंस के लिये हर साल दो अरब रुपया खर्च करते हैं, सन् ४८, ४९, ५० और ५१ में दो अरब रुपया खर्च करते हैं तो मैं बड़ी नम्रता के साथ अपनी सरकार से कहना चाहता हूं कि आज रेफ्यूजीज़ सफर कर रहे हैं और वह हानि उठा रहे हैं आपकी वित्तीय तथा राष्ट्रीय नीति के कारण । क्या इस कम्पेनसेशन को आप अपने बजट का हिस्सा नहीं बना सकते ? उसमें आप रखिये ।

गवर्नमेंट की जब यह पालिसी है और पाकिस्तान की पालिसी

कुछ देने की नहीं है तब क्या चीज़ रह जाती है ? वह मकान रह जाते हैं जिन पर रेफ्यूजीज़ का कब्जा है या जो लोन उनको मिला है। गवर्नमेंट अपने पास से कुछ उनको देना चाहती नहीं, उसकी कम्पेनसेशन की स्कीम सिवाय इस के कुछ नहीं है कि इस जेब से निकाल कर उस जेब में डाल दिया। और शायद मंत्री जी ने जो यह लफ्ज़ लिखे कि वचन पूरा हो गया उसको सुन कर तो मुझे हंसी आ गई। यह कोई वचन का पूरा करना है कि एक की जेब से निकाल कर दूसरे की जेब में डाल दिया। जो रुपया मिले उसको लें।

इसके अलावा मैं अर्ज़ करूं कि मैं लास्ट इयर की रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें ज़िक्र था कि हमने फैसला कर लिया है कि अब कम्पेनसेशन जल्द शुरू हो जायेगा, एक तरफ गवर्नमेंट आफ इंडिया की पालिसी से बंधते है, दूसरी तरफ आप माफ कीजियेगा ऐसे स्टाफ से बंधे हैं जो कोई रिज़ल्ट नहीं दिखा सकता, आप इन दोनों के बीच में फंसे हुए हैं और अगर आप आज पहली कैटेगरी और दूसरी कैटेगरी को कम्पेनसेशन नहीं दे सके तो मैं आपको ब्लेम नहीं करता, आपकी मजबूरी मैं जानता हूं।

अब मैं एक, दो बातें मुख्तसर में अर्ज़ किये देता हूं। आर० ए० एफ० लो न (ऋण) के बारे में आपने फैसला किया कि वेस्ट पाकिस्तान से जो आदमी आये हैं उनको यह न दिया जाये। मेरी गुजारिश यह है कि यह कुछ मुनासिब नहीं है कि उनको इससे महरूम रखा जाय। मैंने अखबार में दिया था कि ऐसे आदमी जो क्लेम्स (दावे) नहीं दे सके वह मुझे लिखें और मैं आपको बतलाऊं कि तीन सौ एप्लीकेशन्स मेरे पास आ गयी हैं और बाहर सैकड़ों आदमी बैठे हुये हैं, मैं चाहूंगा कि मिनिस्टर साहब खुद उन से मिल कर पूछें कि क्या वजूहात थीं जिनकी वजह से वह क्लेम्स नहीं दे सके और मैं चाहूंगा कि उनको इस स्कीम से महरूम न रखा जाय। ईस्ट पाकिस्तान से ऐसे लाखों आदमी आये हैं जिनके क्लेम्स नहीं हैं। मैं समझता हूं कि जिनके क्लेम्स नहीं हैं उनको आपको इस में शामिल करना चाहिये। वजूहात तो उन्होंने कई लिख कर मुझे भेजी हैं लेकिन मैं दो वजह आपके सामने सुनाता हूं। पहली वजह तो उन्होंने यह बतलाई कि बहुत से अशखास जिनके घर वाले पाकिस्तान में कत्ल कर दिये गये थे, उनके होश हवाश क़ायम नहीं रहे, जिनके रिश्तेदार मर जायें उनको कोई होश नहीं रहता, यह उन्होंने दलील दी थी। दूसरी वजह उन्होंने यह दी कि जब वे हिन्दुस्तान में दाखिल हुये थे तब उन्होंने क्लेम्स एप्लीकेशन्स दी थीं और वह यह समझते थे कि वह ही काफ़ी रहेंगी।

मैंने पहले भी लास्ट डिवेट के मौके पर कहा था कि यह जो देहाती क्लेमों का सवाल है यह फ़ौरन हल किया जाना चाहिये। आपने दो दिन हुये देहाती क्लेमों पर ग़ौर करने के लिये मेहरबानी फ़रमाई और एक मीटिंग बुलाई और वहां पर इसका ज़िक्र हुआ कि जिनके छोटे छोटे प्लाट्स (भू-भाग) थे उनका इन्तज़ाम नहीं हुआ है। जहां तक पंजाब गवर्नमेंट का ताल्लुक़ है उनका टेलीफोन आया है कि हमारे पास इसको करने की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपसे अर्ज़ करूंगा, मैं जानता हूं कि आपके दिल में रेफ़यूजीज़ के लिये दर्द है, पंजाब गवर्नमेंट उन के लिये कुछ कर नहीं सकी है और वह आपकी तरफ़ आंख लगाये हैं, न तो उनको रहने को मकान मिले हैं और न ही ज़मीन मिली है।

एक लफ्ज़ योल कैम्प के बारे में अर्ज़ कर दूं। आपने वहां के रेफ़यूजीज़ को तीन सौ और पांच सौ रुपये मकान बनाने के वास्ते दिये, लेकिन उसमें ख़र्च हो गया आठ सौ। अब क्या किया जाय, आपका यह कहना कि रुपया हमारे पास नहीं हम कहां से दें।

[लाला अचिंत राम]

हम आपकी मजबूरी बखूबी समझते हैं। मैंने कहा पांच सौ रुपया दीजिये, लेकिन वह कहते हैं कि रुपया हमारे पास नहीं है। ११०० आदमियों को प्लाट्स देना चाहते हैं वे कुल सौ आदमियों को रुपया दे सकते हैं ज्यादा को नहीं। । मुझे आपकी मजबूरी और लिमिटेशन से हमदर्दी है। यह ठीक बात है कि आप इन मजबूरियों पर कैसे विजय प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं उनसे अर्ज़ करूंगा कि वह इस मसले पर सोचें और कोई हल अवश्य निकालें ताकि यह किश्ती जो अड़ गई है वह पार लग सके। यह कह देने से कि क्षतिपूर्ति देना हमारा उत्तरदायित्व नहीं है, काम नहीं चलेगा। ये बेचारे मुसीबत के सताये रेफ़्यूजीज़ आपके रहम व करम पर हैं और अगर आप इनकी हालत पर ग़ौर नहीं करेंगे और यह मसला हल नहीं करेंगे तो कौन करेगा।

श्री बी० के० दास (कोन्टाई) : यद्यपि शरणार्थियों की समस्या को हल करने के लिये जो कार्यवाहियां की गई हैं वे महत्वपूर्ण हैं किन्तु फिर भी बहुत से दृष्टिकोणों से अभी इस सम्बन्ध में बहुत कुछ करना है। मैं पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की समस्याओं का वर्णन करना चाहूंगा।

शरणार्थियों की आवास योजनाओं पर एवं ऋण तथा व्यय आदि के लिये चालू वर्ष में पिछले वर्ष की अपेक्षा समुचित धन राशि की व्यवस्था की गई है। राज्य सरकारों को इस वर्ष १.३ करोड़ रुपया व्यापार सम्बन्धी ऋण के लिये निश्चित किया गया है, जब कि आगामी वर्ष के लिये यह राशि बढ़ा कर ३.२१ करोड़ रुपया कर दी गई है। आवास योजना पर भी अधिक व्यय होने के कारण पूर्वी बंगाल से आये हुये शरणार्थियों की अवस्था निश्चय ही सुधरेगी किन्तु मुझे एक बात जो खटकती है वह यह है कि इस योजना पर जो व्यय किया गया है उसका उचित उपयोग नहीं किया गया है। तथ्य निर्धारण समिति ने अपने प्रतिवेदन में जो कुछ हो चुका है उसका तथा भविष्य के कार्यक्रम का उल्लेख किया है। गृह-व्यवस्था सम्बन्धी कार्यक्रम के विषय में उसमें भी अधिक नहीं बताया गया है। पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुये शरणार्थियों की भांति इन लोगों की गृह-समस्या के लिये सरकार ने उतना नहीं किया है जितना इन लोगों ने स्वयं किया।

पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के गृह-निर्माण सम्बन्धी कार्यक्रम पर सरकार ने ५२ करोड़ रुपया व्यय किया है जब कि १९५३-५४ के अन्त तक पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों के लिये १३.३४ करोड़ रुपया व्यय किया गया है और ३.१९ करोड़ रुपये की व्यवस्था १९५४-५५ के लिये की गई है। इसके अतिरिक्त पश्चिमी पाकिस्तान के शरणार्थियों के लिये सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की अपेक्षा अधिक मकान बनवाये हैं या बनवाये जा रहे हैं। पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों ने स्वयं ही २.४५ लाख मकान बनवाये हैं जब कि सरकार उन के लिये केवल १३,००० मकान ही बनवा सकी है। इस गृह-निर्माण सम्बन्धी नीति पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है क्योंकि इससे अच्छा परिणाम नहीं निकला है। शरणार्थी लोग उस ऋण का उचित उपयोग भी नहीं कर सके हैं। नगरों तथा ग्रामों के लिये जो उच्चतम ऋण राशियां अर्थात् क्रमशः ५,००० रु० तथा ५०० व ७५ रु० भूमि का मूल्य निर्धारित किया गया है, ये राशियां यथोचित नहीं हैं। इसके अतिरिक्त मकान अच्छी तरह से बने भी नहीं हैं। इस कारण अधिक दिन तक चल भी नहीं सकते। अतः सरकार को देखना चाहिये कि वह इस कार्यक्रम में और क्या सुधार कर सकती है।

कलकत्ता में अनधिकृत रूप से अधिकार जमाये हुये लोगों की जो लगभग १३३ वस्तियां हैं, पश्चिमी बंगाल सरकार उन भूमियों को अपने अधिकार में लेकर नये ढंग से बसाना चाहती है। अन्त में यह सरकार इन बस्तियों तथा मकानों का क्या करेगी यह मैं नहीं जानता किन्तु उस में उन्नति की काफी गुंजाइश है। इसी प्रकार यदि यहां की सरकार भी करे तो गृह-निर्माण योजना में समुचित सधार हो सकता है।

कृषकों को पुनः बसाना वास्तव में एक कठिन समस्या है क्योंकि पश्चिमी बंगाल में तथा चारों ओर भूमि की कमी है। पश्चिमी बंगाल सरकार नें भूमि-अधिग्रहण योजनाओं के अन्तर्गत २९,१०१ एकड़ भूमि प्राप्त कर ली है और ४६,६९९ परिवारों को उस पर बसा दिया है। इस हिसाब से प्रत्येक परिवार को लगभग आध एकड़ भूमि मिली है। मुझे विश्वास है कि इसमें निश्चय ही वह भूमि भी सम्मिलित है जिस पर मकान बना है और जो देहातों में भी दी गई है।

श्री ए० पी० जैन : इसमें किसान और गैर किसान दोनों सम्मिलित हैं और किसानों को औसतन दो एकड़ भूमि दी गई है।

श्री बी० के० दास : किन्तु दो एकड़ भूमि पर्याप्त नहीं है। पुनर्संगठन समिति ने भी यही कहा है कि एक परिवार को कम से कम तीन एकड़ भूमि दी जानी चाहिये और जिस परिवार को तीन एकड़ से कम भूमि दी गई है उसे इतनी भूमि देने के लिये कार्य किये जाने चाहियें। पश्चिमी बंगाल में लोग कृषि को छोड़ कर गैर-कृषि वाले कार्य करने की ओर प्रवृत्त हो रहे हैं। वहां इतनी भूमि और रोजगार नहीं है जो लोगों को दिया जा सके और शरणार्थियों को अच्छी नौकरी दिलाने में कठिनाई हो रही है। इसको दूर करने के लिये फिर से बसाने का कार्यक्रम ऐसा होना चाहिये जो कि पश्चिमी बंगाल के सामान्य विकास से सम्बन्धित हो। पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये जिन विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी दफ्तरों के द्वारा नौकरी दिलाई गई है उनकी संख्या केवल ३७,००० है। यह संख्या वहां से आये हुये कुल विस्थापित व्यक्तियों की ३२ लाख की संख्या की तुलना में बहुत कम है। पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों में से नौकरी दफ्तरों के द्वारा १,७५,००० लोगों को नौकरी दिलाई गई है। मेरा माननीय मंत्री से निवेदन है कि वह इन लोगों को नौकरी दिलाने के लिये कार्य करें। पश्चिमी बंगाल सरकार ने नये उद्योग स्थापित करके सामान्य सुधार का कार्यक्रम आरम्भ किया है। इन विस्थापित व्यक्तियों को नौकरी दिलाने के उद्देश्य से इन कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया जाना चाहिये।

श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती (बसीरहाट) : जो पुस्तिकायें हमें दी गई हैं उन में शरणार्थियों की संख्या के बारे में भिन्न भिन्न आंकड़े दिये हुये हैं। यह ठीक है कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों की यथार्थ संख्या का पता लगाना कठिन है किन्तु संघ मंत्रालय तथा पश्चिमी बंगाल पुनर्वास मंत्रालय के आंकड़ों के बीच कोई समानता होनी चाहिये। कुछ दिन पूर्व पश्चिमी बंगाल की पुनर्वास मंत्री श्रीमती रेणुका रे ने कहा कि २२ लाख शरणार्थियों को फिर से बसाया जाना है, किन्तु केन्द्रीय सरकार के आंकड़े ३१ लाख हैं। जब तक कि सरकार को उन व्यक्तियों की संख्या पता नहीं हो जिनके लिये उसे व्यवस्था करनी है, तो उन के पुनर्वास की वह योजना कैसे बना सकती है। कुछ लोगों का विचार है कि यह संख्या और अधिक है, किन्तु इन में कुछ समानता होनी चाहिए।

दूसरा खण्डन यह है कि श्रीमती रेणुका रे ने कहा कि बंगाल सरकार उस राज्य में शरणार्थियों के आर्थिक पुनर्वास कार्य को

[श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती]

निकट भविष्य में समाप्त कर देगी। किन्तु गत वर्ष श्री ए० पी० जैन ने कहा था कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये, विस्थापित व्यक्तियों की समस्या अभी तक हल नहीं हो सकी है। मैं यह बात समझ नहीं पाती कि श्री ए० पी० जैन के इस वक्तव्य के होते हुये श्रीमती रेणुका रे ने इस प्रकार का वक्तव्य कैसे दिया। वित्त मंत्री ने बताया कि पुनर्वास आयव्ययक में बहुत कमी हुई है और इस वर्ष पुनर्वास योजनाओं में ३ करोड़ रुपये की कमी होने की आशा है। यदि तथ्यान्वेषी समिति की रिपोर्ट प्रकाशित हो जाती तो श्रीमती रेणुका रे के इस वक्तव्य की कि पूर्वी पाकिस्तान से आये हुये पचास प्रतिशत विस्थापित व्यक्तियों को फिर से बसा दिया गया है, यथार्थता मालूम हो जाती। बंगाल में शरणार्थियों के कैम्पों और बस्तियों में जाने पर हमें मालूम हुआ कि केवल पन्द्रह प्रतिशत व्यक्ति ही फिर से बसाये गये हैं। मैं समझती हूं कि तथ्यान्वेषी समिति के आंकड़ों के अनुसार तो इससे भी कम लोग फिर से बसाये गये हैं। हमें इस समस्या को सुलझाने के मामले में गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिये।

शरणार्थियों को दी जाने वाली आर्थिक सहायता में सब से अधिक कमी हुई है और जब तक हम उन्हें अच्छी प्रकार से फिर से बसा नहीं सकते हमें इस सहायता को बन्द नहीं करना चाहिये। पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों में क्षय रोग बहुत फैला हुआ है और पुनर्वास निदेशालय द्वारा केवल थोड़े से ही व्यक्तियों को चिकित्सा सहायता दी जाती है। 'जुगान्तर' समाचार पत्र की रिपोर्ट के अनुसार वहां ताहिरपुर शरणार्थी बस्ती में लगभग तीस जवान लड़कियों को, जिनकी आयु लगभग पन्द्रह वर्ष होगी, पेंतालीस या पचास वर्ष की आयु के लोगों को बेच दी गई थीं, क्योंकि उन के परिवार उनका भरणपोषण नहीं कर सकते थे।

अब मैं पुनर्समायोजन के प्रश्न को लेती हूं। मंत्रालय ने इस बात को मान लिया है कि बहुत सी योजनायें असफल हो गई हैं और इस पूरे मामले में पुनर्समायोजन करने की आवश्यकता है। हमें दी गई पुस्तिकाओं से मालूम होता है कि पश्चिमी बंगाल में पुनर्वास कार्यों के लिये नये तरीकों से काम लिया जायेगा। किन्तु हम इस बात को नहीं जानते कि उनकी किन बस्तियों में पुनर्समायोजन किया जायेगा। जहां तक हम समझ सके हैं इस पुनर्समायोजन से कुछ अधिक सफलता नहीं मिली है। उदाहरणार्थ, हावड़ा के प्लेटफार्मों पर रहने वाले शरणार्थियों से श्री जैन ने कहा था कि जब तक वे प्लेटफार्मों से वापिस नहीं चले जायेंगे वह उन्हें ऋण या अन्य किसी प्रकार की सहायता नहीं दे सकेंगे। ये शरणार्थी वहां रामचन्द्रपुर से आये थे जहां वह योजना पूर्णरूप से असफल हो गई थी। उन में से कुछ रामचन्द्रपुर तथा कुछ जफरपुर चले गये। उन्हें रामचन्द्रपुर में पहले ही १०७५ रुपये ऋण के रूप में दिये जा चुके थे तथा जफरपुर में उन्हें मकान बनाने के लिये ६७५ रुपये दिये गये जो इसके लिये अपर्याप्त थे। । ये १०७५ रुपये उनको दी जाने वाली राशि में से काटे जा रहे हैं। उनको जो भूमि दी गई थी वह उन से वापिस ले कर अन्य शरणार्थियों को दी जा रही है। इसीलिये वही कठिनाइयां चल रही हैं। कृषि योजना में भी कुछ अधिक नहीं किया गया है। लोगों को लगभग दो बीघा भूमि दी गई थी जब कि उनकी मांग यह थी कि उन्हें अधिक भूमि दी जाय। २४-परगना जिला में टेंग्रा बस्ती में २०,००० शरणार्थी रहते हैं। वहां पुनर्समायोजन योजनायें बेकार हो रही हैं और शरणार्थियों को उन से कोई सहायता नहीं मिल रही है। इसी प्रकार से ताल बगीचा और चंडीपुर बस्तियों में भी पुनर्समायोजन

योजनाओं के कारण अव्यवस्था ही हुई । हमें इन बातों पर विचार करना चाहिये ।

अब आप मूल समस्या लाभप्रद रोज़गार के प्रश्न को लीजिये । जो शरणार्थी बंगाल में बसाये गये हैं उन के मामले में सबसे बड़ी समस्या भूमि देने तथा उसके विकास करने की समस्या है । शरणार्थियों को भूमि विकास के लिये कुछ धन दिया जाता है जो सर्वथा अपर्याप्त होता है । बंगाल में इतनी कृषियोग्य भूमि नहीं है जो लोगों को दी जा सके । भूमि विकास कार्य केवल राज्य द्वारा ही किया जा सकता है । तराई तथा उत्तरी बंगाल में ट्रेक्टर संगठन या रक्षा मंत्रालय की सहायता से भूमि को कृषि योग्य बनाया जा सकता है । बीरभूम बांकुरा में पानी की समस्या को सिंचाई के नल कूपों से हल किया जा सकता है । क्या सरकार ऐसी विकास योजनायें चलायेगी जिससे कि उस भूमि का विकास करके किसानों को दी जा सके ?

श्री ए० पी० जैन : मंत्रि-समिति की सिपारिशों के अनुसार राज्य ही भूमि विकास कार्य करेगा और इस पर व्यय किये जाने वाले धन का कुछ भाग अनुदान के रूप में माना जायेगा ।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : फिर भी मैं समझती हूं कि इससे भी यह समस्या हल नहीं होगी । बंगाल में भूमि अर्जन के कारण वहां के स्थानीय निवासियों तथा शरणार्थियों के बीच कटु भावना पैदा हो गई है । इसलिये यदि यह पुनर्वास कार्यों के लिये किया जाना है तो हमें वहां के लोगों में सद्भावना पैदा करनी पड़ेगी ।

मुसलमानों की भूमि लेने का भी गम्भीर मामला है । २४–परगना और नादिया में मुसलमानों के हज़ारों मकानों में और लोग रह रहे हैं जब कि मुसलमान किसान तथा मध्य वर्ग के लोग बहुत कष्टपूर्ण स्थिति में रह रहे हैं । इस मामले में बहुत से अभ्यावेदन भी किये गये हैं किन्तु उनका कुछ भी परिणाम नहीं निकला । लोग वहां शरणार्थियों के लिये मुसलमानों की भूमि लेना चाहते हैं । वैकल्पिक व्यवस्था किये जाने पर शरणार्थी मुसलमानों की भूमि तथा मकान छोड़ देने के लिये प्रायः तैयार हो जाते हैं । वे बेकार भूमि को कृषि योग्य भूमि बनाने के लिये तय्यार हैं किन्तु इसका अर्जन करना पड़ेगा । समय पर ऋण न दिये जाने के कारण स्थिति में सुधार नहीं हो पाता है । पुनर्वास के लिये सरकार द्वारा अर्जित भूमि अभी तक शरणार्थियों को नहीं दी गई है । हम नहीं समझ पाते कि इसका कारण क्या है ।

छोटे छोटे धन्धों के लिये दिये जाने वाले ऋण की अपेक्षा सरकार को ही फैक्टरियां बनाने के प्रश्न को लेना चाहिये । हम छोटी छोटी फैक्टरियां तथा कताई मिलें चला सकते हैं । देश की महिलायें छोटे कुटीर उद्योगों तथा छोटी छोटी ग्राम्य स्वास्थ्य योजनाओं को चला सकती हैं । मैं चाहती हूं कि इन बस्तियों के चारों ओर फैक्टरियां चलाई जायें जिन में इन शरणार्थियों को लाभप्रद रोज़गार मिल सके ।

अन्त में मैं बंगाल से बाहर बसाये गये शरणार्थियों के प्रश्न को लेती हूं । इन शरणार्थियों को ऋण थोड़ी थोड़ी मात्रा में दिये गए । उसके बाद उन्हें छोटी छोटी दूकानें दी गई जो उपयुक्त स्थानों पर नहीं थीं । इस संबंध में हमें यह भी याद रखना चाहिये कि जो शरणार्थी उड़ीसा और बिहार में भेजे गये हैं वहां के लोग उन के बारे में यह समझते है कि ये शरणार्थी उन की रोज़ी छीनने आये हैं । ऐसा उन के लिये सोचना स्वाभाविक भी है । मेरा माननीय मंत्री से यह निवेदन है कि जैसी जांच पश्चिमी बंगाल में की गई है उसी प्रकार की जांच पश्चिमी बंगाल से बाहर

[श्रीमती रेणु चक्रवर्त्ती]

बसाये गये शरणार्थियों के बारे में की जाय और जो बंगाल में वापिस आना चाहें उन्हें वहां भेज दिया जाय। उड़ीसा में इन शरणार्थियों को मकान बनाने का बहुत कम सामान दिया गया था। इस तरीके से इन लोगों को फिर से बसाया जा रहा है। इसलिये मैं चाहती हूं कि मंत्रालय इस मामले पर विचार करे।

अनधिकृत रूप से कब्ज़ा जमा लेने वाले व्यक्तियों के बारे में यह आश्वासन दिया गया था कि उन्हें नियमित रूप से बसाया जायेगा। किन्तु ५०,००० परिवारों में से केवल ३८ परिवार बसाये गये हैं। इस बारे में विधान बनाना चाहिये। मैं समझती हूं कि संविधान में एक ऐसा अनुच्छेद है उस में संशोधन किया जाना चाहिये। अनधिकृत रूप से कब्ज़ा करने वाले लोगों की ये बस्तियां विस्थापित लोगों के अपने ही कामों से विकसित हुई हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है और इन बातों के बारे में मैं माननीय मंत्री के विचार जानना चाहती हूं।

श्री आर० के० चौधरी (गौहाटी): शरणार्थियों के पुनर्संस्थापन के हेतु जो प्रयत्न हमारी सरकार ने किए हैं उन के लिए उसे गौरव हो सकता है। यदि उन्हें इस काम में पूर्ण सफलता प्राप्त नहीं हो सकी है तो यह एक दूसरी बात है क्योंकि यह एक बहुत बड़ी समस्या है।

आसाम में बसे हुए पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की दशा बहुत दयनीय है। उन का रहन सहन स्वास्थ्यजनक नहीं है और उन में प्रायः भुखमरी की घटनाएं भी देखने में आई हैं।

पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों के लिए सरकार ने बहुत कुछ किया है, किन्तु कुछ एक बातों की ओर उनका ध्यान दिलाने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ उन लोगों को यह वचन दिया गया था कि मकानों का जो किराया वे दे रहे हैं उसे मूल्य में गिन लिया जाएगा किन्तु यह नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जिन क्षेत्रों में इन्हीं लोगों के बस जाने के फलस्वरूप भूमि का मूल्य बढ़ गया है उन से मकानों के लिए पहले से अधिक मूल्य मांगा जा रहा है जो अनुचित सी बात है।

क्षतिपूर्ति के बारे में निरन्तर वचन दिये जा रहे हैं किन्तु कुछ दिया नहीं जा रहा है। यदि पश्चिमी पाकिस्तान से आए शरणार्थियों की क्षतिपूर्ति में इतना समय लगेगा तो पूर्वी पाकिस्तान के शरणार्थियों की बारी तो क्या जाने कब आएगी। सरकार को शीघ्र ही पहले वर्ग की क्षतिपूर्ति से निपट कर दूसरे वर्ग की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि उन के लिए तो अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। यदि ऋण भी दिए गए हैं तो इतने कम कि जिस से कोई काम नहीं चलाया जा सकता। लोग इन्हें वैसे ही खा पी कर बैठ गए हैं। इन लोगों को उपयुक्त बस्तियों में क्यों नहीं बसाया जा रहा है? मैं माननीय मंत्री का ध्यान करीम गंज में स्थित दुलारी कालोनी के ब्लाक नं० ५ की ओर दिलाना चाहता हूं। पता चला है कि वहां लोग भूखों मर रहे हैं और न तो वहां किसी प्रकार के ऋण ही दिए जा रहे हैं और न चिकित्सा का ही कोई प्रबन्ध है।

मनीपुर में भी शरणार्थियों की दशा अच्छी नहीं है। उस क्षेत्र में खर्च करने के लिए जो राशि भारत सरकार ने नियत की थी वह भी खर्च नहीं की गई है और अब वह व्यपगत होने वाली है। उन्हें कृषि के लिए भूमि भी नहीं मिल रही है। उन्होंने भारत सरकार से भी प्रार्थना की कि उन के २०० परिवारों को अंडेमान भिजवा दिया जाए

किन्तु इधर से भी उन्हें कोई उत्तर अभी तक नहीं मिला है । इस विषय में भारत सरकार की नीति कुछ अनिश्चित सी जान पड़ती है । मेरा सरकार से निवेदन है कि उन्हें पूर्वी बंगाल के शरणार्थियों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि इस से न केवल उन का अपितु स्थानीय लोगों का भी कल्याण होगा । आसामी और बंगाली लोगों में भाषा का भेद होते हुए भी बहुत कुछ बातें मिलती हैं । उन का भोजन एक ही प्रकार का है और उनकी उपासना की विधि भी एक जैसी ही है । हम आसामी बंगाली शरणार्थियों के लिए सभी कुछ करने को उद्यत हैं किन्तु हमारे संसाधन बहुत कुछ सीमित हैं, अतः हम भारत सरकार की सहायता के बिना उन की उचित सहायता नहीं कर पायेंगे ।

कहा जाता है कि सरकार के पास भूमि नहीं है और अन्य लोग भूमि बेचने के लिये तैयार नहीं हैं किन्तु यह सत्य नहीं है । गौहाटी के पास कुछ भूमि सरकार ने लेनी चाही किन्तु कुछ लोगों ने उस पर पहले से ही अधिकार कर लिया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि शरणार्थियों को वहां बसाया जाए । हमें उन लोगों को वहां से हटा कर उस भूमि को हस्तगत करना चाहिए ।

जो काम अब तक किया जा चुका है उस के लिए मैं सरकार की प्रशंसा करता हूं किन्तु मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि अभी तक बहुत कुछ करना शेष है । अतः मैं माननीय पुनर्वास मंत्री से यह अनुरोध करूंगा कि उन्हें उन शरणार्थियों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये जो इस समय आसाम, त्रिपुरा आदि स्थानों में पड़े हैं ।

श्रीमती कमलेंदुमति शाह (ज़िला गढ़वाल—पश्चिम व ज़िला टिहरी गढ़वाल व ज़िला बिजनौर—उत्तर) : उपाध्यक्ष महोदय, आज हमारी समस्याओं में से पुनर्वासन की समस्या हमारे सामने एक विकट रूप धारण किये हुए हैं ।

यह सर्वविदित है कि लोगों को पाकिस्तान से अपनी चल सम्पत्ति लाने का अवसर न वहां से आते समय ही मिला, न अब ही मिल रहा है और अचल सम्पत्ति के बारे में भी अनेक कठिनाइयां सामने आ रही हैं । यह स्थिति भी स्पष्ट है कि भारत की निष्क्रांत सम्पत्ति, पाकिस्तान की निष्क्रान्त सम्पत्ति का आठवां, और कोई कहते हैं, बीसवां भाग है । इस सम्पत्ति के बारे में पाकिस्तान सरकार कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले रही है और जिम्मेदारी बिना कोई समझौता सम्भवनहीं । उलटे यथा-संभव हम ही को दोष का भागी बनाया जाता है । इस का यही निष्कर्ष निकलता है कि अब हमें सम्पत्ति के समझौते की आशा ही छोड़नी पड़ेगी ।

शरणार्थियों के लिए जंगपुरा के समीप जो मकान बनाय गय ह उन का मूल्य साढ़े दस हज़ार लगाया गया है । जब कि मथुरा रोड वाली प्रदर्शनी वाले मकानों का मूल्य केवल चार हजार लगाया गया है । इस से शरणार्थियों के मन में यह धारणा होनी स्वाभाविक ही है कि सरकार क्लेमों को पास करते समय तो कम से कम और वसूली के समय अधिक से अधिक मूल्य का ध्यान रखती है । क्लेमों की चुकती में देरी के कारण इन में असन्तोष फैलना भी इतना ही स्वाभाविक है । मकानों के किराये सम्बन्धी अधिकारी के उचित निर्णय से इन में आनन्द की लहर फैल गयी है । सरकार ने जब पुनर्वास का काम हाथ में लिया है तो शरणार्थियों की अन्य आवश्यकताओं पर भी ध्यान देना ज़रूरी है । नजफगढ़ रोड पर बसायी गयी शरणार्थियों की बस्तियों में बिजली, पानी, ड्रेनेज, यातायात, तथा रक्षा

[श्रीमती कमलेंदुमती शाह]

का प्रबंध उचित रीति से न होने के कारण शरणार्थियों को अगाध कष्टों का सामना करना पड़ रहा है। खाली मकान शरणार्थियों में न बांटे जाने के कारण उन में चोर इत्यादि रहने लगे हैं।

कहा जाता है कि कर्ज़ सम्बन्धी किश्तों की अदायगी न कर सकने के कारण भी सरकार वसूली में सख्ती कर रही है, जिस के परिणाम स्वरूप विस्थापितों के घर का सामान तक कुर्क हो रहा है। आज हम पाकिस्तान को हमारा ऋण लौटाने के लिए बाध्य नहीं कर पा रहे हैं, तो इन शरणार्थियों से, जिन के पास कुछ भी नहीं है, क्या ले सकते हैं। हमें यह भी नहीं भूल जाना चाहिए कि शरणार्थियों की समस्या हमारी ही भूल से पैदा हुई है और इन का यह कहना भी किसी हद तक उचित ही है कि सरकार जब अन्य योजनाओं की पूर्ति के लिए ऋण ले रही है तो विस्थापितों के मुआवजे देने के लिये भी क्यों नहीं यही प्रबन्ध करती। इन के कष्ट तथा भावनाओं का ध्यान सरकार के अतिरिक्त और कौन करेगा और किस से वे दुःख निवारण की आशा कर सकते हैं। और दुखियों से धैर्य की आशा भी कहां तक की जा सकती है। जो विधवाओं तथा निराश्रयों को सहायता दी जा रही है वह तब तक इन्हें मिलनी चाहिए जब तक इन के पेट भरने का और कोई साधन न हो। अन्य देशों में तो शरणार्थी समस्या न होते हुए भी बूढ़े व निराश्रयों के लिये अनाथालय खुले हुए हैं जिस से जनता को यह भय नहीं सताता कि उन के बुढ़ापे इत्यादि असमर्थता के समय उन्हें कौन पालेगा।

जो कच्चे मकानों में रहते हैं उन से उन मकानों की कीमत भी नहीं ली जानी चाहिए और न क्लेमों से ही काटी जानी चाहिए। आखिर ये घर उन खेमों के ही समान तो हैं जिन की कीमत सरकार नहीं ले रही है।

जिन लोगों के क्लेम देहाती जमीनें मिलने के कारण स्वीकार नहीं हुए उन पर भी विचार किया जाना चाहिए तथा सब शरणार्थियों को कुछ न कुछ क्षतिपूर्ति के रूप में दिया जाना चाहिए।

निष्क्रांत मकानों में कई नकली अधिकारी अधिकार किये बैठे हैं। उन्हें खोज खोज कर, दंड भी अवश्य मिलना चाहिए। आज अपराधियों को उचित दंड न मिलने के कारण ही इतना भ्रष्टाचार फैल गया है। न्याय के लिए कठिन दंड देने वाली सरकार स्वतः लोकप्रिय हो जाती है। आज हमारी समस्यायें केवल भ्रष्टाचार को मूल से उखाड़कर फेंकने से ही हल हो सकती हैं।

जो सम्पत्तियों की नीलामी की जा रही है उस में भी सरकार को सतर्कता से काम लेना होगा। कर्मचारीगण गोलमाल कर के जायदादों को कम कीमतों पर नीलाम कर रहे हैं। इस मनमानी को रोकने के लिए किसी भी सम्पत्ति की नीलामी सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से कम पर नहीं होनी चाहिए। इन नीलामों को उन व्यक्तियों द्वारा कराना चाहिए जो भ्रष्ट न हों। आखिर इन्हीं नीलामों के द्रव्य से तो शरणार्थियों को मुआवजा मिलना है।

यह बता देना भी आवश्यक है कि समय पर क्लेम प्रस्तुत करने के लिए शरणार्थी भी दोषी हैं। उन्हें अपने दोष भी देख और समझ लेने चाहिएं। आपस में संगठन किये बिना पीड़ित जनों की शक्ति नहीं बन सकती, न सुनवाई ही हो सकती है। सरकार धीमी गति की दोषी अवश्य है पर आज यदि समझौते में पाकिस्तान हमारे साथ सहयोग देता तो इतनी धीमी गति न होती। अब इस धीमी गति के लिए उत्तेजित भाषणों द्वारा, असन्तोष प्रकट करने तथा किसी के भड़कावे में आने के स्थान में संगठन द्वारा अपना बल बढ़ा

शान्ति पूर्वक अपनी मांगें प्रस्तुत करने से ही शरणार्थियों के काम बनने की अधिक सम्भावना है। सरकार तथा शरणार्थियों दोनों पक्षों के सहयोग और विचार से ही शरणार्थियों की कठिनाइयां और सरकार की पुनर्वास समस्या हल हो सकती है।

अन्त में मैं इतना और कहना आवश्यक समझती हूं कि शरणार्थियों ने अपना सब कुछ लुट जाने पर तथा अनेक कष्ट सहने पर भी जिस रीति से फिर अपना कारोबार आरम्भ कर के सफलता पायी है वह प्रशंसनीय है और सरकार का उन्हें सहायता पहुंचाने का काम भी उतना ही प्रशंसनीय और सफल हो सकता था यदि सरकार गोलमाल करने वाले कर्मचारियों को उचित दंड देने में सफल हो सकती। आज हमारी पंचवर्षीय योजना जैसे कार्यों में हमें पूरी सफलता न मिलने का कारण केवल यही है कि हमारे देशवासी अन्य देशवासियों की तरह देश प्रेमी न हो कर अधिकतर स्वार्थ प्रेमी हो गये हैं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी (नई दिल्ली): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिपोर्ट सरकार ने हमारे सामने पेश की है उस में फैक्ट्स और फिगर्स अच्छी तरह से सजे हुए हैं और इस को पढ़कर लोगों के दिलों में अच्छा असर होता है। ऐसा मालूम होता है कि पांच साल में काफी काम हुआ है और इस रिपोर्ट में सरकार ने यह भी समझाने की कोशिश की है कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के रिफ्यूजीज़ थे उन को बसाने का काम तो बहुत हद तक हो चुका है और अब उन के लिए जो काम बाकी है वह कम्पेन्सेशन देने का है। लेकिन हम को तो यह देखना है कि रिफ्यूजीज़ सचमुच कहां तक रिहैबिलिटेट हुए हैं। जो काम पांच साल में हुआ है उस को मैं छोटा नहीं करना चाहती। हमारे सामने बहुत मुश्किलात थीं और उन सब के होते हुए भी जो काम हुआ है वह बहुत प्रशंसनीय है। मगर देखना यह है कि क्या रिफ्यूजीज़ सचमुच में रिहैबिलिटेट हुए हैं रफ्यूजीज़ का रिहैबिलिटेशन सचमुच हो गया या नहीं इस को नापने के लिए दो ही चीज़ें हैं, एक तो यह कि उन को रिहायश के लिए जगह मिली या नहीं और उन को रोज़गार मिला या नहीं। इन दो बातों को देखने पर हम को पता लगता है कि कहां तक रिफ्यूजीज़ का रिहैबिलिटेशन हुआ है। मकानों के बारे में इसी रिपोर्ट में कुछ आंकड़े दिये हुए हैं। वह आंकड़े काफी इम्प्रेसिव मालूम होते हैं। मुझे खुद नहीं मालूम था कि सरकार ने इतने मकान बनाये हैं। पश्चिमी पाकिस्तान वालों के लिए सरकार ने दो लाख मकान बनाये हैं, इन में से ५०,००० लोगों ने खुद सरकार की मदद से बनाये हैं। बंगाल में लोगों ने सरकार की मदद से २.५ लाख मकान बनाये हैं। इस में हम ने कुछ हद तक उन लोगों को जो कि सड़कों पर पड़े हुए थे जगह दी है। लेकिन अब भी जो हालत इस देश में उन लोगों की है वह काफी मुश्किल की है। मैं और जगह नहीं जाना चाहती। आप दिल्ली को ही ले लें। मैं दिल्ली में घूमती हूं और यहां के रिफ्यूजीज़ की हालत को देखती हूं। मैं ने देखा है कि दिल्ली के एक एक मुहल्ले में जहां पर कि रिफ्यूजीज़ का कांसेंट्रेशन है, जैसे करौल बाग, पहाड़ गंज, मोतिया खान, वहां अच्छे खासे पढ़े लोग जो कि गवर्नमेंट सरवेंट हैं वह भी आठ बाई आठ के कमरे में पूरे खानदान के साथ रह रहे हैं।

छः आठ लोग बैठे हुए हैं। बरामदे में, जो कमरा भी नहीं है, वहां बरामदे को घेर कर ८ और ८ फीट के अन्दर और ८ और ९ फीट के अन्दर पूरे पूरे खानदान के खानदान बैठे हैं। इसलिये यह न समझिये कि मकान की समस्या हल कर ली। अभी इतने ही मकान बनाने पड़ेंगे, तब जा कर वह प्रैशर ढीला पड़ेगा। शैल्टर का काम आप ने बहुत किया है लेकिन अब भी बहुत समुद्र जैसा काम बाकी है।

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

अब रोज़गार की बात लीजिये। हमारी बदक़िस्मती ही है कि जैसे ही रिफ्यूजीज़ का मामला हमारे सामने आया, उस के साथ ही साथ हमारे मुल्क की आर्थिक परिस्थिति में भी कुछ बिगाड़ आया और रोज़गार का मामला रिफ्यूजीज़ के लिये ही नहीं, बल्कि सारे मुल्क के लिये ख़राब हो गया। जब रिफ्यूजीज़ की शहरों की योजनाएं बनीं, जैसे फरीदाबाद, नीलोखेरी, फ़ुलिया, नदियां, तो उन में हमारी एक इंटीग्रेटेड स्कीम थी कि जैसे जैसे मकान बनेंगे वैसे ही साथ साथ रोज़गार का ज़रिया भी वहां बन जाये, कुछ कारखाने खोले जायें। मकान बनने के बाद तमाम आदमी वहां धन्धों में लग जायं। मगर यह आशा पूरी नहीं हुई और नतीजा आज आप देख रहे हैं। ख़ास कर जो रिफ्यूजी टाउनशिप हैं, वहां मैं हो कर आई हूं। नतीजा यह हो रहा है कि साल भर से फरीदाबाद में परेशानी बढ़ी हुई है, रोज़ कुछ न कुछ होता रहता है। इस की वजह क्या है? इस की असली वजह यह है कि वहां लोगों के पास रोज़गार नहीं है, वह रोटी चाहते हैं। नीलोखेरी में जाइये तो वहां भी यही हालत है। फ़रीदाबाद के लिये एक दफ़ा व्याख्यान में कहा गया था कि यह ब्ल्यू आईड बेबी जवाहरलाल जी का है, क्योंकि जवाहरलाल जी का हाथ और लेडी माउंटबेटन और दूसरे सब की ताक़त उस में लगी हुई थी, उस को सक्सेसफ़ुल बनाने के लिये, तो मेरा मतलब है कि फरीदाबाद के लिये और नीलोखेरी के लिये बहुत ध्यान दिया गया, लेकिन आज वहां भी सन्नाटा है। यह नहीं कि कोई क़ुसूरवार है, लेकिन कहीं कोई ग़लती ज़रूर है, जिस से यह हालत है। तो एम्पलायमैंट की बात आप देखिये। रिफ्यूजीज़ की हालत पहले ही बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है।

गवर्नमैंट सरवैंट्स जो वहां से आए थे, यहां उन को काम मिल गया। लेकिन वह ज़्यादातर टैम्पोरेरी रखे गये थे और अब जो रिट्रेंचमैंट हो रही है तो सब से पहले उन्हीं पर लगा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता वे सब निकाले जा रहे हैं। तो इसलिये इस मामले को आप एम्पलायमैंट के नुक्तेनिगाह से देखें। अभी रिहैबीलिटेशन का काम करने को काफी पड़ा है।

मैं अभी थोड़े दिन पहले पप्सू में गयी थी। वहां नारनौल के छोटे शहर में पहुंची। वहां बहावलपुर के कुछ रिफ्यूजी जिन को राजपुरा से भेजा गया था वह मुझे मिले। वह नारनौल रिहैबीलिटेशन के लिये भेजे गये। सरकार ने लोन भी उन को दिया। तो सरकार के खाते में तो वह लोग रिहैबिलिटेट हो गये इस नारनौल शहर में। लेकिन यह नारनौल तो एक मुर्दार शहर है कि जहां पर जो वहां के रहने वाले हैं उन को ही कोई रोज़गार नहीं है; वह भी कोई रोज़गार नहीं कर सकते। उनको भी बाहर जाना पड़ता है तो यह लोग वहां जा कर क्या करेंगे। वह क्या रोज़गार करेंगे। टूटी टूटी झोंपड़ी हैं, बाज़ार नहीं, कुछ भी वहां नहीं है। दो सौ या ढाई सौ रुपये लोन ले कर सरकार के खाते में तो वह रिहैबीलिटेट हो गये, लेकिन वह भूखों मर रहे हैं। तो ऐसी ऐसी बहुत बातें हैं जिन की तरफ़ ध्यान देने की ज़रूरत है। मुझे ख़ुशी है कि सरकार ख़ुद भी मंज़ूर करती है कि एम्प्लायमैंट के बारे में बहुत काम है और उन्हों ने मंज़ूर किया कि ७५ लाख रुपये अलग रखेंगे और इस से कुछ कारखाने खुलवाने की कोशिश करेंगे। कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट्स की मदद करेंगे जिस से वहां लोगों को कुछ रोज़गार मिले। तो जैसे बंगाल के लिये फैक्ट फाइंडिंग कमेटी अप्वाइंट की गयी थी, वैसे ही एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी इस के लिये भी अप्वाइंट की जाय और उस में देखा जाय कि रीहैबीलिटेशन की मदद ले कर

सचमुच कितने आदमी रिहैबीलिटेट हुए हैं, कितने परसैंट रिफ्यूजी रीहैबीलिटेट हुए हैं और कितनी इस काम में कमी है, ताकि असल हालत हमारे सामने आ जाय और उस की बुनियाद पर हम आगे चल कर कुछ काम कर सकें। तो रीहैबीलिटेशन की दो बातें, एक शैल्टर के बारे में और दूसरी एम्पलायमैंट के बारे में मैं ने सरसरी तौर पर कहीं।

अब कम्पेनसेशन की बात है। कम्पेनसेशन का मामला अगर खत्म हो जाय तो पश्चिमी पाकिस्तान का सारा मामला खत्म हो जाय। कम्पेनसेशन के मामले में रिफ्यूजीज़ बहुत दिनों से आंखें लगाए बैठे थे कि हम को कब मिलेगा। सच बात तो मैं कहूं कि इतने दिनों के बाद उन को यह महसूस होने लगा था कि पता नहीं हम को कुछ कम्पेनसेशन मिलेगा या नहीं। लेकिन मैं बहुत खुश हूं कि इंटैरिम कम्पेनसेशन स्कीम चली है और लोगों में अब बड़ी आशा हो रही है। लोग अब समझ रहे हैं कि हम को कुछ न कुछ मिलने वाला है। मैं जानती हूं कि हमारे मिनिस्टर अजित प्रसाद जी बहुत एंग्शश (चिन्तित) थे कि हमारा कम्पेनसेशन का काम ठीक तरह से चले। अब कम्पेनसेशन की पूरी तस्वीर लें तो क्या हालत है। यह कम्पेनसेशन जो हमारे रिफ्यूजीज़ को मिलेगा वह कहां से मिलेगा मुस्लिम इवैक्युई प्रापर्टी जो यहां लोग छोड़ कर गये हैं वह हमारे पूल में डाली गई है। उस में सरकार कुछ डाले, वह और पाकिस्तान से जो कि हम को अदा होना है, जो पाकिस्तान से हम को हिसाब में मिलने को है, वहां से कुछ मिले, तो यह तीन तरह से हमारा पूल बनेगा जहां से लोगों को कुछ दिया जा सकता है। अब इवैक्युई पूल में १०० करोड़ की प्रापर्टी इकट्ठी हुई है। सरकार ने इन पांच साल में जो मकानों में खर्चा किया और जो लोन्स वग़ैरह देने में रुपया लगाया, वह सारा मिला कर ९० करोड़ रुपया हुआ। तो १९० करोड़ रुपये हमारे पूल में हैं जिस में से कुछ हम इन लोगों को दे सकते हैं। अब तीसरी बात है पाकिस्तान की। पाकिस्तान से क्या आशा हो सकती है। पाकिस्तान का जो हमारा छः सात साल का तजुर्बा है वह मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझ को बड़ी खुशी है कि मैं आप का ध्यान इसी रिपोर्ट के चैप्टर ६ की तरफ़ दिलाऊं। इस में मिनिस्टर साहब खुद कहते हैं कि जून १९५० के बाद पहली बार जुलाई-अगस्त, १९५३ को भारत तथा पाकिस्तान की सरकारों के प्रतिनिधि कराची में इसलिये मिले कि निष्क्रान्त सम्पति के मामलों के निबटारे के बारे में बातचीत हो जाये। अचल सम्पत्ति के निबटारे की बातचीत हुई पर कोई समझौता न हुआ।

इम्मूवेबुल प्रापर्टी कितनी है वह भी ठीक से हम को नहीं मालूम। हम लोग कुछ अन्दाज़ लगाते हैं कि हमारी इम्मूवेबुल प्रौपर्टी, अरबन प्रापर्टी जो हम छोड़ आए हैं तो वह ५०० करोड़ की होगी। रूरल प्रापर्टी का जोड़ लगाते हैं तो वह भी ४००–५०० करोड़ की होगी। तो हमारी प्रापर्टी एक हजार करोड़ के लगभग होती है जिस का कोई हिसाब नहीं है, अभी तक कोई इस का फ़ैसला नहीं हुआ है। सात साल हो गये हैं। अब देखिये कि मूवेबुल प्रापर्टी के बारे में कुछ फ़ैसला हुआ है। अचल सम्पत्ति की किन चीज़ों के बारे में हुआ है वह यह है कि ज़मीनें तथा घर का सामान जो कस्टोडियन अथवा मित्रों तथा रिश्तेदारों के पास हो, पुनर्वास आदि के काम में लाई गई चल सम्पत्ति का प्रतिकर, दफनाये हुए खज़ाने।

अब मैं एक औरत हूं, अपना घर चलाती हूं। मुझ को मालूम है कि पर्सनल इफैक्ट्स और हाउसहोल्ड इफैक्ट्स का क्या हश्र होता है जब कि छः छः सात सात साल तक वह हाउसहोल्ड इफैक्ट्स हमारे कस्टोडियन के

[श्रीमती सुचेता कृपालानी]

पास या रिलेशन्स के पास पड़े रहे हों। उस प्रापर्टी का क्या बरबाद हाल होगा उस को अब आप समझते हैं। हमें कुछ फटी दरी और टूटी कुरसी मिलेंगी। इसी तरह बरीड ट्रैजर को आप समझिये। किस किस कोने में इंटीरियर में वह बरीड ट्रैजर पड़ा हुआ है। क्या उस को कोई जा कर ला सकता है, वहां जा कर लायगा तो जाते जाते गरदन भी अपनी वहां पर ही छोड़ आयेगा। यह बरीड ट्रैजर की बात है। तो जो चीज़ हम ला नहीं सकते उस के बारे में यह फ़ैसला है। अब आप देखिये कि जो हाउसहोल्ड इफैक्ट्स होंगे उस के ट्रांसपोर्ट चार्जेज भी रिफ्यूचीज़ को देने पड़ेंगे। मेरी फटी दरी आये, सात साल के बाद आये, उस को लाते लाते दूने दाम किराये के देने पड़ जायं। फिर कौन सी रेट आफ एक्सचेंज है, वह जो आफीशियल रेट आफ एक्सचेंज है, उस के हिसाब से देना पड़ेगा, १४४ और १०० का रेट आफ एक्सचेंज। बाज़ार में जायं, कराची में जायं तो ७० रुपये में १०० रुपये मिल जायं, लेकिन यहां देने पड़ेंगे १४४ और १०० के हिसाब से।

अब मूवेबुल प्रापर्टी में क्या चीज़ है जो आप नहीं ला सकते हैं: लाकर, सेफ डिपाजिट्स, शेयर आदि। वह चीज़ें जिन की कि कुछ वैल्यू है, जो ठीक हालत में हैं, जिन के लाने से कुछ काम बने, उस के लिये वह राजी नहीं हैं। तो यह सात साल बाद हमारी हालत हुई। पाकिस्तान के साथ जो नैगोशियेशन हमारे हो रहे थे, उस का यह हाल आप देखिये। इस के अगेन्स्ट हमारे मुल्क ने क्या किया? हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने इवैक्युई प्रापर्टी ऐक्ट को अमैंड किया। हम ने वहां से "इंटैंडिंग इवैक्युई" के क्लाज़ को हटा दिया। हम ने उस के सैक्शन ४० और ४१ को हटा दिया ताकि जो मुसलमान अपनी जायदाद बेचना चाहें वह बेच सकें। कल आप ने देखा कि इसी क्षेत्र में ज़ोर का मल्ल युद्ध हो गया। मैं इस युद्ध में नहीं पड़ना चाहती। मैं औरत जात हूं, इन सब कम्यूनलिज़्म के झगड़ों में पड़ने से क्या फायदा। हम लोग चाहते हैं कि मुसलमान भाई ठीक रहें, वे हमारे सिटीजन हैं, उन के हक़ उन को मिलने चाहियें, मगर हम को जवाब क्या मिलता है? मैं किसी तरह नहीं भी बोलती, मगर मैं ने आज सवेरे अखबार खोला तो खोलते ही देखा कि पाकिस्तान के जो रिहैबिलिटेशन मन्त्री हैं उन्हों ने कहा है कि इवैक्युई प्रापर्टी ऐक्ट को एब्रोगेट कर दिया जाय।

वह लोग हमेशा अपनी मतलब की बात मनवाना चाहते हैं और मुझे डर है कि सरकार हमारी कहीं घिसट कर राज़ी न हो जाय क्योंकि पास्ट एक्सपीरियंस हमें यही बताता है कि पहले पाकिस्तान फैसला करता है और तब हम उस को फौलो करते हैं। उन्हों ने कहा वीसा बना दो और हम लोग उस के लिये राज़ी हो गये और वीसा लग गया। अब आज वहां पर श्री सुहरावर्दी और फज़लुल हक़ कह रहे हैं कि वीसा उठा दो तो वह उठ जायगा। भारत पाकिस्तान के बीच अगर वह कहते हैं कि रेलवे लाइन बन्द कर दो तो बन्द कर दी जाती है और अगर वह कहें कि खोल दो तो वह खोल दी जाती है। इन सब वाक़यात से मुझे डर लगता है कि कहीं यह इवैक्युई प्रापर्टी को एब्रोगेट न कर दे। मैं अपने मिनिस्टर साहब को इस बारे में चेतावनी देना चाहती हूं कि वह इस एक्ट को एब्रोगेट कर लेने को तैयार न हो जायं। अगर ऐसा करेंगे तो यहां की रिफ्यूजी ओपीनियन और पब्लिक ओपीनियन यह बरदाश्त नहीं करेगी।

आज १९० करोड़ की रक़म हमारे हाथ में है जो लोगों को देना है और यह तक़सीम करने का काम हमारे इस विभाग के अफ़सरों

पर पड़ता है, हमारे श्रीवास्तव साहब बैठे हैं जिन को यह काम अंजाम देना है, मुझे उन से पूरी हमदर्दी है। रुपया तो कुल १९० करोड़ है और उस को लेने वाले बहुत हैं लेकिन यह जो स्कीम है कम्पेनसेशन देने की उस में जो उलटफेर किया जाता है वह ठीक उसी प्रकार हो रहा है जैसे हमारे बंगाल में कहावत प्रसिद्ध है कि मछली के तेल में मछली तली जाय। डाक्टर गिडवानी से लेकर हुक्म सिंह को दे दो और हुक्म सिंह से लेकर अचिंत राम को दे दो, सारा हिसाब किताब इसी में कर दिया। मुझे तो रहम आता है अजित प्रसाद जी पर— उन से कहा गया है कि एक सात फुट के आदमी को १॥ फुट चादर ढको। कभी तो उस का सिर बाहर निकल आता है और कभी पैर चादर से बाहर निकल जाते हैं, चादर पूरी तरह उन के शरीर को ढक नहीं पाती है। बिल्कुल ठीक यही हालत है उस इवैक्युी प्रापरटी पूल की जो आप ने बनाया है। हम लोगों को सोचना चाहिये कि इस काम को कैसे सफलतापूर्वक अंजाम दिया जाय, मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप इस इंटैरिम स्कीम को कैसे कामयाब बना सकते हैं ? आप पचास हज़ार आदमियों को रुपया देना चाहते हैं, जो प्रायरटी कैटेगरीज़ हैं, मैं पूछना चाहती हूं कि उस में आप ने कितने लोगों को पैसा दिया है, उस की रक़म कितनी होती है, अन्दाज़न मैं आप को बतलाऊं कि एक हज़ार आदमियों को आपने लगभग पचास लाख रुपये दिये हैं और इस हिसाब से आपको सिर्फ़ इंटैरिम स्कीम के वास्ते २५ करोड़ रुपया या उतनी लागत की प्रापरटी देनी पड़ेगी। अब आप समझ सकते हैं कि मंजूर की गई रक़म कितनी अपर्याप्त है। चार लाख क्लेमेन्ट हैं और मैं आपको बतलाऊं कि यह इंटैरिम स्कीम तो सिर्फ़ एक हिस्सा है, फ़ाइनल स्कीम आने वाली है। अभी तो आप लोअर स्लैब्स को दे रहे हैं, हायर स्लैब्स को देने के वास्ते आप के पास रुपया कहां से आयेगा ? इस कम्पेनसेशन स्कीम को पूरा होते देखने के लिये लोग आस लगाये बैठे हैं। पहले पहल वेरीफ़िकेशन करते वक्त आपने रिफ्यूजी जायदाद का कम से कम हिसाब लगाया है।

जो लोग आप के पास आगये, उन का काम तो बन गया लेकिन मैं आप को बताऊं कि मेरे पास कल फ्रंटियर के लोग आये उन के पास पहले बहुत ज़मीन थी, उन्होंने बताया कि जिस ढंग से ज़मीन का सारा एसेसेमेंट हुआ, जिस तरह से स्टैंडर्ड एकड़ बनाया गया है, उस से हमारी ८६ फ़ीसदी ज़मीन तो पहले ही कूट गयी है, उस पर स्टैंडर्ड एकड़ की वैल्यू भी कम लगा रहे हैं। पहले हम लोगों ने रेफ्यूजीज़ की प्रापरटी की एसेसमेन्ट में इतनी हिफाज़त की है, उस को घटा कर दिखाया ताकि हम को कम देना पड़े। जो हमारे पास है वह इतना कम है, उस से पूरा नहीं हो सकता। मैं सोचती हूं कि सरकार ने जो यह फैसला कर रखा है कि इवैकुयी पूल में इवैक्युी प्रापरटी और जो ९० लाख रुपये दिये हैं, उस से आगे नहीं बढ़ेगी, यह काम पूरा होना कैसे मुमकिन है। मैं पूछती हूं कि सरकार हर एक काम के लिये तो पैसा प्रोवाइड कर सकती है, फिर रेफ्यूजीज़ को कम्पेन्सेट करने के लिये क्यों नहीं निकाल सकती। फाइव इयर प्लान में इम्पलायमेंट के वास्ते १७५ करोड़ रुपया आपने कैसे निकाला, रेफ्यूजीज़ के मामले में मछली के तेल में मछली तली जाय वाली कहावत चरितार्थ मत कीजिये। ऐसा करने से मछली ठीक नहीं पकेगी और वह कच्ची रह जायगी, आप को कहीं से भी तेल को लाना है और इस इवैक्युी प्रापरटी के पूल में डालना है तब जा कर कहीं आप का यह काम चलने वाला है अन्यथा नहीं।

आज इवैक्युी प्रापरटी ऐक्ट के मातहत हालत यह है कि आप रेफ्यूजी को कम्पेन्सेशन

[श्रीमती सुचेता कृपलानी]

में मकान देते हैं, लेकिन उस मकान के ऊपर उसका फुल राइट नहीं रहता है, वह खाली मकान में रह सकता है, उसको उस मकान के जो ऐरियर्स आफ़ रेंट अदा करना है और मकान के टैक्सेज़ हैं वह सब देने पड़ेंगे, मरम्मत उसको करानी पड़ेगी, मगर उस रेफ्यूजी का उस मकान पर फुल ओनरशिप राइट नहीं होगा । वह उस मकान की फ़रोख्त कर के रुपया लेना चाहे या उससे कुछ काम करना चाहे, या उस को बेचना चाहे, तो वह यह सब नहीं कर सकता । आज कम्पेन्सेशन में उस को क्या मिलेगा ? पूरे ऐरियर्स वह पे करता है, टैक्सेज़ सारे अपने सिर पर लेता है मगर उस पर भी उस को फ़ुल राइट्स नहीं हैं । जब तक पाकिस्तान से फ़ैसला न हो और इवैक़ईज़ का यहां की जायदाद का टाइटल एक्सटिंगुइश न किया जाये, तब तक रिफ्यूजीज़ को प्रापरटी पर फल ओनरशिप का हक नहीं मिल सकता मगर मैं पूछती हूं कि जो गवर्नमेन्ट प्रापरटी है जिन को गवर्नमैंट ने खुद बनाया है, उन को पूरी तरह क्यों नहीं ट्रान्सफ़र कर दिया जाता । इस के लिये गवर्नमेंट की तरफ़ से यह दलील दी जाती है कि अगर हम एक जायदाद को ट्रान्सफ़र कर दें और दूसरे को न दें तो डिस्क्रिमिनेशन और डिस्पेरिटी करेंगे, लेकिन मुझे उनका यह आर्गुमेंट कुछ जंचता नहीं है क्योंकि जहां आप ने कुछ खास कैटेगरी के रेफ्यूजीज़ को कैश पेमेंट किया है, वहां अगर किन्हीं को मकान की ओनरशिप का पूरा हक़ देदें तो क्या हर्ज है । डिस्पैरिटी का प्रिंसिपल तो आपने पहले ही मान लिया है, इसलिए और नहीं तो कम से कम सरकारी मकान जिन के बारे में कोई झंझट नहीं है उन को तो रेफ्यूजीज़ को दे ही सकते हैं, आज रिफ्यूजी को पैसे की बड़ी ज़रूरत है और वह चाहता है कि मेरे हाथ में कुछ आयें तो मैं कोई काम शुरू करूं । आप ने पिछले, पांच, छै साल में रेफ्यूजीज़ के क्लैम्स सेटिल करने में बड़ी मेहनत से काम लिया और मैं आप के काम को कम नहीं समझती, मगर यह स्कीम आप की तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक सरकार यह फ़ैसला नहीं करेगी कि हम इस में और पैसे का प्राविज़न करें, क्योंकि मौजूदा रक़म जो आप ने रखी है वह बिल्कुल नाकाफ़ी है । इवैक़यी प्रापरटी पूल में और रुपये का इंतज़ाम करिये । मैं कहती हूं कि आप के लिये यह क्या मुश्किल है । जब आप २५० करोड़ रुपये का डेफ़िसिट फाइनेंसिंग कर सकते हैं तो इस काम को ठीक से अंजाम देने के लिये अगर दो, चार करोड़ रुपया और इस में डाल दें तो क्या अन्धेर हो जायगा । आज अपर स्लैब्स वालों को खतरा है कि उन को जिन के लाखों के क्लैम्स हैं उन को हम क्या देंगे, इंटेरिम प्लान में ऐसे लोगों को हम ने आठ हज़ार देने को कहा था जो कि उन के लिये दाल में नमक के बराबर भी नहीं होगा, आठ हज़ार में वह अपने लिये सौ रुपया भी पैदा न कर सकेंगे तो उन का क्या हाल होगा । सौ रुपया तो आप उन्हें मेंटेनेन्स अलाउन्स में देते हैं । इसलिए मैं समझती हूं कि अगर यह स्कीम कामयाबी के साथ चलानी है तो बहुत ज्यादा रुपये की ज़रूरत है और सरकार को इस के लिये शीघ्र से शीघ्र प्रबन्ध करना चाहिये, अगर ऐसा नहीं किया जाता तो मुझे कहना पड़ेगा कि यह लोगों से एक मज़ाक़ सा करना होगा । आप इतनी महनत भी करेंगे और लोगों को उस से तसल्ली भी नहीं होगी ।

एक लफ्ज़ मुझे और कहना है । मुझे यह देख कर बड़ी खुशी हुई कि अब के दफ़ा बजट में ईस्ट बंगाल के रेपयूजीज़ के वास्ते पूरा ध्यान दिया गया है । तमाम ईस्ट बंगाल के रेफ्यूजीज़ की शिकायत थी कि हम लोगों की तरफ़ पूरा ध्यान नहीं दिया गया । उन को तक़लीफ़

इसलिये हुई कि जब ईस्ट बंगाल के रेफ्यूजीज़ यहां आये तो हमारी सरकार समझी कि ईस्ट बंगाल के रेफ्यूजीज़ यहां हमेशा रहने के लिये नहीं आये हैं और ये लोग वापिस चले जायेंगे इसलिये भी उन को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। इस के अलावा वहां की ज़मीन भी अच्छी नहीं है, वैस्ट बंगाल के पास जो ज़मीन है वह बहुत ख़राब है, कहीं नमक वाली ज़मीन है तो कहीं पानी है, वह ज़मीन रिक्लेम करना रेफ्यूजीज़ के बस की बात नहीं है। दूसरी दिक्कत यह है कि हर महीने एक बड़ी तादाद रेफ्यूजीज़ की वहां से आ रही है, क़रीब छै हज़ार रेफ्यूजीज़ हर महीने वहां से आ रहे हैं।

५ म० प०

तीसरी दिक्कत यह है कि रिफ्यूजीज़ के वास्ते कोई कम्पेन्सेशन की स्कीम नहीं बनी है, किसी के दिमाग में भी यह बात नहीं आई है कि जो लोग जायदादें छोड़ कर आये हैं उन के वास्ते कम्पेन्सेशन की कोई स्कीम होनी चाहिये।

एक और बात देखिये। बंगाल के पास दूसरे प्राविन्सेज में जहां रिफ्यूजीज़ आ कर बैठे हैं, वहां वे बहुत कष्ट में हैं। उन के बारे में मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं बड़ी खुश हूं कि श्री रोहिणी कुमार चौधरी ने ही कह दिया, वह खुद कांग्रेस के मेम्बर हैं और आसाम के रहने वाले हैं। वह महसूस करते हैं कि वहां रिफ्यूजीज़ ठीक से नहीं रह रहे हैं, तब आप समझ सकते हैं कि उन की क्या हालत है। यही हालत बिहार और उड़ीसा में बसे हुए रिफ्यूजीज़ की है।

एक बात का ध्यान मैं अजित प्रसाद जी को दिलाऊंगी। तीन चार बैच रिफ्यूजीज उड़ीसा से दिल्ली आये, और जा कर जवाहरलाल जी के घर पर धरना टेक बैठे हैं। वह रास्ते की तमाम दिक्कतों को सहन कर के, अपने बाल बच्चों को ले कर और विदाउट टिकट सफर करके आये हैं, यह लोग तिल तिल कर मर रहे हैं। वह बैच जब वापस जाने लगे तो जवाहरलाल जी ने विश्वास दिलाया कि जो कुछ उन लोगों को वहां पर मिलना चाहिये वह करवा देंगे। हो सकता है, जैसा मिसेज रेणु चक्रवर्ती ने कहा, आप के हिसाब किताब से उन को रिहैबिलिटेशन मिल गया हो, लेकिन वह लोग अब तक वास्तव में रिहैबिलिटेट नहीं हो पाये हैं, इस में उन का अपना कसूर नहीं है, वहां पर सर्कम्स्टान्सेज ऐसे हैं कि वह रिहैबिलिटेट नहीं हो सके, नहीं तो क्या उन की कम्बख्ती थी कि वह अपने बाल बच्चे ले कर, रास्ते की तमाम दिक्कतों को उठा कर, दिल्ली की धूल फांकते और जवाहरलाल जी के पास आते। वह मेरे पास आते हैं तो दो चार रुपया जो कुछ मुझ से हो सकता है मैं दे देती हूं या अजित प्रसाद जी के पास से ले कर दे देती हूं। लेकिन आप उन को इस तरह से रिहैबिलिटेट नहीं कर सकते, आप को मालूम करना चाहिये कि आखिर वहां पर क्या गलती है, इस को आप को फौरन देखना चाहिये। मैं यह डिमान्ड करती हूं कि एक कमेटी बनाई जाय, जो आसाम और बिहार और उड़ीसा में घूमे, जहां पर कि रिफ्यूजीज़ बैठे हुए हैं, और जहां का वातावरण ऐसा है कि वहां रिफ्यूजीज़ बस नहीं पा रहे हैं। किस वजह से ऐसा नहीं हो पा रहा है, और किस ढंग से उन को बसाया जा सकता है, इस की पूरी तहकीकात वह करें, ताकि उन को फिर से पूरी तरह बसाया जा सके।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : मैं पुनर्वास मंत्रालय पर होने वाली बहस को बहुत ध्यान से सुनता रहा हूं। पुनर्वास मंत्रालय के विरुद्ध सब से बड़ी शिकायत यह है कि उस ने पूर्वी बंगाल के सम्बन्ध में कोई निश्चित नीति नहीं अपनाई है। माननीय पुनर्वास मंत्री ने इस विषय में कुछ नहीं सोचा है कि वहां के शरणार्थियों के लिये क्या किया जाना चाहिये।

[श्री एन० सी० चटर्जी]

पुनर्वास मंत्रालय की रिपोर्ट में पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों की संख्या ३१ लाख बताई गई है। यह संख्या ग़लत है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय ने डा० मेघनाद साहा द्वारा प्रकाशित एक पुस्तिका को पढ़ा होगा जिस में इन शरणार्थियों की संख्या ४५ लाख बताई गई है। वह विभिन्न वर्षों की जनगणना के आधार पर ही इस नतीजे पर पहुंचे हैं। मेरा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वह अपनी ग़लती ठीक करें और इस नई संख्या के अनुसार ही पुनर्वास के लिये रुपये-पैसे तथा अन्य बातों की व्यवस्था करें।

मैं श्रीमती सुचेता कृपालानी की इस बात से सहमत हूं कि अब तक सरकार यही सोचती रही थी कि ये लोग वापस चले जायेंगे और भारत-पाकिस्तान समझौता सफल हो जायेगा। इसीलिये वह इन शरणार्थियों को सहायता देने के प्रश्न पर ही विचार करती थी, उन को फिर से बसाने पर नहीं। परन्तु अब सारी बात स्पष्ट हो गयी है; हमें इस ग़लतफ़हमी में नहीं रहना चाहिये और इन लोगों के पुनर्वास के लिये पूरा पूरा प्रयत्न करना चाहिये।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

शायद आप को पता होगा कि पूर्वी बंगाल सहायता समिति ने कुछ सुझाव रखे हैं। इन में से दो ठोस सुझावों की ओर मैं आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं। उन की सिफ़ारिश है कि कलकत्ते में पुनर्वास मंत्रालय के शाखा सचिवालय का कार्य केन्द्रीय सरकार के एक उपमंत्री के अधीन कर दिया जाना चाहिये। पता नहीं मंत्री महोदय का इस बारे में क्या विचार है, परन्तु मैं समझता हूं कि ऐसा हो सकता है। समिति की दूसरी सिफ़ारिश यह है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को कलकत्ता स्थित शाखा सचिवालय में एक अतिरिक्त सचिव की नियुक्ति करनी चाहिये जिसे पुनर्वास योजनाओं, तथा वित्तीय स्वीकृति देने के बारे में पूरी पूरी शक्ति हो। मेरी राय में यह एक बहुत अच्छा सुझाव है और मुझे आशा है कि माननीय मंत्री इस पर ध्यान पूर्वक विचार करेंगे।

सरकार ने इस बात को स्वीकार किया है कि सहायता शिविरों में रहने वाले शरणार्थियों की संख्या लगभग ८०,००० है और शिविरों के बाहर जो लोग रह रहे हैं उन की संख्या लगभग १५ लाख है। इस से पता चलता है कि अब भी यह समस्या काफ़ी बड़ी है। अब तक तो सरकार यह समझती रही है कि पूर्वी बंगाल के शरणार्थी वापस चले जायेंगे। परन्तु यह हर्ष की बात है कि अब सरकार इस बात को जान गई है कि उस का वह दृष्टिकोण ग़लत है और उसे अब इन लोगों की ज़िम्मेदारी उठानी है। मैं आशा करता हूं कि जब सरकार ने इन लोगों को बसाने का निश्चय कर ही लिया है तो वह पूरी मेहनत से यह काम करेगी।

मेरा यह ख्याल था कि यहां बजट पर जो बहस होती है उस से कोई व्यवहारिक लाभ नहीं होता परन्तु जब मैंने परसों के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' को पढ़ा तो मुझे आश्चर्य हुआ; उसमें लिखा था कि संसद् में पुनर्वास पर होने वाली बहस के कारण मंत्रालय के अधीन काम करने वाले ब्यूरो ने अपनी कार्यवाही ज़ोर-शोर से शुरू कर दी है। उस का निर्देश अन्तरिम क्षतिपूर्ति योजना की ओर था। आपने २८ दिसम्बर को छपे वे फोटोग्राफ़ देखे होंगे जिन में माननीय मंत्री को कुछ वृद्ध व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति के रूप में बैंक ड्राफ्ट देते हुए दिखाया गया है। 'हिन्दुस्तान टाइम्स'

ने आगे कहा है कि इस के बाद कुछ भी नहीं किया गया है। यह बड़े खेद की बात है कि २८ नवम्बर से अब एक सप्ताह पहले तक ७०० व्यक्तियों को कुछ पैसा मिला है। शायद अब यह संख्या जहां तक मुझे बताया गया है, १४०० हो गई है। यह बड़ी निराशा का विषय है कि अन्य श्रेणी के शरणार्थियों को कुछ नहीं मिला है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह अन्य श्रेणियों के लोगों की भी सहायता करे। परन्तु इतना अवश्य है कि यदि यहां की बहस से सरकारी विभागों में काम तेज़ी से होने लगा है तो यह बड़ी उत्साहजनक बात होगी।

अन्त में, मैं पाकिस्तान के पुनर्वास मंत्री श्री कुरेशी के उस वक्तव्य का जिक्र करूंगा जिस में उन्होंने कहा है कि निष्क्रांत सम्पत्ति क़ानून को रद्द कर दिया जाना चाहिये। मैं इस सुझाव का कड़ा विरोध करता हूं। आप को मालूम है कि दोनों देशों के प्रधान मंत्रियों का दिल्ली में एक सम्मेलन हुआ था; उस के बाद हमारे प्रधान मंत्री कराची गये थे परन्तु इन सब बातों का कोई नतीजा नहीं निकला। केवल कुछ छोटी छोटी घरेलू वस्तुएं वापस कर दी गई हैं और शेयर, प्रतिभूतियां, लॉकर तथा बीमा पालिसियां आदि के हस्तान्तरण के प्रश्न पर कोई समझौता नहीं हुआ है। जब तक इन बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में कोई फ़ैसला नहीं होता तब तक हमें यह समझना चाहिये कि उन की समझौता करने की कोई इच्छा नहीं है और हमें निष्क्रांत सम्पत्ति क़ानून को रद्द करने की बात सोचनी भी नहीं चाहिये।

श्री बर्मन (उत्तर बंगाल—रक्षित—अनुसूचित जातियां) : हमें इस बात का ध्यान है कि पुनर्वास मंत्री काफी मेहनत से काम कर रहे हैं तथा उन के मंत्रालय को भी कड़ा परिश्रम करना पड़ रहा है। उन के मंत्रालय ने जो कुछ किया है उस के लिये हम उन्हें बधाई देते हैं। फिर भी, कुछ बातें ऐसी हैं जिन की ओर उन का ध्यान आकर्षित करना आवश्यक है। सब से पहले मैं उन व्यक्तियों का मामला लेता हूं जो पाकिस्तान में हमारी समावृत बस्तियों से भारत में आये हैं। सदन को मालूम ही है कि इन व्यक्तियों की दशा उन लोगों से भी खराब है जो स्वयं पाकिस्तानी क्षेत्रों में रहते हैं। समावृत बस्तियों में रहने वाले लोग भारत से किसी प्रकार की सहायता की आशा नहीं कर सकते हैं क्योंकि वे बस्तियां चारों ओर से पाकिस्तानी सीमाओं से घिरी हुई हैं। इन सब कठिनाइयों के कारण उन में से कुछ लोग भारत में आ गये हैं और अपनी सारी सम्पत्ति वहीं छोड़ आये हैं। अतः मेरा निवेदन है कि इन व्यक्तियों को भी शरणार्थियों की ही तरह समझा जाये तथा उन्हें भी वही सुविधायें दी जायें जो अन्य शरणार्थियों को दी जा रही हैं।

सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को शरणार्थी नहीं समझा है तथा मेरे विचार में ऐसा किया जाना ठीक भी है। परन्तु यह बात तो सब को मालूम ही है कि इन लोगों के पास जो कुछ सम्पत्ति थी उसे उन्हें वहीं पर छोड़ना पड़ा था। उन के परिवार भी उन के साथ आ गये हैं। जब वे सेवा से निवृत्त हो जायेंगे तब उन्हें यहां बसने में कठिनाई होगी क्योंकि उन के घर-बार वहीं छूट गये हैं। अतः मेरा निवेदन है कि उन्हें अभी से कुछ सहायता देना आरम्भ कर दिया जाये जिस से वे धीरे धीरे अपने रहने आदि का प्रबन्ध कर सकें। अन्यथा शरणार्थियों की संख्या बढ़ती ही जायेगी जो कि अच्छी बात नहीं है।

तीसरी बात में ज़िला जलपायगुड़ी से आने वाले व्यक्तियों के बारे में कहना चाहता हूं। वे भी एक प्रकार से शरणार्थी ही हैं। कुछ

[श्री बर्मन]

मुसलमान ज़मींदारों से उन्होंने अपनी ज़मीन बदल ली थी। उन के पास अब जो ज़मीन है वह 'खासमहाल' वाली ज़मीन है जिस को वे अलग अलग बांट नहीं सकते हैं। उन्होंने मकान आदि बनाने के लिये सरकार से रुपयों की प्रार्थना की थी किन्तु उन की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया गया है। अतएव, मेरा निवेदन है कि इस मामले की ओर ध्यान दिया जाये तथा उन के लिये रुपये की व्यवस्था कर दी जाये।

मंत्रालय की रिपोर्ट को देखने से पता लगता है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों को लगभग बसा दिया गया है। कुछ बातें रह गई हैं उन को भी माननीय मंत्री पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। किन्तु जहां तक पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का सम्बन्ध है उन को बसाने का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। उन की ओर ध्यान देने की परम आवश्यकता है। वे लगभग पांच या छः साल से प्रतीक्षा कर रहे हैं। और जैसा कि सब को मालूम है पश्चिमी बंगाल की स्थिति बहुत ही गम्भीर हो चुकी है। अतः इस मामले पर शीघ्र ही ध्यान दिया जाना चाहिये। मैं श्री मेघनाद साहा के इस सुझाव से सहमत हूं कि पुनर्वास मंत्रालय को कलकत्ते चला जाना चाहिये क्योंकि वहां रहकर माननीय मंत्री तथा अन्य अधिकारीगण शरणार्थियों की और अच्छी तरह से सेवा कर सकेंगे। पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले लोगों के लिये मंत्रालय का कुछ भाग यहां रह सकता है। परन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि पश्चिमी बंगाल सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। वह ध्यान दे रही है किन्तु केन्द्रीय अधिकारियों के वहां पहुंच जाने पर काम और भी ठीक ढंग से होने लगेगा। मेरे विचार में यदि यह सुझाव स्वीकार कर लिया जाये तो पुनर्वास का काम शीघ्र ही समाप्त हो सकता है।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): मेरे कुछ माननीय मित्रों ने इस बात की शिकायत की है कि पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के मुकाबले पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों के ऊपर अधिक ध्यान दिया गया है। उन पर अधिक धन व्यय किया गया है। लेकिन मैं इस प्रकार का मुकाबला करने के पक्ष में नहीं हूं। पूर्वी पाकिस्तान से आने वालों को अधिक रुपया दिया जाये इस पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं तो स्वयं चाहता हूं कि उन पर और अधिक रुपया खर्च किया जाये। हम ऐसे किसी भी प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये तैयार हैं उन के मामले को केवल इसीलिये उठा रखा गया था क्योंकि उन्होंने स्वयं यह इच्छा प्रगट की थी कि शायद वे पूर्वी बंगाल को वापस लौट जायें। मैं उन के वापस लौट जाने के पक्ष में नहीं हूं।

जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों का सम्बन्ध है यह कहा जाता है कि उन को बसाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। अब केवल मुआवज़ा देने का मामला रह गया है। परन्तु बात कुछ और ही है। जैसा कि मेरी बहन श्रीमती सुचेता कृपालानी ने सुझाव रखा है इस बात की जांच करने के लिये एक तथ्यान्वेषी कमेटी नियुक्त की जानी चाहिये। हम चाहते हैं कि कमेटी इस बात का पता लगाये कि वास्तव में पुनर्वास का काम पूरा हो गया है अथवा नहीं। मेरे विचार में सरकार मुआवज़ा देने की योजना कार्यान्वित हो जाने के पश्चात् इस ओर से अपना हाथ खींच लेगी। हम भी चाहते हैं कि लोगों को शीघ्र से शीघ्र यह मुआवज़ा मिल जाये मगर ऐसा नहीं हो रहा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि ४.५ लाख शरणार्थियों को ज़मीन नियत कर दी गई है। ज़मीन का नियत किया जाना एक

बात है और शरणार्थियों का बसाया जाना दूसरी बात है। जमीन दे देने ही से तो सारी मुश्किलें हल नहीं हो जातीं।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि लगभग ८०,००० व्यक्तियों को टेकनिकल और व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया गया है १,७४,००० व्यक्तियों को काम दिलाऊ दफ्तरों द्वारा नौकरी दिलवाई गई है। परन्तु सरकार ने यह नहीं बताया कि इन में से कितने व्यक्तियों को नौकरी से हटा दिया गया क्योंकि वे सब से बाद में नौकरी पर लगाये गये थ। सरकारी दफ्तरों में बाद में आने वालों को सब से पहले निकाला जाता है। जिन लोगों ने कोई काम-धन्धा सीखा था क्या उन के बारे में सरकार ने यह पता लगाया है कि उन में कितने अपने पैरों पर खड़े हो सके ? कितने व्यक्ति अपना काम-धन्धा चला सके ? अत: इन बातों को ध्यान में रखते हुए यह नहीं कहा जा सकता है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को पूरी तरह से बसा दिया गया है।

जहां तक ग्राम्य पुनर्वास का सम्बन्ध है काम बिल्कुल भी पूरा नहीं हुआ है। मैं यह मानता हूं कि शरणार्थियों के ही कारण अनाज के मामले में पंजाब न केवल आत्म-निर्भर हो गया है बल्कि वह अन्य राज्यों को भी अनाज भेज रहा है। लेकिन जब इन ग्रामीण शरणार्थियों ने मकानों के लिये प्रार्थना की तो उसे स्वीकार नहीं किया गया। यह कह दिया गया कि मकान जमीन के ही साथ दे दिये गये हैं। दोबारा उन का नियतन नहीं हो सकता। लेकिन वे सब तो कच्चे और टूटे फूटे मकान थे। उन्हें इन मकानों की मरम्मत करने के लिये जो कुछ भी थोड़ी बहुत राशियां दी गई थीं अब उन्हें बल तक का प्रयोग कर के वसूल किया जा रहा है। इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिये।

मुआवजा देन का काम शीघ्रता से नहीं किया जा रहा है। बताया गया है कि ३० मार्च तक १४०० व्यक्तियों को मुआवज़ा दे दिया गया है जब कि १५ मार्च तक केवल ७०० व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया था; अर्थात् केवल १५ दिनों में ही संख्या दुगनी हो गई। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट कर दी जाये।

श्री ए० पी० जैन : मेरे पास आंकड़े २० मार्च तक के हैं। उस तारीख तक १५२६ व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा चुका है। २० से २७ मार्च तक २७५ व्यक्तियों को तथा ३० मार्च तक २०० और व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया है। अत: २७ मार्च तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार १८०१ व्यक्तियों को मुआवजा दिया गया हैं।

सरदार हुक्म सिंह : यदि यह बात है तो मैं मन्त्रालय को बधाई देता हूं कि उस ने अब यह काम उचित ढंग से करना आरम्भ कर दिया है। पिछले दो सप्ताह में ५०० व्यक्तियों को मुआवजा दिया जा चुका है और यदि यही रफ्तार पहले रखी गई होती तो अब तक अनेक मामलों का निबटारा हो गया होता। हमें प्राथमिकता वर्गों के बारे में बताया गया है कि जिन लोगों को मुआवजा पहले दिया गया है उन की आवश्यकताएं सब से जरूरी थीं। मैं इस से सहमत नहीं हूं। (वातस्व)में, सरकार ने कच्चे घर वालों को मुआवजा पहले इसलिये दिया जिस से वे अपने घरों की मरम्मत करें। यदि उन के घर ढह जाते तो सरकार को परेशान होना पड़ता। अत: आवश्यकता समझ कर मुआवजा नहीं दिया गया है बल्कि सरकार ने अपने हित को देखते हुए मुआवजा दिया है।

जिस दूसरे वर्ग को मुआवजा दिया गया है उस के बारे में भी यही बात है। यदि सरकार ऐसे व्यक्तियों को मुआवजा न देती तो उसे भरण पोषण भत्ता जारी रखना पड़ता। यही कारण है कि उस ने उन्हें मुआवजा दे कर भत्ता

[सरदार हुक्मसिंह]

बन्द कर दिया है। वास्तव में, देखा जाये तो वर्गों को मुआवज़ा आवश्यकता के अनुसार नहीं दिया गया है बल्कि सरकार ने अपने हितों की रक्षा करने के लिये ऐसा किया है। जब कि उन के दावे विद्यमान हैं तो उन से किराये इतने क्रूरतापूर्ण ढंग से क्यों वसूल किये जा रहे हैं। कपूरथला का एक मामला देखिये। वहां पांच व्यक्तियों के नाम अत्यधिक बकाया किराया दिखाया गया। उन्हों ने विरोध किया कि यह अत्यधिक है और कहा कि उचित राशि निर्धारित की जाये। वे यह राशि किश्तों में देने के लिये तैयार थे। सहायक महा अभिरक्षक ने उन की मांग को उपयुक्त समझ कर वहां के प्राधिकारियों के साथ उन का फैसला करवाया। परन्तु, उस निर्णय पर नहीं चला गया। अब उन्हों ने भूख हड़ताल कर रखी है। भला उन्हें किश्तों पर किराया देने की मंजूरी क्यों नहीं दी जाती। इसी प्रकार बेदखलियां हो रही हैं। जो लोग पांच वर्ष से अधिक किसी मकान अथवा भूमि पर अधिकार रखते हैं उन्हें केवल इस आधार पर बेदखल करना कि कोई अन्य लोग उस भूमि या मकान के अधिकारी हैं उचित नहीं है। माननीय मंत्री को ये बेदखलियां बन्द करनी चाहियें।

फिर विद्यार्थियों का मामला है। उन्हें औसतन ३०० रुपये की राशि के ऋण दिये गये थे। अब इन ऋणों की वसूली बड़ी निर्दयता से की जा रही है। दिल्ली में एक विद्यार्थी वृत्ति समिति है। उस में एक गैर-सरकारी संकल्प रखा गया था। बहुत कहने पर भी जब प्रस्तावक ने उसे वापस न लिया तो इस उद्देश्य से कि इस समय विद्यार्थियों को आतंकित नहीं करना चाहिये भारत सरकार के पास पहुंच की गई ताकि ऋण के रूप में दी गई राशि को वृत्ति समझ लिया जाय। भारत सरकार ने इस प्रार्थना को अस्वीकार कर दिया है। मेरा निवेदन है कि जब हम शिक्षा पर इतना अधिक व्यय कर रहे हैं, तो विस्थापित छात्रों को दिये गये ऋणों को भी वृत्तियों का रूप दिया जाना चाहिये।

कालकाजी, पटेल नगर, राजेन्द्र नगर और अन्य बस्तियों में मकानों के मूल्य किसी न किसी बहाने से बढ़ाये जा रहे हैं। वहां के निवासियों की शिकायत है कि उन से एक विशेष मूल्य लेने का वचन दिया गया था और कहा गया था कि इस में लाभ की भावना नहीं होगी। अब मेरा निवेदन है कि उन मकानों के मूल्यों का तुरन्त निर्धारण कर के इस सम्बन्ध में अनिश्चितता को समाप्त कर देना चाहिये।

श्री नन्द लाल शर्मा (सीकर) :

धर्मेण शासिते राष्ट्रे न च बाधा प्रवर्तते।
नाधयो व्याधयश्चैव रामे राज्यं प्रशासति॥

माननीय सभापति महोदय, मेरे सामने पुनर्वास मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट और अन्तर्वर्तीय क्षतिपूर्ति योजना की पुस्तकें उपस्थित हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आंकड़े देखने में आये हैं। और यद्यपि मुझे इस बात को जान कर हर्ष हुआ कि हमारी सरकार की दृष्टि पूर्वी बंगाल की ओर कुछ मुड़ी है, तो भी मुझे दो शब्दों को देख कर खेद हुआ। जो पूर्वी बंगाल से विस्थापित आये हैं उन के लिए यह कहा गया है कि उन का आगमन स्पेसमाडिक और वालंटरी हुआ है। उसी के साथ नोआखाली के सम्बन्ध में भी वर्णन आया है। हमारे सामने नोआखाली का चित्र है और वहां के अत्याचार हमारे सामने हैं और मैं स्वप्न में भी यह नहीं कह सकता कि वहां के लोग अपनी इच्छा से अपने घर छोड़ कर चले आये। इसलिए मैं इस समय भी पुनर्वास मंत्रालय को इस के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इन शरणार्थियों की तरफ दृष्टि डाली जिन को पुरुषार्थी शब्द से भी पुकारा जाता है और जिन को हम लोग

धर्मार्थी कहते हैं और आप उत्पीड़ित या उत्क्रान्त शब्द से भी पुकारते हैं। यह रिपोर्ट देख कर मुझे एक खेद भी अनुभव हुआ है। वह यह कि मैं देखता हूं कि इस में आंख मूंद लेने की नीति अपनायी गयी है अर्थात रिपोर्ट को देखने से पता चलता है कि पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए उत्पीड़ितों की संख्या तो समाप्तप्राय है। पुनर्वास मंत्रालय के सभी कार्यों को तीन चार भागों में विभक्त किया जा सकता है, प्रथम वर्ष में उन को पाकिस्तान से निकालने का कार्यक्रम, दूसरे वर्ष में उनको स्थापित करने का कार्यक्रम, तीसरे उन की निष्क्रान्त सम्पत्ति के मूल्यांकन का कार्यक्रम और चौथा उन को मुआवज़ा और क्लेम देने का कार्यक्रम। अभी तक पुनर्वास मंत्रालय ने जितनी कालोनीज़ या शरणार्थी बस्तियां बसायी हैं उन में किसी प्रकार से शरणार्थियों से उस का रुपया वसूल कर लिया गया है। सिर्फ इतनी रियायत की गयी है कि हाउसिंग डिपार्टमेंट ने उन को मकान बनवा दिये हैं। अभी आप ने सरदार हुक्म सिंह के शब्दों में सुना कि कहीं कहीं तो मुनाफा कमाने की भावना भी आ गयी और उत्पीड़ितों को अधिक से अधिक मूल्य देने के लिए बाध्य किया गया। मैं निवेदन करूंगा कि पुनर्वास मंत्री महोदय इस ओर ध्यान दें।

श्री ए० पी० जैन : आप कोई मिसाल बतलायेंगे ?

श्री नन्द लाल शर्मा : मैं कुछ मिसालों का भी वर्णन कर दूंगा। मेरे पास इस सम्बन्ध में कितने ही कागज़ आ चुके हैं। जहां ६००० कीमत थी वहां कहीं कहीं ७००० और ७५०० लिया गया। इस तरह के निवेदन ले कर लोग मेरे पास आये हैं।

श्री ए० पी० जैन : यह जो आप कहते हैं बिल्कुल गलत है।

श्री नन्द लाल शर्मा : जंगपुरा के क्वार्टर्स और निज़ामुद्दीन के क्वार्टर्स को आक्शन करने का आपने स्वयं निर्णय घोषित किया था। लेकिन अब सुना गया है कि उस पर जब हल्ला मचा तो उस को कुछ देर के लिए रोक दिया गया है। इस के अतिरिक्त न्यू राजेन्द्र नगर और पटेल नगर के अन्दर आप ने इसलिए मूल्यांकन नहीं किया कि आप के कार्यकर्ता लोग मूल्यों को बढ़ाना चाहते हैं। वह अपनी जब गरम करने के लिए थोड़े बहुत खर्चे और दिखाकर यह बतलाना चाहते हैं कि मूल्य अधिक है। मैं इस के अतिरिक्त और भी निवेदन करूंगा। यह विशेष रूप से पश्चिमी पाकिस्तान और विशेष कर फ्रांटियर से आने वाले गवर्नमेंट सरवेंट्स के सम्बन्ध में है। इन सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्ध में सब से बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि उन के प्रावीडेंट फंड, पेंशन और पिछली सरविस का कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया गया है। वह आप की दया के पात्र बने हुए पड़े हैं। कोई किसी पोस्ट पर था तो उस को आप यहां कोई और पोस्ट देना चाहते हैं। उस की पिछली सरविस काउंट करने का आप के पास कोई साधन नहीं है। आप पश्चिमी पाकिस्तान के अधिकारियों को लिखते हैं। वहां से आप के पास उत्तर आता नहीं है। अन्त में अपना दिल मसोस कर रह जाते हैं और आशा करते हैं कि आज नहीं सुना तो शायद कल सुनेंगे।

निष्क्रान्त सम्पत्ति के मूल्यन के बारे में भी आपने यही नीति बरती है। बार बार आपने मुहम्मद अली का दरवाज़ा खटखटाया। उस के पहले उन के स्वर्गीय या नारकीय पूर्वजों का दरवाज़ा भी खटखटाया था किन्तु आप को कोई सफलता नहीं मिली। अब भी आप आशा लगाये हुए हैं कि सम्भवतः वह आप को निष्क्रान्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में सहायता दें। वहां के लोगों के स्वभाव और प्रकृति के आधार पर हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि आप को उन से एक फूटी कौड़ी भी मिलने वाली नहीं है आप चाहे जिस नीति पर चलें। अभी

[श्री नन्द लाल शर्मा]

पिछले दिन की बात है जब मैं ने प्रश्न किया था तो बताया गया था कि जो व्यक्ति अभी भी आ रहे हैं वहां से शरणार्थी के रूप में और जिन के क्लेम्स आप के पास नहीं पहुंचे हैं उन के लिए द्वार बन्द कर दिया है। अभी एक सप्ताह हुआ कि मेरे पास एक विधवा आयी जिस का पति पठानिस्तान में मर चुका है। मैं ने पासपोर्ट बनवा कर आदमी भेजा उस को लाने के लिए और बड़ी कठिनाई से उस को लाया गया और लाहौर में अपहृत देवियों के कैम्प में उस को रख दिया गया यह दिखाने के लिए कि यह अपहृत है। मैं कह सकता हूं कि आप का यह विभाग कोई कार्य नहीं कर रहा है। उस देवी ने वहां पर हिन्दू ललनाओं के साथ जो व्यवहार किया जाता है उस का चित्र मेरे सामने प्रस्तुत किया। उस ने कहा कि वहां अपहृत महिलाओं को कलमा पढ़ने के लिए डंडे के जोर पर राजी किया जाता है। उस ने बताया कि एक छोटी सी लड़की के छुरा भोंक कर उस की मां से यह कहा गया कि या तो तुम कलमा पढ़ो नहीं तो हम इस लड़की को मार देंगे। जब उस ने नहीं पढ़ा तो और ज्यादा छुरा भोंक कर उस से कहा गया कि पढ़ती है या नहीं। उस ने कहा कि मैं नहीं पढ़ती। इस तरह करते करते उस लड़की को काट दिया गया। लेकिन उस देवी ने फिर भी कलमा नहीं पढ़ा और उस को १८०० रुपये में एक दूसरे व्यक्ति के हाथों बेच दिया गया। आप यकीन मानिये कि उन दृश्यों को देखने वाले आज भी यहां उपस्थित हैं। आप जब कहें मैं उन को आप के सामने उपस्थित कर सकता हूं। लेकिन आप के हाई कमिश्नर को कोई बल और उत्साह नहीं कि उन देवियों के उद्धार का कोई भी उपाय कर सकें।

इतना ही नहीं आप देखें कि पाकिस्तान वालों ने एक नीति अपना रखी है कि चाहे आप उत्पीड़ितों की सम्पत्ति के विषय में बात करें, या सरकार की कर्मचारियों के प्रोवीडेंट फंड या पेंशन के बारे में बात करें, या सीक्यूरिटीज़ के बारे में बात करें वह हां जी हां जी कह देते हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। वह समझते हैं कि यह पिटपिटा कर रह जायेंगे और कुछ दे ही बैठेंगे। इसी नीति को अपना कर आपने एक तिहाई देश का खातमा करवा दिया। अब न जाने आप उन को क्या देने वाले हैं। अब आंख मूंदने से काम नहीं चलेगा। आप यह न समझें कि अब कोई शरणार्थी ही नहीं रहा है। शरणार्थी चाहते हैं कि उन को कोई काम मिल जाय। जितना रुपया वह लाये थे वह इन सात वर्षों में खा चुके हैं। आज उन को चिन्ता है कि वह कल क्या खायेंगे। मैं ने गवर्नमेंट सरवेंट्स के बारे में कहा कि आप ने उन की पिछली सरविसेज़ पर कोई ध्यान नहीं दिया। उन को रहने के लिए सरकारी कर्मचारियों के क्वार्टर मिले हुए हैं। आप ने पुनर्वास मंत्रालय की ओर से कोई क्वार्टर नहीं दिया। कल को जब वह गवर्नमेंट सरविस से हट जायेंगे तो उन के पास कोई आवास नहीं रहेगा और कहीं जाने का उन के पास उपाय नहीं होगा। आप ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। यह बातें मैं केवल इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आप के कार्य में बाधा डालूं या इसलिए कि मैं दोष दृष्टि रखता हूं। मैं मानता हूं कि दोष निकालना तो आसान है पर काम करना कठिन है। किन्तु मेरा आप से निवेदन है कि आप अजित प्रसाद हैं, ऐसे ऊंचे तत्व को आप ने पाया है। और यह हमारा महावीर क्षत्रिय भोंसले कहलाने वाला आज कैसा ढीला ढाला पड़ा हुआ है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

६ म० प०

चालीस कुटुम्ब, परिवार, यहां नयी दिल्ली के अन्दर हरिजनों के हैं, जिन के लिये

आप बहुत हरिजनों के नाम से चिल्लाहट करते हैं । आज भी वह मेरे पास आये थे । उन्हों ने पृथ्वी के लिये प्रार्थना की, पुनर्वास के लिये प्रार्थना की और मुझे उन्हों ने बताया कि मध्य प्रदेश में आप ने पृथ्वी देने को भी कहा । मैं ने उन से पूछा कि तुम्हारे मार्ग में क्या रुकावट है, बतलाओ । मैं मंत्री महोदय से जा कर स्वयं प्रार्थना करूंगा । इन के दुःख की बात आप सोचें, विचारें । बेचारे वर्षा में आवाज देते फिरते हैं और कहते हैं दूसरों से कि बाबू जी यह आप का घर है, हम यहां रात्रि को सो जायं, नहीं तो हमारे छोटे छोटे बच्चे मर जायेंगे । आखिर हम लोगों को कहना पड़ता है कि इन को जगह दे दो, स्थान दे दो, नहीं तो रात को कैसे रहें । आप चाहें तो मैं मानपूर्वक उन लोगों का दुर्भाग्य और दुर्दशा दिखाने के लिये आप को ले जा सकता हूं ।

इस के अतिरिक्त आप की जो बस्तियां हैं, इन के अन्दर जल का क्या प्रबन्ध है, बिजली का क्या प्रबन्ध है, नालियों का क्या प्रबन्ध है यह आप ने देखने की चेष्टा नहीं की । आप के कंट्रैक्टर एक घंटे के काम को एक महीने में भी नहीं कर पाते, सो जाते हैं । हमारे पास लोग कहते हैं और बताते हैं कि इतना टुकड़ा कल पानी के नल का लगाने को था, एक घंटा भी उस में नहीं लगता, लेकिन कंट्रैक्टर न जाने कहां जा कर सो गया । अब वह कहां, किस के पास जा कर रोवें । हर एक कोई मन्त्री के पास पहुंच भी नहीं सकता, यह तो सातवें आकाश के देवता जो ठहरे । ये लोग वहां पहुंच भी नहीं सकते । तो मैं ने यह थोड़ी सी बातें आप के सामने कहीं । बातें तो बहुत हैं, लेकिन इतनी बातों पर भी आप ध्यान देंगे तो पश्चिमी पाकिस्तान से आए हुए शरणार्थियों की समस्या को आप कुछ सुलझा सकेंगे । केवल दूकानदारी के बल पर, केवल लाभ कमाने की भावना से, गवर्नमैंट का ब्यापार चलाने के लिये आप ने अब तक थोड़ा बहुत किया है, सहायता रूप से कुछ नहीं किया । यदि करें तो क्या पूर्वी बंगाल, क्या पश्चिमी बंगाल, सब का सवाल हल हो जाय । आखिर इन को उठाने और उखाड़ने और उत्पीड़ित होने के कारण तो आप ही हैं कि जिन के बल से आज आप मिनिस्ट्रियों में बैठे हैं । यदि आप इस भावना से समझ लेते तो इस प्रकार के काम के लिये बलिदान करने को आप कभी नहीं रुकते ।

बस, यही मेरा निवेदन है ।

श्रीमती इलापाल चौधरी (नवद्वीप) : विभाजन के कारण बंगाल और विशेषतः नाडिया ज़िला को बड़े दुर्भाग्य का सामना करना पड़ा है । आजकल नाडिया में अत्यधिक शरणार्थी हैं । शरणार्थियों के दुख की कहानी के दो रूप हैं । एक तो पूर्वी बंगाल से विस्थापित हुए लोगों की दुखद स्थिति है, दूसरे उन लोगों की हालत भयावह है जो पहले चले गये थे और फिर वापस आये और जिन्होंने वापस आ कर देखा कि उन के मकान और भूमि पर अन्य लोगों ने अधिकार जमा लिया है ।

सरकार ने ये मकान खाली कर देने का आदेश दिया है । यह कार्यवाही श्लाघनीय है । परन्तु इस आदेश पर भी बहुत से मकान खाली नहीं हो रहे हैं । नाडिया में वस्तुतः वहां के निवासी ही शरणार्थी बन गये हैं । उन्हें असैनिक अभियोग चलाने के लिए कहा गया है, परन्तु वे दरिद्र लोग हैं, अभियोग नहीं चला सकते । वह और उन के बच्चे यदि रोग और भूख के कारण मर जायें तो उस के पश्चात उन्हें अधिकार मिल जाने से क्या लाभ होगा ?

बंगाल के छः सात परिवार दिल्ली आ कर बसे हैं । उन्हों ने यहां काम प्राप्त कर लिया है परन्तु उन्हें रहने के लिये कोई जगह नहीं मिली । यदि केवल आवास के

[श्रीमती इलापाल चौधरी]

अभाव के कारण उन्हें वापस लौटना पड़ा तो उन का क्या बनेगा, वे कहां जायेंगे ? मेरा निवेदन है कि पुनर्वास मंत्री इन के पुनर्वास की ओर ध्यान दें ।

पुनर्वास मंत्रालय के प्रतिवेदन से पता चलता है कि शिक्षा के लिए पश्चिम बंगाल को ८० लाख रुपया दिया गया है । परन्तु मैं नाडिया की बात कहती हूं जिस का मैं ने बहुत भ्रमण किया है । वहां स्कूलों के लिए आधी राशि वहां के लोग देते हैं और आधी का प्रबन्ध सरकार करती है । शरणार्थियों के स्कूलों की यह स्थिति है । उन लोगों के पास अंशदान के लिए पैसा नहीं । स्कूल इतने दूर और दुर्गम रास्तों पर हैं कि विस्थापित बच्चों को बहुत कठिनाई होती है । ये विस्थापित लोग संभवतः जीवित रहें परन्तु उन के बच्चे निश्चय ही अपढ़ और अशिक्षित रहेंगे ।

ऐसी ही स्थिति स्वास्थ्य केन्द्रों की है । वे शरणार्थी केन्द्रों से बहुत दूर बनाये गये हैं ।

स्कूलों में कहीं छत नहीं तो कहीं दीवारें नहीं । जब शरणार्थी सहायता मांगते हैं तो कहा जाता है कि उन्हें केवल उपकरणों का अनुदान मिल सकता है ।

लोगों में निराशा फैली हुई है । घर और सम्पत्ति किसी एक की है और उस का लाभ दूसरा उठा रहा है । मूल स्वामियों को उन के घर और सम्पत्ति का अधिकार दिलवाना चाहिये ताकि उन्हें न्याय का आभास अथवा अनुभव प्राप्त हो ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : जनाब डिप्टी स्पीकर साहब, मैं ने अपने दोस्तों की सारी तक़रीरें सुनीं और यह वाक़या है कि रेफ्यूजीज़ की दर्दभरी दास्तान ऐसी है कि जिस को सुन कर दिल हिल उठता है और इस रिपोर्ट को भी पढ़ा है जो मिनिस्ट्री की तरफ़ से शाया की गयी है । मैं यह जानता हूं कि गवर्नमेंट ने जितनी मदद की है, अगर उस से दुगनी भी गवर्नमेंट मदद करती तो भी रेफ्यूजीज़ को तसल्ली होनी मुमकिन नहीं थी और तसल्ली हो तो क्यों कर हो, हमें मालूम है कि हम पंजाब के भाई उस पंजाब में जो अब पाकिस्तानी पंजाब कहलाता है वहां पर क्या छोड़ कर आये हैं, हमारा और उन की दौलत में और चीज़ों में कोई मुक़ाबला नहीं था । आप यहां पर कुछ ही दें उन की तसल्ली नहीं हो सकती । जिस माने में वह रिहैबिलिटेशन समझते हैं उस तरह कभी उन का रिहैबिलिटेशन हो नहीं सकता । मैं खुश हूं कि आपने अपनी तवज्जह ईस्ट बंगाल की तरफ़ ज्यादा दी है और मैं बड़े ज़ोर के साथ इस को सपोर्ट करता हूं । जहां तक मुमकिन हो सके ईस्ट पाकिस्तान रेफ्यूजीज़ की इमदाद की जाय, क्योंकि वे बड़े दुखी हैं और उन की रेज़िस्टेंस की ताकत कम है ।

इस वक्त चूंकि मुझे बहुत थोड़ा वक्त मिला है, मैं अपने इस वक्त को तीन क्लासेज़ के वास्ते ख़र्च करना चाहता हूं जिन के वास्ते मेरे दिल में बहुत दर्द है और जब मैं आप के कोर्ट में आता हूं तब मैं बतौर हक़ के नहीं आता, मैं ऐसे शख्स की तरफ़ से आप की अदालत में, हाज़िर नहीं होता जो हक की बिना पर कुछ मांगता हो, बल्कि मैं तो गवर्नमेंट की उस बुनियाद पर जिस को लोग एक्स ग्रेशिया कहते हैं जो कि डिवाइन राइट औफ़ डूइंग जस्टिस कहलाता है जिसे रहम खुसरवानी कहते हैं, जिस की मिसाल ४०१ और ४०२ ज़ाबते फौज़दारी और रिपरीव वगैरा कांस्टीट्यूशन में है उस के जुरिसडेक्शन के अन्दर मैं तीन क्लासेज़ की तरफ से अपील करता हूं ।

नम्बर एक मैं अर्ज करना चाहता हूं वह लोग हैं जो मेरी कास्टीटुऐंसी में आबाद हैं

जिन को मेव कहते हैं जो मुसलमान हैं जो यहां से बहुत सारे चले गये थे, बहुत सारे गुड़गांव से महात्मा गांधी के हुक्म से वापिस अपने घरों को चले गये थे और जो पाकिस्तान चले गये थे, गवर्नमैंट के वायदे पर फिर वापस आये और एक ख़ास डेट तक उन के साथ पूरा इंसाफ अब तक नहीं हुआ। वायदा किया गया कि उन की ज़मीनें और मकान वापिस मिल जायेंगे, लेकिन वाक़या यह है कि उन सब लोगों को अब तक ज़मीन और मकान वापिस नहीं मिल सके हैं। कई केसेज़ में ऐसे जानता हूं जिन के अन्दर किसी शख्स ने जा कर दस रुपया किसी को रिश्वत दे दी और उस को मकान मिल गया लेकिन उसी के सगे भाई ने जिसने रिश्वत नहीं दी उस के हक़ में आज तक आर्डर नहीं हुआ। मैं ने कई एक क़िस्से ज़नाब की ख़िदमत में पेश किये और पंजाब गवर्नमैंट के पास भी भिजवाये। पंजाब गवर्नमैंट ने नायब तहसीलदार मुक़र्रर किया, यह काम मुश्किल है। दिक्कत यह होती है कि वह लोग चाहते हैं कि पूरा व मुकम्मल सबूत लिया जावे इस में डाक्युमेंटरी प्रूफ मिलना मुश्किल है। बहुत से जानकारी हमारे भाई शहादत ज़बानी देने को आते हैं, उन की शहादत पर ग़ौर नहीं किया जाता। मैं चाहता हूं कि मेव भाई हमारे कांस्टीट्यूशन में हर तरह के सिटीज़न राइट्स के हक़दार हैं उन को आप ज़ोर के साथ इनसाफ के साथ मेहनत के साथ और ख़ास तवज्जह के साथ उन लोगों को मकान और ज़मीन दिला दें। कभी ऐसा होता है कि उन की ज़मीनें किसी रेफ्यूजी को दे दी गयी हैं। मैं नहीं चाहता कि आप रेफ्यूजीज़ को फिर नये सिरे से अपरूट कर के फेंक दें। आप के जराये वसीय हैं, आप ऐसा कर सकते हैं कि, मेवों को उन के मकान व ज़मीन दें और दूसरे रिफ्यूजीज़ को भी इमदाद दे दें, लेकिन ऐसा न हो कि ये बेचारे जो मेव भाई गवर्नमेंट के वायदों पर वापस आये हैं यह कभी समझें कि स्टेट में चूंकि वे माइनौरिटी में हैं इसलिये उन के साथ इंसाफ नहीं हुआ। मैं बड़े ज़ोर और अदब के साथ अर्ज़ करना चाहता हूं कि इस मामले की तरफ़ जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा तवज्जह दें और ख़ास अफ़सर मुकर्रर कर के इस का इन्तज़ाम कर दें।

दूसरा क्लास मैं अर्ज़ करूं वह क्लास है जो आप से कम्पेनसेशन नहीं मांगता। आप ने कम्पेनसेशन की दरख्वास्तें मंगवाईं, कई मौक़े दिय, आखिरी मौक़ा आप ने अता फ़रमाया कि हम हार्ड केसेज़ को देखेंगे, लेकिन मेरे अपने इल्म में और आप की तक़रीर के मुताबिक़ कम से कम एक लाख आदमी ऐसे मौजूद हैं, क्योंकि पांच लाख, पचहत्तर हज़ार आप की रिपोर्ट में दर्ज है कि वह ज़मीनों के हक़दार थे जिन में से चार लाख, पचहत्तर हज़ार को ज़मीन दी गई। एक लाख ऐसे आदमी मौजूद हैं कि जिन्हों ने किसी क़िस्म का कोई रिहैबिलिटेशन बेनिफिट यहां पर नहीं लिया, इन में ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन के पास ज़मीन न थी। हमारी गवर्नमेंट ने शरणार्थियों को रिहैबिलिटेट करने का वायदा किया था। सरदार हुक्म सिंह रेज़ूलेशन लाये कि हम आठ आने लेने को तैयार हैं, तो मै ने उस वक्त उन से कहा था कि आप यह किस की तरफ़ से कहते हैं, शायद हमारी सरकार इस से ज्यादा दे। मुझे उस समय नहीं मालूम था कि रिहैबिलिटेशन की यह गति बनेगी और उन को इतना थोड़ा मुआवज़ा मिलेगा, लेकिन हम ने कहा था कि हम उन को रिहैबिलिटेशन बेनिफिट् ज़रूर देंगे। मेरे पास वक्त थोड़ा है। रिहैबिलिटेशन दो ही चीज़ों का है। एक गेनफुल इम्पलायमेंट का और दूसरा मकान का। मकान के बारे में मैं याद दिलाना चाहता हूं कि कोई शख्स वहां पर ऐसा नहीं था मज़ारा और मालिक जिस के पास कम से कम मकान न हो, चाहे मकान छोटा हो, दस रुपये

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

या बीस रुपये का हो लेकिन उन के पास मकान जरूर था, उन लोगों ने आप के रूबरू क्लेम्स नहीं दिये क्योंकि वह बिल्कुल अनपढ़, बेवकूफ़ और जाहिल थे जिन को कुछ खबर नहीं थी और ऐसे लोग काफ़ी बड़ी तादाद में मेरी कांस्टीट्युएंसी में और दूसरी जगह मौजूद हैं। गुड़गांव और पलवल और दूसरे हिस्सों में बसे हैं। अभी पिछले दिनों पलवल के लोग मेरे पास आये और कहने लगे कि अब हम कहां जायं हम मड हट्स से निकाले जा रहे हैं। आप ने रियाअत भी दी कि वह लोग सिर्फ़ ज़मीन की ही कीमत देवें और स्ट्रक्चर की नहीं, लेकिन उन की बदक़िस्मती कि उन के पास ज़मीन के लिये भी पैसा नहीं है। बहुत थोड़ी उन की तादाद है। मैं उन की तरफ़ से पुरज़ोर अपील करता हूं कि जिन के पास ज़मीन तक की कीमत के लिये पैसा नहीं है, आप मकान मुफ्त देते हैं, आप ही समझ सकते हैं कि ६ वर्ष के बाद कौन ऐसा शख्स है जो अपने घर से बाहर निकलना चाहे और अपरूट होना चाहेगा। आज उन को इस वास्ते उन मकानों से निकालना कि उन के पास ज़मीन की कीमत देने के लायक भी पैसा नहीं है मैं सिर्फ़ यही कह सकता हूं कि उन की बदकिस्मती के सिवा और कुछ नहीं है और मैं आप से पुरज़ोर अपील करता हूं कि आप मेहरबानी कर के उन के हाल पर रहम फरमायें। अभी हमारी दरख्वास्त पर पंजाब गवर्नमेंट ने उन मकानों की नीलामी बन्द कर दी थी लेकिन मैं कहता हूं कि नीलामी बन्द कर देने से कुछ नहीं होगा जब तक कि आप अपने दिल के स्टिग्स को ढीला कर के उन के हाल पर ग़ौर न फ़रमायेंगे और उन के ऊपर रहम न करेंगे। मैं इन्हीं की हालत बयान करता हूं, मैं जब पलवल व दूसरे इलाके में जाता हूं, तो यक़ीन करें उन से मुंह छिपा कर जाता हूं, उन की हालत देखकर बग़ैर आंसू बहाये नहीं रह पाता। वह शख्स आठ आठ, दस दस मील तक जंगल में जाते हैं, वहां से लकड़ी तोड़ कर लाते हैं, इतनी मेहनत करने पर भी वे बेचारे आठ आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमा पाते। ये वह लोग हैं और ऐसे इलाक़े से आये हैं कि जिन के पास पहले सब कुछ मौजूद था, वह ज़मींदार लोग थे लेकिन आज बदकिस्मती से उन की हालत नागुफ़्ताबेह है। मैं आप की मेहरबानी का बहुत शुक्रगुज़ार हूं कि आप ने उन की हालत पर तरस खा कर के उन के लिए काम मुहैया करने का विश्वास दिलाया है। फ़रीदाबाद को आप ने २८००–२९०० रुपये के मकान दिये, अब आप इन गरीब मड हट्स वालों से ज़मीन के रुपये मांगते हैं यह इन के पास नहीं है, यह इन के अनइम्प्लायमेंट का हाल है और मैं अपील करूंगा कि आप इन के हाल पर मेहरबानी करें और मैं समझता हूं कि इन लोगों पर सरकार को ५ या १० हज़ार रुपये से ज़्यादा ख़र्च नहीं करना पड़ेगा। इन को इन के मकानों से न निकालें जिस में वह कई बरस से बसते हैं। मैं ने दो क्लासेज़ का ज़िक्र कर दिया। अब मैं एक क्लास का और ज़िक्र करना चाहता हूं और वह क्लास वह है जो शुरू शुरू में पाकिस्तान से भाग कर यहां आये थे हज़ारों आदमी हमारी तरफ़ के उधर से आये थे और मुझे वह दिन याद है जब वह लोग वहां से वापिस अपनी सारी सम्पत्ति पाकिस्तान में छोड़ जान बचा कर आये थे। इन लोगों के पास खाने को नहीं था और कुछ ऐसे थे जिन के पास खाने को था, तो हम ने पंजाब के डिप्टी कमिश्नर से मिल कर कहा कि आप हर एक को मुफ्त पैसा न दें। जिन के पास खाने को है वह भी आप से लेलेंगे और जिन के पास नहीं है वह भी लेंगे और आप तमीज़ नहीं कर सकेंगे। सरकार इस वक्त मफ्त खुराक के लिए पैसे देना चाहती थी, हम लोगों को पब्लिक इंट्रेस्ट में उस मदद को

ग्रांट की बजाय लोन की शकल दी, कोई वजह उस वक्त लोन देने की नहीं थी, ऐसे कितने ही आदमी हैं जिन के ज़िम्मे कर्ज़ा सरकार ने लिखा हुआ है, मैं सरकार से अर्ज़ करना चाहता हूं कि उन लोगों की हालत आज इतनी पस्त है कि वह उस कर्ज़ को किसी तरह भी अदा करने के क़ाबिल नहीं हैं, तो मैं एक छोटी सी तजवीज़ गवर्नमैंट की मंजूरी और उस पर ग़ौर करने के लिये पेश करना चाहता हूं और जैसा गिडवानी साहब ने भी सुझाव रखा था कि एक हज़ार रुपये तक जिन पर आप का कर्ज़ा है उस को आप माफ़ कर दें, मैं उस में तरमीम करता हूं, मेरा दिल तो नहीं चाहता, कि मैं उन आदमियों को जो रुपया खा चुके हों, उन से उस को अदा करने के लिये कहूं, लेकिन यह सोच कर कि शायद आप इतने पर राज़ी न हों मैं श्री गिडवानी की एक हज़ार की लिमिट को और कम कर देना चाहता हूं और चाहता हूं कि जिनका कर्ज पांच सौ तक है, उस कर्ज़े को खत्म कर दिया जाय । मेरी इस तजवीज़ पर ग़ौर फ़रमाया जाय और जितने स्टेट लोन्स पांच सौ तक के हैं वह सब माफ़ कर दिये जायं क्योंकि आज हकीक़त यह है कि उन के पास देने को कुछ नहीं है ।

आप उन की पावर्टी में से, उन की रोटी में से, उन की उन छोटी छोटी चीज़ों में से जो उन को बहुत अजीज हैं, उन के बच्चों की रोटी में से, अपना रुपया वसूल करेंगे । ऐसा सरकार को नहीं करना चाहिये। आखिर रिहैबिलिटेशन के यह माने तो नहीं हैं जब आप ने रुपया दिया था, तो मैं जानता हूं कि क्या सोच कर दिया था। हमें एक भी रुपये की वापसी की उमेद नहीं थी। अभी हमारे सरदार हुक्म सिंह साहब ने फरमाया कि मकानों में जितनी कड़ियां थीं, या तो उन को मकान वाले खुद तोड़ गये थे, या जो उन के बाद मौके पर थे, उन लोगों ने उठा लिया, चुरा लिया । उन लोगों ने, जिन को आप ने मकान दिये ; उन के ऊपर ५०, १००, २०० रुपया कर सरकार से या कहीं से ला कर लगाया, पर आप क्रेडिट लेते हैं पूरे मकान देने का तो, मकानों का सिला तो मत मांगो । लेकिन वही रुपया जो आप लोगों ने मकानों के दुरुस्त करने में लगाया था, आप उन से वापस मांगते हैं । मैं छोटे केसेज के वास्ते कहना चाहता हूं कि इस पर आप की कैबिनेट गौर करे, ऐसे लोगों के वास्ते जिन्होंने छोटे छोटे लोन्स लिये हैं । हर एक ऐसे आदमी को पांच सौ रुपये तक की छूट दे दी जाय, और जो लोग पांच सौ से कम लोन्स के हैं उन को पूरे रुपये की छूट दे दी जाय । मैं ने अर्ज़ किया कि हमारी सरकार ने जो बड़े लोनीज हैं, इन छोटे लोगों के मकाबले में जो ज्यादा मालदार हैं, उन का रेट आफ इन्टरेस्ट अब कम किया है । मैं श्री गुहा साहब को, अपने फाइनेन्स मिनिस्टर साहब को और आप की मिनिस्ट्री को मुबारकबाद देता हूं कि मैं ने जो कुछ हाउस में अर्ज़ किया था उस को आप ने कबूल कर लिया । लेकिन मैं उन गरीब लोगों के वास्ते, जिन के वास्ते आप रोज इतनी अपीलें करते हैं, उन के वास्ते आप ने जो कुछ काम किया है उस की दाद देते हुए, इतनी अर्ज़ आप से और करूंगा कि आप ने निहायत पुण्य का काम किया है, लेकिन पुण्य के अन्दर आखिरी चीज़ जो होती है उस को दक्षिणा कहते हैं, आप उस को भी कर डालियें। आप ने पंजाब के रिफ्यूजीज़ की काफ़ी मदद की है, अब इन गरीब लोगों के वास्ते, जिन के वास्ते कोई रास्ता नहीं है, आप आज ही अपनी पालिसी ऐनाउन्स कर दीजिये तो हज़ारों मजरूह दिलों को आप शफा दे देंगे और उन के बुझे हुए दिलों को उमेद से फिर प्रफुल्लित करेंगे ।

पुनर्वास उपमंत्री (श्री जे० के० भोंसले): इस से पूर्व कि मंत्री वाद विवाद का उत्तर दें मैं एक दो शब्द कहना चाहता हूं । निस्सन्देह

[श्री जे० के० भोंसले]

वे बहस में उठाई गईं सब बातों पर बोलेंगे। परन्तु में पुनर्वास की इस दुखद समस्या के सम्बन्ध में, जिस के हल के लिए यह देश और इस के लोग गत छः वर्ष से अधिक समय से संघर्ष कर रहे हैं कुछ सामान्य बातें कहना चाहता हूं।

कुछ मित्रों ने हमारी आलोचना की है। मैं सभा को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जिन्हों ने विस्थापित लोगों की समस्यायें हल किये जाने पर ज़ोर दिया है उन की और मंत्रालय की अभिरुचि में भेद नहीं वरन दोनों एक समान हैं, और इस सदन में व्यक्त की गई भावनाओं के प्रति मुझे सहानुभूति है। परन्तु समस्या जितनी कठिन और उलझी हुई है उतनी ही बड़ी है। हमारे सामने जो समस्या है वह केवल विस्थापित लोगों को घरों में बसाने की ही नहीं है वरन् भौतिक सुख से कुछ कुछ भिन्न सामाजिक-आर्थिक वातावरण में उन का मानसिक तथा नैतिक पुनः समायोजन कर के उन में एक नया जीवन पैदा करना है। इस के अतिरिक्त विभाजन के समय ऐसा प्रतीत होता था कि बेघर हुए लोगों का एक सागर उमड़ा हुआ इधर आ रहा है। उस समय सत्ता का हस्तान्तरण हुआ ही था और प्रशासन व्यवस्था में एक प्रकार की शून्यता सी आ गई प्रतीत होती थी। "कठिनाइयों में मानव सदा प्रयत्नशील होता" है और शीघ्र ही सरकारी व्यवस्था अधिकतम शीघ्रता से कार्य करने लगी।

मैं इस बात में अपना सौभाग्य समझता हूं कि विस्थापित लोगों की समस्या के साथ मेरा सम्बन्ध इस की आरम्भ से ही रहा है। क्षेत्र में अर्थात् बम्बई की गलियों में, और सारे भारत में मैं ने इस समस्या के बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। गत छः वर्ष के प्रगतिशील पुनर्वास का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि हम ने सब पहलुओं में व्यवस्था और प्रगति की है और पुनर्वास की समस्या को हल करने के लिए जितनी शीघ्रता, महत्व और सहानभूति की आवश्यकता थी, उस से इस का हल किया गया है।

पंजाब में हम ने अर्द्ध-स्थायी आधार पर ग्रामीण पुनर्वास का अपूर्व प्रयोग किया है और में यह कहने का साहस कर सकता हूं कि इतने थोड़े समय में इस योजना के अधीन साढ़े चार लाख परिवारों अथवा बीस लाख विस्थापित व्यक्तियों का जो पुनर्वास हुआ है उस का दूसरा उदाहरण नहीं मिल सकता। मैं इस वार्षिक प्रतिवेदन के विवरण से सभा को उकताना नहीं चाहता, जिस की प्रति माननीय सदस्यों के हाथ में है। परन्तु, उस पर सरसरी नज़र डालने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि अन्य क्षेत्रों अर्थात्, गृह-व्यवस्था, शिक्षा, सेवा योजना, और व्यवसायिक प्रशिक्षण तथा अनाश्रितों की देखभाल करने में भी पुनर्वास मंत्रालय पीछे नहीं रहा। अब वह समय आ गया है जब कुछ विश्वास के साथ यह कहा जा सकता है कि जहां तक पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों का संबंध है उन्हों ने नई भूमि में जड़ें पकड़ी हैं और अब वे फलेंगे और फूलेंगे।

पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित लोगों से सम्बन्धित समस्या की स्थिति और प्रकार की है। निस्सन्देह यह १९४६ के नवाखली के दंगों से आरम्भ हुई थी परन्तु १९५२ तक पूर्व की स्थिति अस्थिर और आवेशपूर्ण रही है और तब एक बड़े उपद्रव के फलस्वरूप दूसरी बार जन समूह का प्रवजन हुआ। उस समस्या को सब साधनों द्वारा हल करने का प्रयास किया जा रहा है। और मुझे सन्देह नहीं कि यह समस्या शीघ्र पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापितों की समस्या के समान हल हो

जायेगी। पुनर्वास मंत्रालय में हम इस का सतर्क ध्यान रखते हैं और वह सब निधि जो प्राप्त हो सकती है अधिक से अधिक पूर्वी बंगाल के विस्थापित लोगों की भलाई में लगा रहे हैं।

यदि मैं ने अधिक आशावाद का प्रदर्शन किया हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। परन्तु जो कुछ मैं ने कहा है वह गंभीर विचार के पश्चात कहा गया है। युद्ध के वर्षों में मुझे स्वयं कष्ट और कठिनाई में से गुज़रना पड़ा था। मैं जानता हूं कि घर विहीन हो जाने का क्या अभिप्राय है और अपने सगे सम्बन्धियों की मृत्यु का क्या अर्थ है। मैं यह भी जानता हूं कि दरिद्रता और दुख में तथा नये वातावरण में नये सिरे से जीवन आरम्भ करना कितना कठिन है। परन्तु जिस प्रकार प्रत्येक सिपाही यह सीखता है मैं ने निराशा में भी आशा का सहारा लेना सीखा है और मुझे स्पष्ट रूप से नव उषा की किरणें दिखाई दे रही हैं जो कि शीघ्र ही हमारे विस्थापित भाइयों का आलिंगन करेंगी।

इस सब का श्रेय उन विस्थापित व्यक्तियों को है जिन्हों ने कठिनाइयों की परवाह न करते हुए, इस देश में अपनी आर्थिक स्थिति को स्थिर करने के लिए घोर श्रम किया है, और हमारे मंत्रालय के कर्मचारी और पदाधिकारी उनके प्रयत्नों की सहायता करने में पीछे नहीं रहे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने एक विशेष प्रश्न में मेवों के पुनर्वास की बात उठाई है। मैं जानता हूं कि यह समस्या जिस सीमा तक हल हुई है उस से मेवों और माननीय सदस्य को संतोष नहीं है। परन्तु मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि इस समस्या को मैं स्वयं हल कर रहा हूं और मैं ने कई बार मेवों के क्षेत्र में जाने का प्रयास किया है। हमारी यह इच्छा है, और मैं सभा को वचन देता हूं कि नियमों के अन्तर्गत जहां तक हो सके इस समस्या को यथावश्यक शीघ्रता के साथ हल किया जायेगा।

मैं सभा और मंत्री के बीच में अधिक देर खड़ा नहीं रहना चाहता। उन को एक विस्तृत उत्तर देना है।

श्री ए० पी० जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं ने इस हाउस के अन्दर जो आज बहस हुई उसे बहुत गौर से सुना।

श्री आर० के० चौधरी : ज़रा जोर से बोलिये।

कुछ माननीय सदस्य : अंग्रेजी में बोलिये

श्री ए० पी० जैन : सब्र से सुनिये। और यह देख कर मुझे खुशी हुई कि ज्यादातर भाइयों ने पहले पहल इस समस्या को ठंडे तौर से समझा और उस पर ठंडे दिल से बातें कीं। एक दो बातें ज़रूर ऐसी कही गयीं जो कि असलियत के खिलाफ़ थीं मैं आगे चल कर अपनी तक़रीर में उन चीज़ों का ज़िक्र करूंगा।

सब से पहली बात जो इस बहस के अन्दर सामने आयी वह पूर्वी और पश्चिमी शरणार्थियों का प्रश्न था। मुझे यह देख कर तो खुशी हुई कि इस सवाल पर बहस करते हुए किसी ने पश्चिमी और पूर्वी भाइयों का मुकाबला नहीं किया और जो भाई कि पूर्व से आते हैं उन्हों ने इस की कोई शिकायत नहीं की कि इस वक्त तक पश्चिम वाले भाइयों पर ज्यादा पैसा खर्च क्यों हुआ है। लेकिन मैं चाहता हूं कि इस चीज़ को ठंडे दिल से सोचा जाय क्योंकि अक्सर बंगाल के अखबारों में इस की चर्चा होती है और बंगाल के कुछ सार्वजनिक कार्यकर्ता हैं जो कि इस बात की शिकायत करते हैं कि पश्चिम की ओर हम न ज्यादा ध्यान दिया और पूर्व की ओर कम। यह रिपोर्ट जो हम ने मेम्बरों को भेजी है इस के

[श्री ए० पी० जैन]

देखने से पता चलेगा कि पश्चिम की ओर पूर्व की समस्या एक हद तक अलग अलग थी। पश्चिम में लोग एक साथ आये लेकिन पूर्व में आहिस्ता आहिस्ता आये। सन् १९५० तक पूर्व में साढ़े ११ लाख आदमी आये और सन् १९५१ में जब कि जन गणना की गयी उस वक्त तक वहां पर पुरुषार्थियों की संख्या साढ़े २५ लाख थी और इस वक्त वह ३१ लाख है। पूर्व के बारे में सन् १९५० तक, जैसा कि यहां पर भी कहा गया, आम तौर से यह ख्याल था कि जो पुरुषार्थी भाई उधर से आये हैं वह अपने मुल्क को वापस चले जायेंगे और वहां पर सन् १९५० तक पुरुषार्थियों की समस्या को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी गयी थी। असल में पूर्व में जो काम हुआ वह सन् १९५० में शुरू हुआ है। और इस बात को सही तरीके से समझने के लिये यह ज़रूरी होगा कि पिछले सात बरस को हम दो हिस्सों में बांटें। सन् १९५० तक पश्चिम में ६६,७४,००,००० रुपया खर्च हुआ और पूर्व में ६,९७,००,००० लाख। यानी उस ज़माने के दोनों आंकड़ों का मुक़ाबला करें तो फर्क बहुत ज्यादा है। क़रीब ५८ या ५९ करोड़ का फर्क है। पिछले चार बरस के अन्दर पश्चिम में करीब करीब ७८ करोड़ रुपया खर्च हुआ और पूर्व में ४९ करोड़ रुपया खर्च हुआ। सब भाई इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि जब एक काम की शुरुआत होती है तो वह काम आहिस्ता आहिस्ता होता है। जब रेल चलती है या हवाई जहाज़ चलता है तो शुरू शुरू में चींटी के बराबर रफ्तार होती है और ज्यों ज्यों वह आगे बढ़ता है तेज होता जाता है। तो जब सन् ५० में हम ने काम शुरू किया तो हम बहुत तेज़ी से नहीं चल सके और हम को रफ्तार हासिल करने में वक्त लगा। चुनांचे अगर आज के आंकड़ों का मुकाबला किया जाय तो एक दूसरी तस्वीर हमारे सामने आती है। रिपोर्ट के सफे ३५ पर वह आंकड़े दिये हुए हैं। सन् १९५४–५५ में जो हम ने पश्चिमी पाकिस्तान से आने वालों के लिए एलोकेशन्स किये हैं वह १३,८१,००,००० के हैं। पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए शरणार्थियों के लिए १३,४८,००,००० के हैं। करीब करीब बराबर। ७५ लाख जो हम ने नये टाउनशिप्स में दस्तकारियों वगैरह को कायम करने के लिए और कारखाने बनाने के लिए निश्चित किये हैं वह पूर्व और पश्चिम दोनों के लिए हैं। २ करोड़ ४० लाख रुपया रिहैबिलिटेशन फाइनेन्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है और इस वक्त ज्यादातर दरखास्तें जो बाकी हैं वह पूर्व की हैं। मैं इस के सिलसिले में आगे चल कर भी कहूंगा कि पश्चिम में रिहैबिलिटेशन फाइनेन्स एडमिनिस्ट्रेशन का जहां तक सम्बन्ध है हमारी क्या पालिसी होने वाली है। लेकिन इस वक्त मेरा यही कह देना काफी होगा कि यह जो रुपया रिहैबिलिटेशन फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए दिया गया है वह अधिकतर पूर्व से आने वाले पुरुषार्थियों को मिलेगा। अगर आप इन तमाम आंकड़ों की तरफ मजमूई तौर से देखें तो आप के सामने एक तस्वीर आयेगी कि इस वक्त हम पूर्व में ज्यादा रुपया खर्च कर रहे हैं बनिस्बत पश्चिम के क्योंकि पश्चिम में हम ने एक बड़ी हद तक रिहैबिलिटेशन में कामयाबी हासिल कर ली है। पूर्व में अभी यह काम होना बाकी है।

मैं शुरुआत करूंगा पूर्व की तरफ से। मैं ने कुछ आंकड़ों का जिक्र किया, वहां के लिए जो रुपया आने वाले साल के लिए रखा है, उस का। अब मैं यह कहने के लिए तैयार नहीं हूं कि पूर्व में कुछ कमियां नहीं हुईं या पूर्व में हम बहुत हद तक हम बढ़ गये हैं। पिछले साल हम ने खुद इस बात को महसूस किया कि पूर्व में जो, हमारा काम हुआ है उस से हम को सन्तोष नहीं था। चुनांचे गवर्नमेंट ने एक

कमेटी मकर्रर की जिस में कि गवर्नमेंट आफ इंडिया के फाइनेन्स मिनिस्टर, बंगाल के चीफ मिनिस्टर और मैं शामिल हैं। पेश्तर इस के कि यह कमेटी मामलात के ऊपर गौर करे हम ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी मुकर्रर की जिस में कि हम ने इस बात का ध्यान रखा कि ऐसे लोग इस के मैम्बर हों कि जो हमारे सामने जांच पड़ताल कर के एक सही नक्शा रखें। इस फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने कई महीने तक काम किया, मुख्तलिफ कालोनीज के अन्दर वह लोग गये और उन्हों ने तमाम आदादो-शुमार इकट्ठा कर के इस मिनिस्टर्स कमेटी के सामने रखे। मिनिस्टर्स कमेटी ने उन तमाम चीज़ों पर गौर किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि पूर्व में कुछ गड़बड़ रही है। कुछ ऐसी खेती करने वालों की बस्तियां बसायी गयीं कि जो मुनासिब नहीं थीं, क्योंकि वहां पर ज़मीन अच्छी नहीं थी। हम ने इस बात को महसूस किया कि उनमें तबदीली की ज़रूरत है। देहात के रहने वाले जो खेती नहीं करते थे उन की भी कुछ ऐसी बस्तियां बसायी गयीं जो कि ठीक तरह से नहीं बसायी गयीं। जो शहर वालों को आबाद किया गया उस में भी हम को कमी मालूम हुई और हम ने उन तमाम चीज़ों पर गौर किया। इस सम्बन्ध में मैं कुछ मोटी मोटी बातें आप के सामने अर्ज़ करना चाहता हूं। हमारे ट्रांजिट कैम्प्स थे उन की हालत अच्छी नहीं थी। तीन में से दो की कासीपुर और रिलायेंस कैम्प्स की हालत अच्छी नहीं थी। उन दोनों को हम ने बन्द कर दिया। और सिर्फ एक गुसरिया कैम्प को हम ने कायम रखा। जहां तक कि खेती करने वालों की बस्तियों का ताल्लुक था उस में हम ने तीन मोटे फैसले किये। पहला यह कि जहां पर ज़मीन अच्छी नहीं है लेकिन अगर उस को सिंचाई से या बांध बना कर ठीक किया जा सकता है तो उस को ठीक किया जाय। दूसरे जहां पर कि ज़मीन ठीक नहीं हो सकती या जहां पर ऐसे लोग बस गये हैं जो कि खेती नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम ने ज़मीनें दीं तो उन लोगों ने भी ज़मीनें ले लीं जिन के बाप दादा ने कभी खेती नहीं की थी, उन को वहां से हटाया जाय और दूसरी जगह बसाया जाय। हम ने यह भी पाया कि हम ने जो ज़मीन दी है वह कम है। पौने दो एकड़ या दो एकड़ का औसत पड़ता था। मुझे मालूम है कि बंगाल के होल्डिंग्स छोटे छोटे हैं। मैं शरणार्थियों में गया और उन से पूछा तो मैं इस नतीजे पर पहुचा कि दस आदमियों में से ६ या ७ ऐसे आदमी हैं जिन के पास दो, एकड़ से कम ज़मीन थी, दो तीन आदमी ऐसे हैं जिनके पास दो और पांच एकड़ के बीच में ज़मीन थी और दस में से एक आदमी ऐसा मिलता था जिस के पास पांच एकड़ से ज्यादा ज़मीन थी। लेकिन जिस वक्त हम बसाते हैं तो हमारा यह फर्ज़ हो जाता है कि कम से कम इतनी ज़मीन तो दें कि उस की जीविका चल जाय।

तो हम ने यह भी फैसला किया कि जिन किसानों की बस्तियों के पास ज़मीन मिल सकती है उस ज़मीन को हम हासिल कर के, चाहे तो निजी तौर से और चाहे क़ानून के ज़रिए से, हम इन लोगों को कम अज़ कम एक एकड़ ज़मीन और देंगे। इस तरह से हम ने जो किसानों की बस्तियां बसाई थीं उन को रीआर्गेनाइज करने को तय किया। लेकिन इस से ज्यादा दिक्कत तलब जो चीज़ हमारे सामने आई वह उन लोगों की समस्या थी जो कि खेती करने वाले नहीं थे लेकिन देहात में दूसरे किस्म का काम करने वाले थे। उन में बड़ी संख्या उन लोगों की थी कि जो ज़मीन पर लगान की वसूली का काम करते थे। ज़मींदार के बीच में ताल्लुक़ेदार, पटनीदार, दर पटनीदार, इस तरह के बंगाल में कई कई लोग थे ये लोग न खेती करते थे न किसी तरह का

[श्री ए० पी० जैन]

रोज़गार करने वाले थे। न ये दूकानदारी कर सकते हैं और न दस्तकारी कर सकते हैं। इन्हों ने हमारे सामने सब से मश्किल, सब से जटिल, सब से कठिन समस्या रख दी। कितनों को हम ने पैसा दिया, बस्तियों में बसाया, लेकिन वह बस नहीं सके। तो इन के वास्ते भी हम ने इन बस्तियों को दोबारा रिआर्गेनाइज करने का निश्चय किया, क्योंकि जैसा यहां पर कहा गया है, यह सही बात है कि खाली कर्ज़ा देने से या मकान देने से हम समझें कि हमारी जिम्मेदारी हट गयी है, यह बात नहीं है। हमारी जिम्मेदारी उसी वक्त हटती है कि जब हम एक आदमी को उस के पैरों पर इस तरह खड़ा कर दें कि वह चल सके। दौड़ने और तेज़ी से चलने की ताक़त तो उस को पैदा करनी होगी, लेकिन उस को पैरों पर हमें खड़ा करना है। हम ने बड़े पैमाने पर इन बस्तियों को रीआर्गेनाइज़ करना तय किया कि जो खेती कर सकते थे उन को खेती में भेजा जाय, जो खेती नहीं कर सकते थे, उन को दूसरी जगह काम पर लगाया जाय। हम ने अपनी उस पालिसी को भी बन्द किया कि जो पहले कि कई सौ और कहीं तो हज़ार की तादाद में बड़ी बड़ी बस्तियों में ऐसे लोगों को एक जगह बसाया जावे। कहां से रोज़गार आवेगा, कहां से काम आयेगा। हम ने यह तय किया कि बारूजीवी (पान को उगाने वालों की) बस्तियां कामयाब नहीं हुईं। हमारी यूनियन बोर्ड की स्कीम और वैरियंट यूनियन बोर्ड की स्कीम में कामयाबी नहीं हुई। चुनांचे यूनियन बोर्ड की स्कीम को, वैरियंट यूनियन बोर्ड की स्कीम को हम ने बिल्कुल बन्द कर दिया। बारूजीवी और इस तरह के लोगों के लिये हम ने यह निश्चय किया कि इन को अलग बसाने का काम नहीं चलेगा, बल्कि एक मिली-जुली क़िस्म की बस्तियां बनाई जायं, ताकि सब मिल जुल कर बस्ती को कामयाब बना सकें और वहां पर सब का काम चल सके। यह सब कुछ हम ने किया। जहां तक पूर्व के पुरुषार्थियों की समस्या का सवाल है, हम ने जो कुछ किया उस को हम इतमीनान की निगाह से नहीं देखते, हम उस को बदलना चाहते हैं और जितनी बातें हमारे सामने रखी गईं उन पर विचार करेंगे।

मिस्टर चटर्जी ने रिलीफ़ कमेटी की रिपोर्ट का हवाला दिया। उन्हों ने उस के पन्ने १५ पर जो कुछ चीज़े दी हुई हैं उन की तरफ ध्यान दिलाते हुए कहा कि बंगाल में एक डिप्टी मिनिस्टर रखा जाय। मैं उन को यह बतलाना चाहता हूं कि पूर्वी पुरुषार्थियों का मामला मैं ने शुरू से ही अपने हाथ में रखा है और पश्चिमी की ज्यादातर चीज़ों मैं ने अपने सहयोगी श्री भोंसले को दे दी हैं। पूर्व की जितनी चीज़ें हैं, जो प्राबलैम्स आती हैं, जो वहां की स्कीम्स आती हैं, मैं खुद उन को देखता हूं, क्योंकि मुझे कुछ थोड़ा सा अनुभव वहां का हो गया है; मेरा ख्याल यह है कि किसी डिप्टी मिनिस्टर के जाने से काम में ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं, मैं अक्सर जाता हूं और खुद चीज़ों को देखता हूं। मैं अपने आफिसर्स को भी बुला लेता हूं। एक और बात उन्हों ने कही। फायनेन्स का वहां पर एक ऊंचे दरजे का अफसर होना चाहिये। इस चीज़ के बारे में हम खुद भी महसूस करते थे। लिहाज़ा जो स्कीमों को मंजर करने का तरीक़ा था उस को बिल्कुल पलट दिया गया है। पहले बंगाल की स्कीमें दिल्ली में आया करती थीं और यहां पर मंजूर होती थीं। लेकिन अब जो नया तरीक़ा रखा है वह यह है कि रिहैबिलिटेशन मिनिस्ट्री का डिप्टी सेक्रेटरी वहां पर रहता है और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो कि बंगाल के चार्ज में है वह रहता है। फायनैन्स का एक अफसर, ऐडीशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी नहीं, बल्कि डिप्टी सेक्रेटरी है, क्योंकि

फायनैन्स मिनिस्ट्री ने कहा कि उन के डिप्टी सेक्रेटरी को पूरे अख्तियारात होंगे कि वहां पर जा कर स्कीम्स को मंजूर कर दे। ये सब और बंगाल गवर्नमैंट के रिप्रैजेंटेटिव्स, इन तमाम अफ़सरान की एक कमेटी बनाई गयी है जो कि कलकत्ते में बैठती है, जब स्कीमें तैयार हो जाती हैं तो यह कमेटी वहीं पर जांच पड़ताल करती है, क्योंकि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि दिल्ली से किसी भी बंगाल की स्कीम की या आसाम की स्कीम की या त्रिपुरा की स्कीम की जांच पड़ताल करना वैसे ही होगा जैसे कि लैबोरेटरी में एक्सपैरीमैंट हुआ करता है। तो इस तरह इन मामलात को, समस्याओं को सुलझाने का काम हम ने तबदील कर दिया है। आसाम की स्कीमें आम तौर से आसाम में, और कभी कभी कलकत्ते में, तय होती हैं। इसी तरह से त्रिपुरा की स्कीमें, वह सब की सब इसी तरह से तय होती हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि असली हालात को देख कर, उन की जांच पड़ताल के बाद स्कीम बनाई जाय। हम को इस में कुछ कामयाबी भी हासिल हुई। इसमें कोई शक नहीं कि जिस वक्त जांच पड़ताल ज्यादा होने लगी और हम ने इंस्पैक्टोरेट भी बनाया तो जिस तरह से पहले हालत थी, उस में रुपया ज्यादा बरबाद होता था। और काफी कामयाबी भी नहीं होती थी। उस में थोड़ी सी कमी पड़ी। मैं समझता हूं कि पिछले एक साल के अन्दर हम ने काम में कुछ कामयाबी हासिल की है।

अब कुछ बातें और कही गईं। एक बात यह कही गयी कि बंगाल के बाहर कुछ आदमी गये थे, यानी उड़ीसा में और बिहार को, मैं खुद इस मामले में तीन चार वर्ष के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि यह मुनासिब नहीं है कि बंगाल के आदमी को बाहर भेजा जाय। चुनांचे हम ने उस को बन्द कर दिया है। आयन्दा हम कोई आदमी बाहर नहीं भेज रहे हैं। अब सवाल यह है कि जो लोग दूसरी जगह बस गये उन का क्या किया जाय। मुझे खुद इस बात से तकलीफ़ होती है। कितनी दफ़ा श्रीमती सुचेता कृपालानी से मेरी बात हुई, श्रीमती रेणु चक्रवर्ती जी से भी बातचीत हुई और लोगों से भी बातचीत हुई, कि आखिर यह लोग क्यों आते हैं, उड़ीसा को छोड़ कर यहां आते हैं या बिहार को छोड़ कर आते हैं और कलकत्ते के लिये जाते हैं। हो सकता है कि कुछ सिखाए बहकाए गये हों। और यह भी हमारे इल्म में आया है कि कुछ लोग सिखाते हैं, बहकाते हैं। कुछ चिट्ठियां मिलीं, जिन में उन से कहा गया कि तुम बंगाल में आ जावो, यहां पर जमींदारी का अन्त किया जा रहा है और ज़मींदारी की सारी ज़मीन तुम को मिलेगी; यहां पर चले आवो। मगर साथ ही मैं यह कहने के लिये तैयार नहीं हूं कि बस्तियों को छोड़ने की खाली वजह यही है। अगर कोई आदमी एक जगह इतमीनान से रह रहा है तो चाहे कोई उस को कितना ही सिखाए, बहकाए, वह जाने वाला नहीं है।

अब हमारे सामने सब से बड़ी दिक्कत यह है कि किसी भी वजह से हो, वे यहां पर आते हैं। हम यहां पर क्या कर सकते हैं। इस वक्त जो बैच आया हुआ है, उन के जो नेता हैं, उन के जो रिप्रैजेंटेटिव हैं, उन को हम ने बुलाया और उन से यह कहा था कि आप जहां से आये हैं वहीं जाइये। बंगाल ब्रांच के डिप्टी सेक्रेट्री, किसी उड़ीसा के अफसर के ऊपर नहीं छोड़ा गया, वह मौके पर जा कर खुद देखेंगे। (अंतर्बाधाएं) अगर वहां पर कोई कमी होगी तो वह ठीक हम करेंगे। और अगर देखा गया कि वहां पर कोई बस ही नहीं सकता है, तो आप को दूसरी जगह भेजा जायेगा। पिछले साल यही हुआ था। हालांकि उन में से कुछ आदमी नहीं बसे, लेकिन ज्यादातर वहां जा कर आबाद हो गये।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : कुछ लोग हैं जो तीन तीन दफ़ा आये हैं।

श्री ए० पी० जैन : लेकिन मैं आप से यह भी कह सकता हूं कि उन में से कुछ लोग करीब करीब प्रोफेशनल्स हो गये हैं, जो यहां खुद भी आते हैं और दूसरों को भी भड़काकर लाते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि आप जरा ठंडे दिल से सोचिये कि क्या करना है और क्या नहीं करना है इस के बारे में। मैं इस के लिये तैयार हूं कि श्रीमती सुचेता कृपालानी और कुछ और लोग चले जायें और देख लें कि वहां की क्या हालत है। और उन के बसाने के वास्ते अपनी तजवीज दें, लेकिन रोज रेल पर सवार हुए और दिल्ली चले आये या कलकत्ते चले गये, इससे काम चलने वाला नहीं है। मैं यह नहीं चाहता कि लोगों को दिक्कत हो, लेकिन इस तरह से रोज रोज दिल्ली चले आने से कितनी दिक्कतें पैदा होती हैं। बिहार में यह दिक्कत पैदा हुई, वहां से १०० या ११२ परिवार कलकत्ते चले गये। उधर डा० विधान चन्द्र राय उन को राजी कर रहे थे कि वापस जाओ। लेकिन वह कह रहे थे कि हम नहीं जायेंगे। दूसरे जो बेघर लोग वहां पर आये उन को किसी ने दबाया नहीं, वह खुद बड़ी खुशी से वहां पर जा कर बस गये। नतीजा यह हुआ कि पुराने लोग बेघर हो गये। इस में मुझ को कोई शक नहीं है कि ये लोग बहकाये हुए थे क्योंकि दूसरे लोग वहां पर खुशी से जा कर बस गये। (अन्तर्बाधा) ऐसे इन्टरप्शन्स से कोई फायदा नहीं होगा। मैं अब अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं ने सब की बात सुनी, किसी को इन्टरप्ट नहीं किया।

सरदार हुक्म सिंह : मेरी बात भी सुनें।

श्री ए० पी० जैन : आप की भी सुनूंगा और कुछ कहूंगा भी। मेरा कहना यह है कि जो लोग दिक्कत में हैं, उन को मदद पहुंचाना हमारा फर्ज़ है। लेकिन हर एक आदमी जो छोड़ कर चला जावे, चाहे उस की कोई वजह हो या बिला वजह हो, और हर एक को हम मदद दें तो हमारा काम कैसे चलेगा? मैं आप से अर्ज़ करना चाहता हूं अन्डमन्स को आदमी भेजे गये थे, और जो बंगाल से ताल्लुक रखने वाले हैं, वह जानते हैं कि लोग अन्डमन्स में जा कर कितने खुश हैं। अगर हम वहां सौ आदमियों को भेजना चाहते हैं तो पांच सौ आदमियों की दरख्वास्तें आती हैं। लेकिन फिर भी अन्डमन्स के ६०० परिवारों में सौ से ऊपर परिवार छोड़ कर चले आये। उत्तर प्रदेश के तराई इलाक़े में हम ने ७०० परिवार भेजे, और वहां पर मैं खुद गया और देख कर आया हूं। मैं समझता हूं कि वहां की जो हालत है वह बंगाल की हालत से बहुत मिलती जुलती है। वहां के लोग हम से क्या मांगते हैं? वह कहते हैं कि हमें सिंचाई दो, हमारे लिये और सिंचाई का इन्तज़ाम करो। इस के अलावा और कोई मांग मैं ने उन की नहीं देखी। लेकिन वहां से भी १५० परिवार छोड़ कर चले गये। बसना उस इन्सान की कोशिश पर ज्यादा निर्भर है जो कि बसता है। दुनिया में, पुरुषार्थियों में और लोकल आदमियों में भी, सब जगह हर किस्म के आदमी होते हैं। ऐसे भी होते हैं जो कि काम नहीं करना चाहते हैं और ऐसे भी होते हैं जो तकलीफ उठा कर काम करना चाहते हैं। इस लिये मैं सिर्फ़ एक चीज़ आप के सामने रखना चाहता हूं, जहां कोई कमी हो, कोई त्रुटि हो, उस का दूर करना हमारा फर्ज़ है, लेकिन हम इस किस्म की पालिसी अख्तियार न करें कि जिस में कि ऐसे लोगों का फायदा हो जो काम करना नहीं चाहते।

बंगाल के बारे में जो तीन चार और बातें कही गईं, उस सिलसिले में भी मैं कुछ अर्ज करना चाहता हूं। मेरे मित्र श्री बी० के० दास ने एक सवाल उठाया, उन्हों ने कहा कि जो हमारी हाउसिंग की पालिसी बंगाल में है वह सही नहीं है। उन्हों ने कहा कि पश्चिम के अन्दर मकान बनाये हैं और पूर्व के अन्दर कर्ज दिया है। पश्चिम में हम ने दो लाख मकान बनाये या मकान बनाने के लिये रुपया दिया। पूर्व में हम ने खाली बारह, तेरह हजार मकान बनाये और करीब दो ढाई लाख आदमियों को कर्जे दिये। हालात की वजह से यह अन्तर आया, क्योंकि जैसा मैं ने पहले अर्ज किया था कि पश्चिम में लोग एकदम से आये, जैसे कि दरिया में बाढ़ आती है, वह कहीं पर सड़कों पर पड़ गये और कहीं खुले मैदानों में पड़ गये, किसी ने कपड़ा तान लिया और किसी ने लकड़ी के चार तख्ते डाल लिये। किसी ने कहीं पर पनाह ले ली और कोई सरकारी इमारत में घुस गया, कोई अस्पताल में घुस गया। कोई मन्दिर में घुस गया, कोई मस्जिद में घुस गया। सन् १९५० में इन हालात को देख कर हम ने यह तय किया कि जो लोग खुली जमीन पर बैठे हुए हैं, सड़कों के किनारे पड़े हुए हैं, मस्जिद, मन्दिर या धर्मशालाओं में पड़े हुए हैं, यानी ऐसी जगहों पर जिन की पब्लिक को जरूरत है, या जो धार्मिक संस्थायें हैं, उन को हम हटायेंगे, जबर्दस्ती हटायेंगे। लेकिन हम किसी आदमी को किसी जगह से नहीं हटाना चाहते जब तक कि हम उस को आल्टर्नेटिव एकोमोडेशन न दें। चुनांचे हमारे लिये लाजिमी हो गया कि हम बड़ी तादाद में मकान बनायें। इस किस्म के लोगों को हम कटेगरी ए में रखते हैं, यानी जिन को हम लाजिमी तौर पर हटाना चाहते हैं, जैसे ही उन का प्रोग्राम खत्म हो जायेगा, उस के बाद पश्चिम में हमारा मकान बनाने का इरादा नहीं है। हां, जैसा श्रीमती सुचेता कृपालानी ने कहा, कि अब भी दिल्ली के अन्दर और दूसरी जगहों में जो लोग इवैक्वी प्रापर्टी में या दूसरे मकानों में बैठे हुए हैं, वह भेड़ की हालत में बैठे हुए हैं। उन के लिये हम ने इस साल दो करोड़ रुपये का प्राविजन रखा है, लेकिन हम मकान नहीं बनायेंगे। हम उसी बेसिस पर यहां के लोगों को कर्जा देंगे, जैसे कि हम ने पूर्व में दिया है। पूर्व में इस किस्म की हालत नहीं पैदा हुई चुनांचे वहां पर हम ने जो कुछ पैसा खर्चा वह मकान बनाने के लिये कर्ज की सूरत में दिया। जहां तक इस पालिसी का ताल्लुक है, हम उसी को कायम रखना चाहते हैं कि जो मकान बनाना चाहें उन को कुछ कर्ज दे दिया जाय। हां एक तब्दीली जो हम ने की, वह यह कि हम एक एरिया ले कर वहां पर प्लाट्स बना दें। और वहां पर जो दूसरी जरूरी सहूलियतें हों उन को भी पहुंचायें। प्लाट दे दें, और कुछ पैसा दे दें मकान बनाने के लिये। मेरी राय यह है कि यही तरीका अच्छा है। क्योंकि अगर डिपार्टमेन्ट के जरिये से मकान बनते हैं तो उस में हम चाहे जितनी भी किफायत करें लेकिन करीब करीब ८ परसेन्ट हम को डिपार्टमेन्टल चार्जेज देने पड़ते हैं। कोई ठेकेदार ऐसा नहीं कि १५, २० फीसदी से कम में ठेका लेगा, सरकारी मकान में २५, ३० फीसदी के करीब खर्च हो जाता है, जो कि एक प्राइवेट आदमी खर्च नहीं करता। इस लिये मैं समझता हूं कि हमारी पालिसी ठीक है और हम इस को वहां कायम रखें।

मेरे दोस्त बर्मन साहब ने एन्क्लेव्ज के अन्दर जो आबाद थे उन के बारे में कहा। मैं अभी कुछ ही दिन हुए कलकत्ते गया था तब यह मामला मेरे सामने रखा गया। मैं ने इस के लिये कुछ रुपया दे दिया था कि जो लोग एन्क्लेव्ज से इधर आते हैं, उन को मदद दी जाय। चुनांचे उन को मदद दी गई, और अभी भी जो रुपया दिया गया था उस में से

[श्री ए० पी० जैन]

कुछ बाकी है। जो लोग एन्क्लेव्ज में हैं, मैं मानता हूं कि उन को मदद दी जाय, और हम उन की मदद करेंगे।

दो और इसी किस्म के आईटेम थे जिन का बर्मन साहब ने जिक्र किया था। एक वह लोग हैं जो कि सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट के आफिसर्स हैं और ईस्ट बंगाल से आये हैं। यह लोग मुलाजिमत के अन्दर हैं, उन के पास प्राविडेन्ट फंड भी मौजूद हैं। हम लोग उन ही लोगों को मदद देते हैं जिन के पास कि कुछ नहीं है। मैं नहीं कह सकता कि उन में से कितने दिक्कत में हैं और कितने नहीं हैं। जब वह सरकारी मुलाजिम से रिटायर होंगे तो उन को पेन्शन भी मिलेगी और प्राविडेन्ट फंड भी मिलेगा। इस लिये उस वक्त उन की क्या हालत होगी इस के बारे में मेरा कुछ कह पाना अभी मुश्किल है।

७ म० प०

आप ने जिक्र किया था कि उन लोगों को कि जिन्होंने अपनी जायदादें पलट ली हैं, जहां तक हमारा ताल्लुक है, अगर इस किस्म के आदमियों के पास मकान नहीं है तो हम को मकान के बनाने में ज़रूर मदद देनी चाहिये।

अब सवाल आ जाता है पश्चिम का। पर बहस करते वक्त कुछ इस बात की भनक आती थी कि कुछ हुआ तो है, लेकिन यह ग़लत है कि इधर के रिहैबिलिटेशन का काम एक बड़ी हद तक पूरा हो गया और मांग यह की गयी कि जैसे फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग कमेटी बंगाल के लिये बनायी गयी थी, यहां के लिये भी एक फ़ैक्ट फ़ाइंडिंग कमेटी बनायी जाय। पिछले साल भी मैं ने कहा था कि यहां का काम बहुत काफ़ी हद तक हो गया है। इस साल उस काम में और बढ़ोत्री हुई और मैं कहता हूं कि इस साल क़रीब क़रीब हम अपने ख़ात्मे की मंज़िल पर पहुंच रहे हैं। यों तो हर एक की अपनी राय होती है, मैं यह भी नहीं कहता हूं कि कहीं पर कोई मुसीबत नहीं है, मैं यह भी नहीं कहता हूं कि कहीं पर बेकारी नहीं है, मैं यह भी नहीं कहता हूं कि कहीं पर कोई एक आदमी या कुछ आदमी ऐसे नहीं हैं कि जिन के पास मकान नहीं हैं। लेकिन जिस वक्त मैं यह कहता हूं कि क़रीब क़रीब यहां का काम पूरा हो गया है तो मैं तमाम रेफ्यूजियों की तस्वीर अपने सामने रख कर कहता हूं। मैं यह ख़ाली अपनी राय के ऊपर नहीं कहता, बल्कि मैं एक मज़बूत बुनियाद के ऊपर इस बात को कहने के लिये तैयार हूं। हम ने कुछ एकोनामिक सर्वे कराये। बम्बई का सूबा जिस को यह कहा जाता है कि पंजाब के अन्दर मुसलमानों के उधर जाने से एक वैकुअम हुआ वह वहां पर नहीं हुआ। जिस के बारे में यह कहा जाता है कि वहां की हालत बहुत ख़राब है। बम्बई स्टेट का जो हम ने एकोनामिक सर्वे कराया, मैं उस के कुछ नातायज, जिन नतीजों पर वह पहुंचे हैं मैं आप के सामने रखना चाहता हूं। मेरे दोस्त श्री गिडवानी ने एक एकोनामिक सर्वे का चर्चा किया जो प्रोफेसर सी० एन० वकील ने बम्बई में की थी। श्री गिडवानी ने कहा कि २४७ या कितनी फ़ैम्लीज़ में से जिन का सर्वे किया था ख़ाली साठ ऐसी हैं जो रोजी कमा कर अपना काम चला रही हैं, बाक़ी ऐसी हैं कि उन का काम ठीक तौर से चल नहीं रहा है। मैं ने भी उस रिपोर्ट को देखा है लेकिन अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि मैं ने एकोनामिक सर्वे की ऐसी कम रिपोर्ट्स देखी हैं कि जिन में इतने गैर मुनासिब तरीक़े से काम किया गया हो। इस रिपोर्ट के अन्दर एक टेबिल है जिसमें पार्टीशन के पहले शरणार्थियों की औसत आमदनी क्या थी, उस का एक चार्ट बना हुआ है। अगर उस की आमदनी का हिसाब लगाया जाये तो वहां पर शरणार्थियों में पचास,

या साठ फीसदी इनकमटैक्स देने वाले होते हैं, अगर वहां से सौ आदमी आये तो उस में पचास इनकमटैक्स देने वाले थे। हंडिया में से एक चावल निकाल कर देखा जाता है कि भात पक गया या नहीं। मैं ने भी एक चावल निकाला। यह सर्वे था, उल्हासनगर का और उन्हासनगर वह जगह है जिस के अन्दर सब से ज़्यादा आदमी ऐसे थे जिन के पास पैसा नहीं था और जो सब से ज़्यादा मुसीबतज़दा थे। तमाम हिन्दुस्तान के अन्दर सात लाख या आठ लाख इनकमटैक्स के देने वाले हैं और कुल कुटुम्ब बैठेंगे सात करोड़ के क़रीब, यानी एक फ़ी सदी। उल्हासनगर में जो आकर बसे उन में से पचास या साठ फ़ी सदी इनकमटैक्स देने वाले थे। पाकिस्तान में अगर किसी सर्वे से पता चले तो किस तरह उस सर्वे को अहमियत दी जा सकती है। इस के बाद हम ने बम्बई में शरणार्थियों का इकानामिक सर्वे कराया। नैशनल सैम्पल सर्वे ने इस काम को अपने हाथ में लिया। उन्हों ने कुछ कौलोनीज़ को लिया और कुछ कौलोनीज़ के बाहर बसने वाले आदमियों को लिया। इन्होंने ईस्ट खानदेश, पूना, अहमदनगर, नासिक, सूरत, बड़ौदा, ग्रेटर बौम्बे और थाना इन तमाम जगहों का एक सैम्पुल सर्वे किया और यह सर्वे उन्होंने जुलाई सन् १९५३ से सितम्बर ५३ तक किया। वकील साहब का जो सर्वे था वह मुझे ठीक याद नहीं लेकिन बहुत पुराना है। नैशनल सैम्पल सर्वे की जांच से यह नतीजा निकला कि अगर लोगों की कमाई को लिया जाय जिस में से गवर्नमैंट से जो उन को मदद मिलती है उस को निकाल दिया जाय, जो कोई प्राइवेट एजेंसी से मदद मिलती है, उस को भी निकाल दिया जाय, कर्ज़े को भी निकाल दिया जाय और जो अपने ज़ेवर वग़ैरह बेचने से जो आमदनी होती है उस को भी निकाल दिया जाय यानी अपने पुट्ठों की जो कमाई है उस का अगर हिसाब लगाया जाय तो उन का कहना यह है :

> "कि इन बस्तियों के परिवारों में से ६७·५ प्रतिशत परिवार अपने व्यय का ८० प्रतिशत अंश स्वयं कमाते थे। केवल ९·५ प्रतिशत परिवार ऐसे थे जिन की अपनी कोई उचित आमदनी नहीं थी।"

आमतौर से आदमी का रुझान होता है अपनी आमदनी को जब कि इस किस्म का सर्वे हो, कम दिखाने की तरफ। जो आदमी कहता है कि आमदनी से उस का ८० या ९० फीसदी खर्चा चल जाता है उस को बसा हुआ समझा जावे।

अगर ८० फी सदी समझा जाय तो क़रीब ६७·५ फीसदी और अगर ९० फीसदी समझा जाय तो ६३ फीसदी आदमी जितना कि वह खर्च करते हैं उतना या उस से ज्यादा कमा रहे हैं। दस फ़ीसदी का निर्वाह सरकारी या दूसरी इमदाद से होता है। अब आप इस का मुक़ाबला कीजिये लोकल आदमियों से। क्या हिन्दुस्तान के अन्दर बाक़ी आदमियों में हर एक कोई ऐसा है कि जिसकी आमदनी उस के औसतन खर्चे से ज्यादा है? मैं निवेदन करना चाहता हूं कि लोकल आदमियों में बड़ी तादाद में ऐसे आदमी मिलेंगे, खास कर इस ज़माने के अन्दर कि जब रुपये पैसे की कमी है, रोज़गार की भी कमी है, कि जिनका खर्चा ज्यादा है और कहीं से कर्ज़ा उठा कर अपना काम चलाते हैं। मैं कहता हूं कि मेरा यह दावा कि पुरुषार्थियों का रिहैबिलिटेशन क़रीब क़रीब पूरा हो गया है, यह सही है।

हमने एक दूसरी भी सर्वे करायी और वह है टाउनशिप्स की। आप जानते हैं कि टाउनशिप्स के अन्दर बेकारी ज़यादा है। मैं ने भी इस को कबूल किया है। नीलोखेरी की तो सर्वे रिपोर्ट हमारे पास आ गयी है। दिल्ली

[श्री ए० पी० जैन]

स्कूल आफ इकानामिक्स के वी० के० आर० वी० राव ने इस सर्वे को किया है और जिस नतीजे पर वह पहुंचे हैं वह भी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उन के कहने के अनुसार,

> "संक्षेप में, इन १५० परिवारों में से १९० व्यक्ति कमाई करते थे। प्रत्येक परिवार में औसतन ५ व्यक्ति थे। प्रत्येक परिवार की औसत मासिक आमदनी ९८ रुपए थी। प्रत्येक व्यक्ति के पास आवास के लिए औसतन ·८ कमरा था। इन में से ११ प्रतिशत व्यक्ति बेकार थे।"

यह उन्होंने कहा है सन् १९५१ के बारे में। उस के बाद बेकारी की हालत कुछ खराब हुई। लेकिन वहां पर प्रेस लग रहा है और वहां पर एक रेलवे वर्कशाप लग रहा है। उस से हालत कुछ बेहतर होती जा रही है। मैं आप से यही निवेदन करना चाहता था कि मैं ने जो दावा किया था वह मेरे अपने अन्दाजे पर था जैसे कि हकीम नब्ज देखता है। लेकिन जैसे जैसे जांच पड़ताल हो रही है वैसे वैसे मुझे अपना दावा सही मालूम हो रहा है।

हमारे सामने एक बड़ा सवाल है कम्पेन्सेशन का। मुझे एक चीज़ से तकलीफ़ हुई कि जो चटर्जी साहब ने हिन्दुस्तान टाइम्स के एक आर्टिकिल का हवाला दिया। मैं इस को समझ सकता हूं कि हिन्दुस्तान टाइम्स के अन्दर किसी ने एक आर्टिकिल लिख दिया। कभी कभी लेखक नमक मिर्च की चीज़ों में मज़ा लेते हैं। लेकिन चटर्जी साहब उस को यहां पर कोट करें और उस के ऊपर इस किस्म का ख्याल जाहिर करें यह एक नामुनासिब चीज़ है। कम्पेन्सेशन की स्कीम हमारी नवम्बर में शुरू हुई। नवम्बर के महीने में खाली २२ आदमियों को कम्पेन्सेशन दिया गया। दिसम्बर में ५० आदमियों को दिया गया। जनवरी में १६० को दिया गया। यह मैं याददाश्त से कह रहा हूं। मुमकिन है कि कहीं कुछ फर्क हो। फरवरी में ६६० आदमियों को कम्पेन्सेशन दिया गया। मार्च के पहले हफ्ते में हमारी प्रगति क़रीब २०० या २२५ हो गयी और उस के बाद जो मार्च का चौथा सप्ताह हुआ उस में हम ने २७५ को दिया। अगर आप इन आंकड़ों पर ग़ौर करें तो मुझे यह इल्जाम देना कि मैं एक बनावटी तस्वीर हाउस के सामने रखना चाहता था मैं समझता हूं कि कम से कम चटर्जी साहब को यह शोभा नहीं देता।

श्री एन० सी० चटर्जी : आरोप तो केवल यही था कि आगामी संसदीय वादविवाद के कारण खान-मार्केट में काम करने वाला ब्यूरो कुछ शीघ्रता प्रकट कर रहा है।

श्री ए० पी० जैन : अगर मेरे अफसर इस बात का ध्यान रखें कि मेरी इज्जत किसी तरह से कायम रहे तो यह एक अच्छी बात है। जो मैं ने आप को आंकड़े दिये हैं उन के होते हुए यह नतीजा निकालना कि हम एक बनावटी चीज़ आप के सामने रखना चाहते थे मेरे साथ इन्साफ करना नहीं है।

जहां तक कि कम्पेन्सेशन की प्रगति का प्रश्न है मैं खुद इस बात को मानता हूं कि जितनी मेरी ख्वाहिश थी उतनी इस की रफ्तार नहीं है। लेकिन इस में मेरी खता कम है और कुछ और लोगों की ज़यादा। मैं पुरुषार्थी भाइयों को बरा कहूं या हाउस में उनकी त्रुटियों को पेश करूं तो यह मुझे शोभा नहीं देगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि हमको कम्पेन्सेशन के लिए जो दरखास्तें दी गयीं अगर वह ईमानदारी और सचाई से लिख कर दी जातीं तो हमारा काम तेजी से होता।

एक आदमी के पास इवैक्वी मकान है या सरकार का दिया हुआ मकान है। आप कहते हैं कि उस का किराया माफ करो। हम ने तय कर लिया कि हम पहली नवम्बर से उस से किराया नहीं लेंगे। लेकिन वह अपनी दरख्वास्त में नहीं दिखलाता कि वह एक मकान में रह रहा है। तो मुझ को कैसे मालूम हो कि वह उस मकान में रह रहा है और १२०० में से ५०० या ६०० केस इस तरह के हैं। अगर एक आदमी लिख देता है कि मैं इस मकान में रहता हूं तो मेरे विभाग के आदमी रजिस्टर खोल कर जांच लेते हैं। लेकिन अगर वह आदमी नहीं लिखता है तो हम को पूरी तख्ती देखनी पड़ती है और जब कि बहुत आदमियों ने गलत बयानी की है तो हम को फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। मैं पहले कह चुका हूं मेरी हालत एक ट्रस्टी की है। अगर मैं किसी आदमी को लापरवाही से पैसा दे दूं तो मैं किस का पैसा देता हूं? वह उन पुरुषार्थियों का पैसा है जो कि उसके हकदार हैं। आम तौर से हाउस में कहा गया है कि सरकार किराया वसूल करना चाहती है रुपया वसूल करना चाहती है। क्या अपने लिए? नहीं। क्या यह रुपया या किराया जो सरकार वसूल करती है वह सरकार के पास जाता है? नहीं। एक तरफ कुछ लोग हैं जो कि इस रुपये को पाने के हकदार हैं और दूसरी तरफ़ यह वसूली है। अगर इस को वसूल न किया जाय तो किसी न किसी की हकतलफी होगी। मैं अपना यह धर्म समझता हूं कि मैं ईमानदारी से इस रुपये को इकट्ठा करूं और बांटूं, जो भाई यहां बैठे मुझे इल्जाम देते हैं और देरी की शिकायत करते हैं वह पुरुषार्थियों में बैठें, उन से ठीक तौर से क्लेम्स को भरवावें तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूं कि हम काम को बहुत तेजी से कर सकते हैं।

लाला अचित राम : स्टाफ बढ़ा दीजिये जो कि इस काम को करे।

श्री ए० पी० जैन : अब आप कहते हैं कि स्टाफ को बढ़ा दीजिये। खाली स्टाफ बढ़ाने से काम नहीं चलता। एक सवाल उठाया गया छोटी छोटी रकमों के कर्ज़े का, यानी उन लोगों का जिन को छोटी छोटी रकमें दी गई हैं। मैं पहले से इस बात को महसूस करता हूं कि जिन गरीब आदमियों को दो दो और तीन तीन सौ रुपये की रकमें दी गयी हैं उन से कर्जा वसूल करना कोई बहुत मुनासिब बात नहीं है।

जब श्री चोइथराम गिडवानी मेरे पास डेपूटेशन ले कर आये तो मैं ने कहा कि मैं उन लोगों को मदद दूंगा और मैं आज ऐलान करता हूं कि जिन लोगों का कर्जा ३०० तक का है और जिन का कोई क्लेम नहीं है उन का कर्जा माफ हो जायगा। जिन लोगों को हिन्दुस्तान के अन्दर तालीम के वास्ते कर्जा दिया गया है और अगर उन के या उन के वालदेन के कोई क्लेम नहीं हैं तो उन को जितना कर्जा दिया गया है वह सब का सब माफ हो जायगा।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : ३०० से ५०० कर दीजिये।

श्री ए० पी० जैन : यह ३०० ही बहुत काफी हो जाता है, क्योंकि आप को देखना चाहिये कि यह रुपया पूल से जाता है, सरकार की जेब से नहीं। आप को उन का भी सोचना है कि जिन के क्लेम्स हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : आजकल ५०० की क़ीमत पुराने ३०० से भी कम है। आप पूरा ५०० ही कीजिये।

श्री ए० पी० जैन : जहां तक कर्ज़े की वसूली के सवाल का ताल्लुक़ है, उस के लिये कहा गया कि कर्ज़े की सरकारी वसूली का एक ख़ास तरीक़ा है, कुर्की की जाती है, गिरफ्तार किया जाता है। मैं

[श्री ए० पी० जैन]

पूछना चाहता हूं कि कितने केस उनके इल्म में इस तरह के आये। मैं नहीं कहता कि इक्के दुक्के केस नहीं हो जाते हैं।

श्री आर० के० चौधरी : सरकार के रुपये का भी नक़सान होगा और यहां पर क्लास नाम भी नहीं होगा। ५०० बना दीजिये तो ठीक होगा। सभा की यह इच्छा है।

श्री ए० पी० जैन : तो हम खुद इस बात को जानते हैं कि क्लेमेंट्स का कर्ज़ा एडजस्ट करना है, हम उस को एडजस्ट कर रहे हैं। हम ने इस के बारे में भी कुछ अपनी योजना तैयार की है कि जिस को उस कमेटी के पास भेजा है कि जिस की सुचेता कृपालानी जी सदस्या हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मैं अदब से एक बात पूछ लूं कि यह ३०० रुपये की रियायत जो दी है यह हर स्टेट के हर एक आदमी को मिलेगी ?

श्री ए० पी० जैन : जिस के ऊपर कोई क्लेम नहीं है।

श्रीमती सुचेता कृपालानी : क्लेम वालों को भी छोड़ दीजिये।

श्री ए० पी० जैन : देखिये, क्लेम वालों के लिये मैं इस बात को नहीं मानता, क्योंकि उन को एक बड़ी रक़म रिहैबिलिटेशन ग्रांट के नाम पर, दी जाती है। दो हजार के क्लेम वाले को १२०० रुपया दिया जा रहा है जिस में ४०० रु० कम्पैन्सेशन है और ८०० रु. रिहैबिलिटेशन ग्रान्ट।

उपाध्यक्ष महोदय : गणपूर्ति के अभाव के कारण अब सभा स्थगित होगी। क्या माननीय मंत्री अपना भाषण समाप्त कर चुके हैं। नहीं। अब इस का कोई इलाज नहीं। कल देखा जाएगा।

इस के पश्चात् सभा बुधवार, ३१ मार्च, १९५४ के दो बजे तक के लिये स्थगित हुई।